C O N T E N T S

Sixteenth Series, Vol.XIV, Sixth Session, 2015/1937 (Saka)
No.17, Friday, December 18, 2015/Agrahayana 27, 1937 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos.281 to 285	20-66
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos.286 to 300	67-132
Unstarred Question Nos.3221 to 3450	133-578

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 579-599

REPORT ON PARTICIPATION OF INDIAN PARLIAMENTARY DELEGATION AT 131ST ASSEMBLY OF INTER-PARLIAMENTARY UNION (IPU) 600

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE
Minutes 600

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES
5th Report 600

STATEMENTS BY MINISTERS

(i)(a) Status of implementation of the recommendations contained in the 3rd Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2014-15), pertaining to the Department of Revenue, Ministry of Finance. 601

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 38th Report of the Standing Committee on Finance on `Tax Assessment/Exemptions and related matter concerning IPL/BCCI, pertaining to the Department of Revenue, Ministry of Finance.

Shri Arun Jaitley 601

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 5th Report of the Standing Committee on Rural Development on Demands for Grants (2015-16), pertaining to the Ministry of Drinking Water and Sanitation.

Shri Ram Kripal Yadav 602

BUSINESS OF THE HOUSE 603-607

SUBMISSIONS BY MEMBERS

(i) Re : Alleged lathi charge by Police against the people participating in protest march in West Bengal 652-655

(ii) Re: Need to ensure protection to the students from Sikkim especially in Institute of Technology and Forward Management, Chandigarh 656-657

(iii) Re : Need to expedite the construction work of Ghorghat Bridge connecting Bihar and Uttar Pradesh in Bhagalpur under the Sansad Adarsh Gram Yojana 662-663

(iv) Re:Need to construct a Panchnad Project in Bundelkhand region to solve the problem of drought in Uttar Pradesh and Madhya Pradesh 664-665

(v) Re:Need to repair Ganga Ghats in Dumdum Parliamentary constituency, West Bengal 667-668

MOTION RE: 17TH REPORT OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

Shri Ratan Lal Kataria 675

PRIVATE MEMBERS' BILLS-Introduced 675-728

(i) Mentally Retarded Children (Welfare) Bill, 2015
By Shri Om Prakash Yadav 676

(ii) Constitution (Amendment) Bill, 2015
(Insertion of new articles 16A and 16AA)
By Shri Om Prakash Yadav 677

(iii) Constitution (Amendment) Bill, 2015
(Substitution of new article for article 331)
By Shrimati Poonam Mahajan 677

(iv) Andhra Pradesh Reorganisation (Amendment) Bill, 2015
(*Amendment of section 26*)
By Shri Vinod Kumar Boianapalli 678

(v) Andhra Pradesh Reorganisation (Amendment) Bill, 2015
(Amendment of section 31)
By Shri Vinod Kumar Boianapalli 678

(vi) Constitution (Amendment) Bill, 2015
(Substitution of new article for article 130)
By Shri Vinod Kumar Boianapalli 678

(vii) Indian Penal Code (Amendment) Bill, 2015
(Substitution of new section for section 124A)
By Dr. Shashi Tharoor 679

(viii) Asylum Bill, 2015
By Dr. Shashi Tharoor 679

(ix) Clinical Establishments (Registration and Regulation) Amendment Bill, 2015
(Amendment of section 2,etc.)
By Shri A.P. Jithender Reddy 688

(x) Constitution (Amendment) Bill, 2015
(Insertion of new articles 77A, etc.)
By Shri A.P. Jithender Reddy 688

(xi) Transgender Persons (Welfare) Bill, 2015
By Dr. Kakoli Ghosh Dastidar 689

(xii) Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Amendment Bill, 2015
(Amendment of section 2)
By Shri Raju Shetty 689

(xiii) Destitute and Neglected Women (Welfare) Bill, 2015
By Shri Gopal Shetty 690

(xiv) Constitution (Amendment) Bill, 2015
(Insertion of new article 300B)
By Shri Gopal Shetty 690

(xv) Bureau of Accountability Bill, 2015
By Shri Gopal Shetty 691

(xvi) Constitution (Amendment) Bill, 2015
(Substitution of new article for article 21A)
By Shri Jayadev Galla 691

(xvii) Savita Ambedkar National University for Women Bill, 2015
By Dr. Udit Raj 692

(xviii) Free Educational and Hostel Facilities to Students Belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Economically Weaker Class Bill, 2015
By Dr. Udit Raj 692

(xix) Constitution (Amendment) Bill, 2015
(Amendment of articles 124 and 216)
By Dr. Udit Raj 693

(xx) Supreme Court of India (Establishment of a Permanent Bench at Aurangabad) Bill, 2015
By Shri Chandrakant Khaire 693

(xxi) Anganwadi Workers (Regularization of Service and Other Benefits) Bill, 2015
By Shri A.T. Nana Patil 694

(xxii) Representation of the People (Amendment) Bill, 2015
(Amendment of section 30)
By Shri Rahul Shewale 694

(xxiii) Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2015
(Amendment of section 2, etc.)
By Shri Rahul Shewale 695

(xxiv) Persons Belonging to Economically Weaker Section (Reservation of Vacancies in Posts and Services) Bill, 2015
By Shri Rahul Shewale 695

(xxv) Constitution (Amendment) Bill, 2015
(Amendment of articles 338 and 340)
By Shri P.P. Chaudhary 696

(xxvi) Constitution (Amendment) Bill, 2015
(Amendment of article 16)
By Shri P.P. Chaudhary 696

(xxvii) National Commission for Backward Classes (Amendment) Bill, 2015
(Amendment of section 1, etc.)
By Shri P.P. Chaudhary 697

(xxviii) Constitution (Amendment) Bill, 2015
(Insertion of new article 123A)
By Shri P.P. Chaudhary 697

(xxix) Artisans (Welfare and Promotion) Bill, 2015
By Shri Maheish Girri 698

(xxx) National Cadet Corps (Amendment) Bill, 2015
(Amendment of section 6)
By Shri Maheish Girri 698

(xxxi) Constitution (Amendment) Bill, 2015
(Amendment of articles 341 and 342)
By Shri Nishikant Dubey 699

(xxxii) Constitution (Amendment) Bill, 2015
(Substitution of new article for article 130)
By Shri Nishikant Dubey 699

(xxxiii) Special Financial Assistance to Santhal Pargana Region of the State of Jharkhand Bill, 2015
By Shri Nishikant Dubey 699-700

(xxxiv) Consumer Goods (Right to Free Return) Bill, 2015
By Shri Nishikant Dubey 700

(xxxv) Protection of Refugees and Asylum Seekers Bill, 2015
By Shri Rabindra Kumar Jena 700-701

(xxxvi)	Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2015 *(Amendment of the Schedule)* **By Shri Ninong Ering**	701
(xxxvii)	Regulation of Computer Training Centres Bill, 2015 **By Shri Rajesh Ranjan**	701-702
(xxxviii)	Control of Rising Prices Bill **By Shri Rajesh Ranjan**	702
(xxxix)	Neglected and Suffering Widows (Protection and Welfare) Bill, 2015 **By Shri Rajesh Ranjan**	703
(xl)	Distressed and Neglected Widows and Divorced Women (Maintenance, Support and Welfare) Bill, 2015 **By Shri Rajesh Ranjan**	703-704
(xli)	Prevention of Cruelty to Animals (Amendment) Bill, 2015 *(Substitution of new section for section 28)* **By Shri Bhartruhari Mahtab**	704
(xlii)	Religious Conversion (Prohibition) Bill, 2015 **By Shri Bhartruhari Mahtab**	704
(xliii)	Special Drinking Water and Irrigation Development Fund (For Dark Zone Areas) Bill, 2015 **By Shri Devji M. Patel**	705
(xliv)	High Court of Bombay (Establishment of a Permanent Bench at Pune) Bill, 2015 **By Shri Shrirang Appa Barne**	705
(xlv)	Forest (Conservation) Amendment Bill, 2015 *(Amendment of Section 2)* **By Shri Shrirang Appa Barne**	706

(xlvi) Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2015
(Amendment of the Schedule)
By Shri Shrirang Appa Barne 706

(xlvii) Representation of the People (Amendment) Bill, 2015
(Insertion of new section 61B)
By Shri Shrirang Appa Barne 707

(xlviii) Sex Workers (Rehabilitation and Social Security) Bill,2015 707
By Shrimati Poonam Mahajan

(xlix) Traditional Fishermen (Socio-Economic Protection and Welfare) Bill, 2015
By Shri Vinayak Bhaurao Raut 708

(l) Widows' Welfare Bill, 2015
By Shri Sunil Kumar Singh 709

(li) Mega Projects (Timely Completion) Bill, 2015
By Shri Sunil Kumar Singh 709

(lii) Jharkhand Atomic Authority Bill, 2015
By Shri Sunil Kumar Singh 710

(liii) Constitution (Amendment) Bill, 2015
(Amendment of the Eighth Schedule)
By Shri Sunil Kumar Singh 710

(liv) Distressed Veteran Sports Persons (Welfare) Bill, 2015
By Shrimati Ranjeet Ranjan 711

(lv) Compulsory Physical Fitness of Children Through Sports in Schools and Development of Sports Infrastructure Bill, 2015
By Shrimati Ranjeet Ranjan 712

(lvi) Distressed Farmers (Special Facilities, Protection and Welfare) Bill, 2015
By Shrimati Ranjeet Ranjan 713

(lvii)	Electronic Waste Bill, 2015 **By Dr. Kirit P. Solanki**	714
(lviii)	Commission of Inquiry (Amendment) Bill, 2015 *(Amendment of section 3)* **By Dr. Kirit P. Solanki**	714
(lix)	Solar Energy (Development and Compulsory Use) Bill, 2015 **By Dr. Kirit P. Solanki**	715
(lx)	Insecticides (Amendment) Bill, 2015 *(Amendment of sections 4 and 9)* **By Shri Kesineni Srinivas**	715
(lxi)	Patents (Amendment) Bill, 2015 *(Amendment of section 73, etc.)* **By Shri Kesineni Srinivas**	716
(lxii)	Witness Protection Bill, 2015 **By Shri Om Birla**	716
(lxiii)	Constitutional (Amendment) Bill, 2015 *(Amendment of article 84)* **By Shri Dushyant Chautala**	717
(lxiv)	Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2015 (*Amendment of section 2 etc.)* **By Shri Dushyant Chautala**	717
(lxv)	Hindu Succession (Amendment) Bill, 2015 *(Substitution of new section for section 15)* **By Shri Dushyant Chautala**	718
(lxvi)	Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 2015 *(Amendment of section 358)* **By Shri Dushyant Chautala**	718
(lxvii)	National Asylum Bill, 2015 **By Shri Feroze Varun Gandhi**	718

(lxviii)	Special Financial Assistance to the Backward Region of Bundelkhand Bill, 2015 **By Kunwar Pushpendra Singh Chandel**	719
(lxix)	Drought Control and Protection of Farmers of Drought Prone Areas Bill, 2015 **By Kunwar Pushpendra Singh Chandel**	719
(lxx)	Constitution (Amendment) Bill, 2015 *(Amendment of articles 84 and 173)* **By Shri Rajeev Satav**	720
(lxxi)	Medical Consultancy and Other Services (Rationalisation of Fees) Bill, 2015 **By Dr. Manoj Rajoria**	720
(lxxii)	Airlines (Fare Structure) Bill, 2015 **By Shri M.K. Raghavan**	721
(lxxiii)	Railway Security Force Bill, 2015 **By Shri M.K. Raghavan**	721
(lxxiv)	Provision of Financial Assistance (For Upgrading of Hospitals) Bill, 2015 **By Shri M.K. Raghavan**	722
(lxxv)	Cleaning of Rivers (Provision of Financial Assistance) Bill, 2015 **By Shri M.K. Raghavan**	722
(lxxvi)	Food Safety and Standards (Amendment) Bill, 2015 *(Amendment of sections 3 and 65)* **By Shri Chandrakant Khaire**	723
(lxxvii)	Payment of Minimum Wages (for Workers and Others) Bill, 2015 **By Shri Chandrakant Khaire**	723
(lxxviii)	Constitution (Amendment) Bill, 2015 *(Amendment of article 371)* **By Shri Chandrakant Khaire**	724

(lxxix) Prohibition Bill, 2015
By Shri Kodikunnil Suresh 724

(lxxx) Residential Schools (for Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Bill, 2015
By Shri Kodikunnil Suresh 725

(lxxxi) Reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Private Sector Bill, 2015
By Shri Kodikunnil Suresh 725

(lxxxii) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee (Amendment) Bill, 2015
(Amendment of Schedule I)
By Shri Arjun Ram Meghwal 726

(lxxxiii) Constitution (Amendment) Bill, 2015
(Amendment of article 312)
By Shri Arjun Ram Meghwal 726

(lxxxiv) Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation (Amendment) Bill, 2015
(Amendment of section 31)
By Shri Arjun Ram Meghwal 727

(lxxxv) Constitution (Amendment) Bill, 2015
(Amendment of article 338)
By Shri Arjun Ram Meghwal 728

(lxxxvi) Indian Penal Code (Amendment) Bill, 2015
(Omission of section 309)
By Shri Jagdambika Pal 728

(lxxxvii) Rainwater (Mandatory Harvesting and Collection) Bill, 2015
By Shri Jagdambika Pal 728

INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL, 2015
(*Substitution of New Section for Section 377)*
Motion-Negatived 680-687

COMPULSORY VOTING BILL, 2014 730-762

Shri Dadan Mishra 730-737

Shri Udit Raj 734-737

Shri Rabindra Kumar Ray 738-741

Dr. Banshilal Mahto 744-745

Shri Kamakhya Prasad Tasa 746-750

Shri Jugal Kishore 751-753

Shri Bhola Singh 754-755

Shri Kaushalendra Kumar 756-757

Shri Ramen Deka 758-759

Shri Devendra Singh Bhole 760-762

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 764

Member-wise Index to Unstarred Questions 765-769

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 770

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 771

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, December 18, 2015/Agrahayana 27, 1937 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

HON. SPEAKER: Hon. Members, I have received notices of Adjournment Motion from Prof. Saugata Roy, Sarvashri Bhagwant Mann, N.K. Premachandran, Mallikarjun Kharge, Jyotiraditya M. Scindia, K.C. Venugopal and Y.V. Subba Reddy on different issues.

The matters, though important enough, do not warrant interruption of business of the day. The matters can be raised – some matters have already been raised - through other opportunities.

I have, therefore, disallowed all the notices of Adjournment Motion.

… (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Madam, a new turn has taken place.… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You may raise it after the Question Hour and not now.

… (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Madam, please be kind towards the Opposition. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I am sorry. Q. No. 281, Shri Kaushalendra Kumar.

… (*Interruptions*)

11.03 hours

(*At this stage, Shri K.C. Venugopal and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*)

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : क्या हो गया है? आपका इश्यु कल भी आपने उठाया था। रोज़ सेम ही इश्यु नहीं उठाएंगे।

…(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : …[*](व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जो हाई कोर्ट में बोला है, उस मैटर को यहां नहीं उठाएंगे।

…(व्यवधान)

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : मैडम, हाई कोर्ट वाला रेफ्रेंस रिकार्ड में नहीं आना चाहिए। …(व्यवधान)

[*] Not recorded.

11.04 hours

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER : Q. No. 281, Shri Kaushalendra Kumar.

(Q.281)

श्री कौशलेन्द्र कुमार : मैडम, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उससे लगता है कि वे किसानों के प्रति उदासीन हैं। सकल घरेलु उत्पाद, जीडीपी में कृषि क्षेत्र के योगदान महत्वपूर्ण है। किंतु पिछले दो वर्षो से इसमें लगातार कमी आ रही है। इस परिस्थिति में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए केंद्र ने ग्रांट पिछले 9864 करोड़ रूपये से घटा कर 4500 करोड़ रूपये कर दिए हैं। यानि आधे से भी कम कर दिया है। माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ कि कृषि क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि कैसे होगी?

श्री जयंत सिन्हा : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, जिस पर हम लोगों को बहुत विचार करना पड़ रहा है। कृषि संकट इस कारण आया है, क्योंकि बहुत सालों के बाद डेफिशिएंट मॉनसून आया है। सन् 1986-87 में भी डेफिशिएंट मॉनसून आया था। अब हम लोगों को एक बार डेफिशिएंट मानसून का सामना करना पड़ रहा है। खास कर कृषि क्षेत्र में जो हम लोगों ने कदम लिए हैं, वे बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और व्यापक कदम लिए हैं। पहली बात तो यह है कि हम लोगों ने एग्रिकल्चर क्रेडिट को बढ़ाया है, जिसमें कि जो भी साधन हम लोग अपने किसान भाइयों और बहनों को दे सकते हैं, वह हम अवश्य दे रहे हैं। साथ-साथ कृषि सिंचाई योजना का उन्होंने ठीक जिक्र किया है, वहां हम लोगों ने 50 हज़ार करोड़ रूपये का प्रावधान किया है, जो अगले पांच साल में हम लोग खर्च करेंगे। जो उन्होंने आँकड़े उठाए हैं कि अभी हम लोगों ने उसमें 4500 करोड़ खर्च करने इस साल प्रावधान किया है, वह इस पर निर्भर है कि कितने ठीक तरीक से हम लोग इस खर्च को धरातल पर उतार सकते हैं और उसको एडजस्टमेंट करके हम लोगों ने तय किया है कि 4500 करोड़ हम लोग वहाँ खर्च करेंगे।...(व्यवधान) साथ ही साथ हम लोग स्वाइल हेल्थ कार्ड का भी पूरी तरीके से प्रावधान कर रहे हैं।...(व्यवधान) अपने किसान भाइयों और बहनों को कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से हम लोग इसे दिलवा रहे हैं, जिसमें कि वे तय कर पाएं कि सबसे बढ़िया किस तरह की फसल वे उगा सकते हैं और कैसे उत्पादन को बढ़ा सकते हैं।...(व्यवधान)

तीसरी बात यह है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस है, विशेष रूप से जहाँ-जहाँ हम लोगों को अभी उत्पादन की कमी महसूस हो रही है, जैसे प्लसेज में, वहाँ हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस को भी बढ़ाया है।...(व्यवधान) जिससे और लोगों को उसके लिए बढ़ोत्तरी मिले, और लोगों को प्रोत्साहन मिले कि वे पल्सेज का उत्पादन करें।...(व्यवधान) सीरीअल्स का उत्पादन डेफिसिएंट मानसून होते हुए भी काफी अच्छी

तरीके से चल रहा है।...(व्यवधान) साथ-साथ हम लोगों ने यह भी कोशिश की है कि जो एग्रीकल्चरल प्राइस सेटिंग होती हैं, उसको हम लोग लिब्रलाइज करें, इन्पुट्स और एक्स्पोर्ट्स को पूरी तरीके से देखकर हम लोग तय करें कि किस तरीके से किसानों को प्रोत्साहन दे सकते हैं।...(व्यवधान) जो एग्रीकल्चरल प्राइस मार्केटिंग कमोडिटीज एक्ट है, उसमें भी हम लोग काफी कुछ सुधार लाए हैं।...(व्यवधान) जिसमें किसानों को अच्छी रकम मिल सके।...(व्यवधान) कुल मिलाकर डेफिसिएंट मानूसन होते हुए भी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, जिसमें पिछले साल सिर्फ एक परसेंट बढ़ोत्तरी हुई थी, उसमें आज के समय दो परसेंट बढ़ोत्तरी हुई है।...(व्यवधान) चूँकि जो हमारे किसान भाई और बहन हैं, वे डायवर्सिफाइ भी कर रहे हैं, वे देख रहे हैं कि अगर सिर्फ क्रॉप्स के उत्पादन से उनको वह रकम नहीं मिल रही है तो वे लोग लाइव स्टॉक, फिशरीज और डेयरी में डायवर्सिफाइ करके अपना उत्पादन बढ़ा रहे हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मेरा सबसे एक निवेदन है कि कृपया एक बात को सब लोग समझ लेना कि यह सदन जो है, सदन में नियमानुसार ही कुछ कार्यवाही हो सकती है। नोटिस भी कुछ देना हो, कल भी मैंने कहा है, सब्स्टेन्टिव नोटिस होना चाहिए। कोर्ट ने कुछ बात बोली है तो यहाँ स्लोगन देकर नहीं, सालों-साल शासन करने का भी अनुभव है, यह सदन चलाने का अनुभव भी बहुत से लोगों को यहाँ है। रूल्स भी सालों-साल के सीनियर लोगों ने हमसे मिलकर के ही बनाए हुए हैं। काम तो नियम से ही होगा, इसलिए जो भी आप स्लोगन यहाँ दे रहे हो, उस स्लोगन के अनुसार तो सरकार या कोई भी निर्णय नहीं ले सकता है और न ही पार्लियामेंट चल सकती है। आप योग्य प्रकार से नोटिस दें। आप योग्य प्रकार से नोटिस दो, कल भी मैंने यह बोला है, तो उस नोटिस पर विचार हो सकता है, मगर इस तरीके से चिल्लाकर के आप हाउस को डिस्टर्ब करो। मैंने कहा अकार्डिंग टू प्रोसीजर, कल भी बात की थी, रोज-रोज इस प्रकार से देख रहे हैं, हल्ला-गुल्ला करना उचित नहीं है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं इस तरह से अलाऊ नहीं करूँगी। मैंने बोला है कि आप सब्स्टेन्टिव नोटिस दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री कौशलेन्द्र कुमार : महोदया, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, वह किसान हित में नहीं है।...(व्यवधान) माननीय मंत्री जी ने किसानों के हित के लिए उपज बढ़ाने की बात कही है।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Only the hon. Member's question will go on record.

… (*Interruptions*)… *

* Not recorded.

श्री कौशलेन्द्र कुमार : मै माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि विदेशी बीज, जो अत्यधिक महँगा है, जैसे मक्का का बीज 5,000 रूपए किलो मिलता है, प्लाज का बीज 2,000 रूपए किलो मिलता है, गेहूँ का बीज 1,000 रूपए किलो मिलता है।...(व्यवधान) ऐसी परिस्थिति में किसानों के हित के लिए क्या सस्ती दर पर विदेशी बीज देने की कोई व्यवस्था मंत्री जी ने की है?...(व्यवधान)

श्री जयंत सिन्हा : महोदया, किसानों के कई सारे इन्पुट्स होते हैं, जब वे उत्पादन करने के लिए प्रयत्न करते हैं।...(व्यवधान) हम लोग इन सब इन्पुट्स को देखते हैं और जहाँ-जहाँ हम लोग इन्पुट्स में कुछ न कुछ उनको रिलीफ दे सकते हैं, हम लोग जरूर देते हैं।...(व्यवधान) सीड्स के लिए जो उन्होंने कहा है, उन सीड्स में भी चिन्ता हम लोग करते हैं और जहाँ-जहाँ, चाहे वह फर्टिलाइजर हो या बिजली हो या सीड्स हो, इन सबको हम लोग देखकर और मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस देकर हम लोग फिर अपनी नीतियाँ तय करते हैं।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Prof. K.V. Thomas.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : श्री अजय मिश्रा जी।

...(व्यवधान)

श्री अजय मिश्रा टेनी: महोदया, आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।...(व्यवधान) जब से एनडीए की सरकार बनी है, माननीय वित्त मंत्री जी की विभिन्न सकारात्मक योजनाओं के कारण जहाँ जीडीपी में वृद्धि हुई है, वहीं लोगों में सरकार के प्रति विश्वास भी बढ़ा है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, कुल सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है, परन्तु शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई है जिसका एक प्रमुख कारण कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर का कम होना है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है तथा कृषि क्षेत्र में वित्तीय प्रक्रियाएँ सीधे-सीधे प्रारंभ हो सकें, उसके लिए घर-घर तक बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए मोबाइल बैंकिंग प्रदान करने की सरकार की क्या योजना है?

श्री जयंत सिन्हा : अध्यक्ष महोदया, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि हम लोगों ने कई सारे प्रभावशाली कदम लिए हैं जिसमें हम लोग कृषि क्षेत्र में साधन देकर उत्पादन बढ़ाएँ और किसान भाइयों और बहनों की आमदनी को हम लोग आगे बढ़ाएँ। इसके साथ ही जो माननीय सांसद पूछ रहे हैं कि एग्रीकल्चरल क्रैडिट

और मोबाइल बैंकिंग के लिए आप लोग और क्या साधन देने वाले हैं, उसमें भी मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूँ कि जन-धन योजना और मुद्रा योजना के तहत हम लोगों ने बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल क्रैडिट का साधन पहुँचाया है और आज के समय 11 पेमेन्ट बैंक, जिनकी लाइसैंसिंग हुई है, और जो 10 स्माल बैंक्स हैं जिनकी लाइसैंसिंग हुई है, उसके द्वारा और भी कई सारी ब्रांचेज खुल रही हैं। पोस्ट ऑफिसेज़ को भी हम लोगों ने पेमेन्ट बैंक का लाइसैंस दिया है और अपेक्षा है कि जो 1 लाख 25 हज़ार पोस्ट ऑफिस देश भर में फैले हुए हैं, वहाँ भी ए.टी.एम. आएँगे, माइक्रो ए.टी.एम. आएँगे और बैंकिंग सर्विसेज़ पोस्ट ऑफिसेज़ के द्वारा भी उपलब्ध की जाएँगी। इस कारण हम लोगों को पूरी अपेक्षा है कि जो भी एग्रीकल्चरल क्रैडिट मिलना चाहिए, वह सब हमारे किसानों को मिलेगा चाहे वे शहर के पास रहें या बहुत दूर देहात में रहें, पूरी बैंकिंग फाइनैंशियल सर्विसेज़ उन्हें उपलब्ध मिलेंगी।

SHRI K.N. RAMACHANDRAN : Madam, I thank you for allowing me to put this question.

`We all know that the rate of growth of Gross Domestic Product is well related to our industry. Industrial output plays a vital role in the growth of a nation *vis-à-vis* its GDP.

Madam, due to severe rains in Chennai, there is an apprehension that there will be a reduction in the industrial output from the industrial belts in and around Chennai, particularly in the Ambattur Industrial Estate in my Sriperumbudur constituency, which have been ravaged by the recent rains. Though we were in a pathetic condition, yet our hon. Prime Minister and our hon. Minister Shri Venkaiah Naidu declared and announced: “We are with Chennai, not to worry.” For that, we are very happy.

Apart from that, the need of the hour now is survival of the industries in the Ambattur Industrial Estate. Our hon. Chief Minister Amma is taking all the efforts to bring comfort to the people of rain-raved coastal district of Tamil Nadu. Apart from that, I want to know from the Centre whether the Government would come forward to give moratorium on repayment of loans for six months. Will the Government waive excise duty, VAT, Sales Tax? Apart from that, I am asking for

a compensation of Rs.5 lakh for each industry. It is our humble plea to him. That is all.

SHRI JAYANT SINHA: Madam Speaker, we are all most distressed with the tragic floods in Chennai. Our Government has taken a number of swift steps to ensure disaster relief. The hon. Prime Minister has already visited Chennai and assured the hon. Chief Minister that the Central Government would take all necessary steps. The hon. Finance Minister is going tomorrow as well.

As far as financial service is concerned, we have taken a number of emergency steps including the provision of micro ATMs for cash disbursement. We have told the insurance companies to process the claims as quickly as possible, whether they are residential customers or commercial customers who have suffered damages as the hon. Member is suggesting.

As far as insurance as also the provision of financial service is concerned, both of those are done in as expeditiously a manner as possible. In addition to that, we recognize that there are important industrial areas in and around Chennai. Of course, I am sure the State Government will do whatever is necessary to bring them back to full, normal functioning as quickly as possible. The Central Government will assist in all ways possible.

श्री गोपाल शेट्टी : अध्यक्षा जी, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। मंत्री जी ने बहुत सारी विस्तृत में इस विषय के बारे में जानकारी दी है, जब हम जी.डी.पी. की ग्रोथ की बात करते हैं, ग्लोबल मार्केट जब स्लो डाउन हो रहा है, तब भारत देश की विशेषता है कि हम अच्छा कर रहे हैं और आने वाले दिनों में और अच्छा करने की उम्मीद है। हम लोगों ने इन्फ्रास्ट्रक्चर, इण्डस्ट्रियल डैवलपमेंट, रियल एस्टेट, रोड कनैक्टिविटी, एग्रीकल्चर, ये सारे जो माध्यम हैं, जी.डी.पी. को बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन बड़े-बड़े कामों के साथ-साथ, जैसे मेरे पूर्व सदस्यों ने भी बात की कि हमको उन ग्रामीण भागों में और ज्यादा आने वाले दिनों में ध्यान देने की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर मैं कहूंगा तो शहरी भागों में जो डैवलपमेंट प्लान में रोड्स वगैरह बताये हैं, सैण्ट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में जब हम कोऑपरेटिव फैडरेलिज्म की बात करते हैं, ऐसे समय पर भी सैण्ट्रल गवर्नमेंट की ओर से स्टेट गवर्नमेंट और महानगरपालिकाओं को इन सारे रास्तों की जगह स्वीकृत

करने में बहुत बड़ी देरी होती है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में जल्दी से जल्दी इस विषय का निर्णय लेकर जी.डी.पी. को और बढ़ावा कैसे दें, सामान्य लोगों को रोजगार कैसे उपलब्ध हो, इस विषय में तुरन्त पहल करने का प्रयास मंत्री महोदय जी करेंगे क्या?

श्री जयंत सिन्हा: अध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार की नीतियां इस लक्ष्य से चल रही हैं कि हम लोग किसानों की समृद्धि किस प्रकार करें और युवाओं को रोजगार कैसे दिलवायें। गरीबों के उद्धार पर भी बहुत सारी नीतियां हम लोग लाये हैं। इन सब नीतियों से हम लोगों की अपेक्षा है कि पूरे देश के हित में काम करते हुए सब लोगों को लाभ मिलेगा।

खासकर कृषि क्षेत्र के बारे में हम लोगों ने विस्तार से समझाया है कि वे चाहे वह कृषि सिंचाई योजना हो या ग्राम सड़क योजना हो, चाहे वह फर्टीलाइज़र की नीतियां हों या मिनिमम सपोर्ट प्राइस की नीतियां हों, इन सब नीतियों को अगर हम व्यापक रूप से देखें तो हमारी कोशिश यही है, हमारा मकसद यही है कि कृषि क्षेत्र को सबसे ज्यादा हम लोग बढ़ोत्तरी दें। जो एग्रीकल्चरल निवेश है, कृषि क्षेत्र में जो निवेश है, उस पर हम लोग विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं और इसके लिए जैसा मैंने पहले भी समझाया कि कृषि सिंचाई योजना के लिए हम लोगों ने 50 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है और ग्राम सड़क योजना, जिसके लिए हम लोग और पैसे दे रहे हैं, इन दोनों को अगर मिलाकर देखें तो जो कृषि और ग्रामीण विकास पर हम लोग जो ध्यान दे रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि देश को और ग्रामीण क्षेत्रों को बहुत लाभ मिलेगा।

SHRI M.B. RAJESH : Madam, not merely agriculture but the manufacturing sector which is an important element of GDP growth is not performing well for quite some time. This is mainly because of low demand and poor purchasing power of the people. This is also because of falling employment and income. According to the Labour Bureau’s data, the job loss in the last quarter was 43,000. My question, through you, to the hon. Minister is this. What measures have already been taken and proposed to be taken to arrest this trend of falling employment and manufacturing growth? What measures are proposed by the Government to boost both manufacturing and employment?

SHRI JAYANT SINHA: Madam, I would like to just correct some numbers that the hon. Member has mentioned. Actually the manufacturing is doing rather well and in fact, in the last quarter, manufacturing growth was at 9.8 per cent which is

at much higher level than it has been in the last few years. If you look at overall growth rate in the manufacturing sector in comparison to 2011-12 prices, the numbers are – in Q1 – 7.2 per cent; and then, this year - 9.8 per cent.

In the first half, manufacturing has grown at 8.2 per cent. Manufacturing is growing because our Government has taken very important steps to boost manufacturing. Starting of course with `Make in India' which has attracted a lot of FDI in India which has led to a lot of investment in the manufacturing sector, and boosted employment.

In addition, the steps that we have taken in regard to `Ease of Doing Business' have improved India's ranking in the world from 142 to 130. Of course, it has shown a very positive momentum in various States that are also focusing on `Ease of Doing Business'. They have also attracted manufacturing investments. I would also like to emphasize that if you actually look at the numbers of GDP growth rate, you will find that capital goods and consumer durables both of which are driven by manufacturing have also shown very good growth and in particular numbers of passenger vehicles and commercial vehicles have also gone up dramatically.… (*Interruptions*)

So, overall I would say the manufacturing sector is doing well. It is proceeding forward quite robustly and, in fact, that is also demonstrated in our share of global exports. Even as our exports have come down, our share of global exports has remained steady because our manufacturing sector today is quite competitive globally.… (*Interruptions*)

(Q.282)

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : अध्यक्षा जी, आयुष का मतलब ही आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी है।...(व्यवधान) आयुर्वेद का प्रथम उद्देश्य है - स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम्।...(व्यवधान) मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा इसका पहला अभियान है।...(व्यवधान) इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आयुष की इन पांचों पैथियों की दिशा में हमने देश के नागरिकों को स्वस्थ रखने के लिए कौन-सी स्वास्थ्य नीति बनायी है?...(व्यवधान) देश में उसके व्यापक प्रचार-प्रसार और क्रियान्वयन की क्या नीति बनाई है?...(व्यवधान) जिस तरीके से हार्वर्ड विश्वविद्यालय का एक शोध-पत्र निकला है, जिसमें कहा गया है कि आयुष की दवाइयों में भारी धातु है और अमेरिका, कनाडा जैसे तमाम देशों ने इसके उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया है, तो इसके बारे में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश में आयुष पद्धति को बढ़ावा देने के लिए और उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए क्या अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना उसी सीमा तक की गयी है?...(व्यवधान) उनकी संख्या क्या है?...(व्यवधान) उनमें क्या-क्या शोध हुए हैं, किस-किस विषय में हुए हैं और किन-किन औषधियों पर हुए हैं?...(व्यवधान) उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कारगर कदम उठा रही है?...(व्यवधान)

श्री श्रीपाद येसो नाईक : माननीय अध्यक्ष महोदया, आयुष मंत्रालय पांचों पैथियों - आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी - को बढ़ावा देने के लिए दो तरह से काम कर रहा है।...(व्यवधान) एक तो यह है कि आयुष की जो सेन्ट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसके तहत हमने 'नेशनल आयुष मिशन' फ्लोट किया है और इसी मिशन के जरिए इन्हीं पांचों पैथियों का विकास करने का प्रावधान किया गया है।...(व्यवधान) दूसरा यह है कि जो सेन्ट्रल सेक्टर के स्कीम्स हैं, उसके तहत हमारे पास आठ स्कीम्स हैं और उनके जरिए हम आयुष को बढ़ाने का काम कर रहे हैं।...(व्यवधान)

महोदया, हेल्थ स्टेट का विषय है।...(व्यवधान) इन्हीं दोनों मुख्य स्कीमों द्वारा हम राज्यों से प्रोपोजल मंगवाते हैं।...(व्यवधान) उन्हें जो कुछ चाहिए, वे इन्हीं सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम और सेन्ट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में से प्रोपोजल भेजते हैं और हम उन्हें वित्तीय मदद करते हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ये सब माननीय सदस्य बाह्य-वर्तन कर रहे हैं। सब के नाम नोट कर के रखे जाएं।

...(व्यवधान)

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि जनवरी, 2005 से पूर्व बहुत कम स्थानों पर, बहुत कम विषयों में आयुष पद्धति में स्नातकोत्तर (एम.डी.) की सुविधा उपलब्ध थी?...(व्यवधान) यदि हां, तो आयुष की शैक्षणिक

संस्थाएं हैं, उसमें सी.सी.आई.एम. और सी.सी.एच. ने क्या अपने मानकों में शिथिलता दी है?...(व्यवधान) यदि उन्होंने कोई शिथिलता दी है, तो क्या दी है?...(व्यवधान) यदि कड़े मानक बनाए हैं, तो वर्ष 2005 के बाद जो अंधाधुंध महाविद्यालयों को स्वीकृति क्यों दी गयी?...(व्यवधान) एक ओर तो एम.डी. नहीं हैं और दूसरी ओर बड़ी तादाद में उन महाविद्यालयों को स्वीकृति दी गयी, तो उन सभी महाविद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था को पूरा करने के लिए ऐसे क्या उपाय किए गए हैं?...(व्यवधान) क्या इनके मानकों को पुनः स्थापित किया जाएगा?...(व्यवधान) यदि नहीं तो क्यों?...(व्यवधान) क्या मंत्री जी यह जानते हैं कि जो फार्मेसी आयुर्वेद की दवाइयाँ हैं, होम्योपैथी की दवाइयाँ हैं, वे जनरल स्टोर से लेकर परचून की दुकान तक में मिल जाती हैं? ...(व्यवधान) इस कारण अविश्वसनीयता के साथ-साथ उस पैथी पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। ...(व्यवधान) क्या एलोपैथी की तरह आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक की दवाइयों के वितरण और उसके लाइसेंस के लिए फार्मेसिस्टों को लाइसेंस देने की व्यवस्था करेंगे? ...(व्यवधान) यदि करेंगे तो कब तक और नहीं करेंगे, तो क्यों नहीं? ...(व्यवधान)

श्री श्रीपाद येसो नाईक : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो बात उठाई है, उसके संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास दो काउंसिल हैं, सी.सी.आई.एम. है और सी.सी.एच. होम्योपैथिक की काउंसिल है। ...(व्यवधान) जो मानक और रूल इन दोनों में हैं, उसी के मुताबिक शैक्षणिक संस्थाओं को परमीशन देने के बाद उन्हीं मानकों द्वारा करती है। ...(व्यवधान) आपने देखा होगा कि जहां कुछ इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी है या जहां फैकल्टी की कमी है या और कुछ कमी है, जब तक वह कमी पूरी नहीं होती है, तब तक उनको हम परमीशन नहीं देते हैं।...(व्यवधान)

माननीय सांसद का दूसरा प्रश्न है कि आयुर्वेदिक या हमारी पैथी की दवाएं सारी दुकानों में भी उपलब्ध हैं। ...(व्यवधान) हमारे पास अब तक इस संबंध में रूल नहीं है। ...(व्यवधान) जैसा कि माननीय सदस्य ने मांग की है, तो मैं बताना चाहूंगा कि इसके संबंध में एक एक्ट बनाने पर हम विचार कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़ : अध्यक्ष महोदया, आयुर्वेद के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से मदद करता है। ...(व्यवधान) पंथ प्रधान सहायता निधि से कैंसर जैसे रोगों में रोगी की आर्थिक सहायता करते हैं। ...(व्यवधान) आयुर्वेद में भी कैंसर जैसे हैंड्रेड परसेंट क्लियर करने वाली आयुर्वेद की मेडिसिंस या ट्रीटमेंट, जो हैंड्रेड परसेंट सक्सेज हुईं, ऐसी आपके पास रिपोर्ट है। ...(व्यवधान) क्या प्रधानमंत्री सहायता और आरोग्य मंत्री सहायता निधि से आयुर्वेद के मरीजों को भी सहायता देंगे? ...(व्यवधान)

श्री श्रीपाद येसो नाईक : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने सहायता का प्रश्न पूछा है। ...(व्यवधान) जो सहायता मिलती है, वह प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से मिलती है। ...(व्यवधान) हमने प्राइम मिनिस्टर को लिखा भी है, कहा भी है कि इस तरह की सहायता आयुर्वेद के उपचार के लिए भी उनके कोष से हो। ...(व्यवधान)

DR. RAVINDRA BABU: Thank you very much, Madam, for giving me this opportunity. In Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha etc., there is administration of some medicine somewhere or the other. … (*Interruptions*) Whereas, there is an Indian Acupuncture medical system wherein there will be no administration of any medicine; there will be no side effects. … (*Interruptions*) They usually give the treatment by Acupuncture or by Acupressure which is relieving a lot of small ailments like backache, sciatica, cervical pain etc. … (*Interruptions*) I already made a request to the Minister to include Acupuncture also as a part of AYUSH so that it will become AAYUSH.

I would request the hon. Minister, through you, hon. Madam, to include Acupuncture also in the AYUSH so that our native medicines also will get a lot of fillip and encouragement in the international area. It has already gone to China; it has become very popular.… (*Interruptions*) Please include Acupuncture also in the AYUSH.… (*Interruptions*)

श्री श्रीपाद येसो नाईक : अध्यक्ष जी, आज तक आयुष में केवल पांच पैथी हैं। ...(व्यवधान) इसमें आयुष है, योगा नेचुरोपैथी है, यूनानी सिद्धा और होम्योपैथी है। ...(व्यवधान) ऐसी बहुत सी पैथी और उसके रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आए हुए हैं, लेकिन इनका इनक्लूजन आयुष में अब तक नहीं हुआ है। ...(व्यवधान) निश्चित तौर से डिटेल में जाकर इसके ऊपर विचार कर सकते हैं। ...(व्यवधान)

SHRI A. ARUNMOZHITHEVAN: Thank you, Madam. The recent rejection and wide coverage regarding rejection of Ayurvedic treatment in Defence Forces has sent out a wrong message with regard to the Ayurvedic treatment and has created discouragement. … (*Interruptions*) Hon. Amma's Government has been popularizing Ayurvedic treatment in the State of Tamil Nadu. The Ayurvedic medicines are being provided to the pregnant women …. (*Interruptions*) The

Siddha Wing of the Health Department is providing 'Nilavembu kashayam' for Dengue prevention throughout the State. The Health Department has been providing herbal medicines through Government hospitals and primary health centres across the State of Tamil Nadu.

I would like to know from the hon. Minister whether the Government has any plan to further popularise the AYUSH in the country.

श्री श्रीपाद येसो नाईक : माननीय अध्यक्ष जी, जैसा हमने कहा कि आयुष को बढ़ावा देने का काम हम स्कीमों द्वारा करते हैं।...(व्यवधान) फलतः यह राज्य का विषय है।...(व्यवधान) हमारा काम उनको आर्थिक मदद देने का है।...(व्यवधान) राज्य सरकारों को जो कुछ चाहिए, उनका प्रपोजल जब तक हमारे पास नहीं पहुंचेगा, तब तक हम उनकी मदद नहीं कर सकेंगे। ...(व्यवधान) दोनों स्कीमों की तरह, आयुष सेन्ट्रल स्कीम हो या स्पॉन्सर्ड स्कीम हो, आप अपना प्रपोजल भेज दिजिए, हम उसके ऊपर विचार करेंगे।...(व्यवधान)

श्री थुपस्तान छेवांग : अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले मैं मंत्री जी का आभारी हूं कि पूरे हिमालयन क्षेत्र में जो एक ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम प्रिवलेंट है, उसको उन्होंने आयुष में रिकॉग्निशन दिया है।...(व्यवधान) यह सिस्टम 'सोवा रिग्पा' के नाम से जाना जाता है। ...(व्यवधान) लद्दाख में इसका पूरा प्रचलन है। ...(व्यवधान) यह अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम, पार्ट ऑफ उत्तराखंड एंड पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है।...(व्यवधान) मंत्री जी ने उत्तर में यह कहा है कि आयुष का मतलब आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी है।...(व्यवधान) ऑलरेडी 'सोया रिग्पा' को जो जोड़ा गया है, आयुष में रिकॉग्निशन हो गया है।...(व्यवधान) तो एक और 'एस' आयुष में जुड़ना चाहिए। ...(व्यवधान) ताकि 'सोवा रिग्पा' को महत्व मिले।...(व्यवधान) मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि 'सोवा रिग्पा' को रिकॉग्निशन मिलने के बाद भी इसके लिए अभी तक ज्यादा सहायता नहीं मिल पायी है।...(व्यवधान) जिस प्रकार से कश्मीर यूनिवर्सिटी में यूनानी के रिसर्च के बारे में आपके उत्तर में कहा गया है।...(व्यवधान) लद्दाख जो 'सोवा रिग्पा' का सेन्टर बनेगा, उसी तरह क्या सरकार इसी प्रकार की रिसर्च इंस्टीटूट की स्थापना वहां पर करेगी?...(व्यवधान)

मैं मत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने आयुष मिशन के तहत जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को भी नॉर्थ-ईस्ट स्टेट की तरह 90 : 10, जो आयुष के फंडिंग का पैटर्न है, उसकी तरह किया है। ...(व्यवधान) मैं आशा करता हूं कि 'सोवा रिग्पा' को भी उसी तरह से पूरी सुविधा दें, जिस तरह से आयुष के बाकी जो वैद्य हैं, उनको दिया गया है।...(व्यवधान)

श्री श्रीपाद येसो नाईक : अध्यक्ष महोदया 'सोवा रिग्पा' का काम चालू है।...(व्यवधान) मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि अभी इसकी फॉर्मलिटी पूरा होना है।...(व्यवधान) इसके रिकॉग्निशन का जो विचार है, वह अभी आगे बढ़ा है।...(व्यवधान) जब उसको रिकॉग्निशन मिलेगा, तभी माननीय सदस्य जी ने जो मांग की है, जहां-जहां 'सोवा रिग्पा' का लोग उपयोग करते हैं, वहां-वहां हमारी ओर से इंस्टीटूशन और कुछ रिजनल संस्थाओं के लिए प्रयास किया जायेगा।...(व्यवधान)

(Q.283)

श्री हुकुम सिंह : माननीय अध्यक्ष जी मैं मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बड़े विस्तार से उत्तर दिया है।...(व्यवधान) लेकिन निराशाजनक बात यह है कि अभी भी देश की आजादी के इतने सालों के बाद भी महिलाओं की जो स्थिति देश में है, वह अत्यंत निराशाजनक है।...(व्यवधान) मैं कुछ आंकड़े पेश करके मंत्री जी से जानकारी चाहूंगा कि उस दिशा में वह क्या कार्रवाई कर रही हैं?...(व्यवधान) आपने पहले पैराग्राफ में कहा है कि वर्ष 2014 की अपेक्षा जब हम 'ग्लोबल जेंडर गैप इंडैक्स' में 114वें नम्बर पर थे, लेकिन अब हम उसमें 108वें नम्बर पर आ गये हैं।...(व्यवधान) क्या यह संतोष की बात है? ...(व्यवधान) आज हम 'ग्लोबल जेंडर गैप इंडैक्स' के 145 देशों में 108वें स्थान पर आये हैं।...(व्यवधान) राजनीतिक भागीदारी में महिलाओं की संख्या बढ़ने के कारण आप पांच रैंक नीचे आये हैं।...(व्यवधान) यानी शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई कोई उन्नति नहीं हुयी है।...(व्यवधान) दूसरी बात यह है कि जितने भी आंकड़े हैं, वे बहुत ही निराशाजनक हैं। ...(व्यवधान) महिलाओं के विरुद्ध अपराध बढ़ते जा रहे हैं।...(व्यवधान) हमारा काम केवल इतना है कि हम कुछ कानून बना देते हैं।...(व्यवधान)

मैं कहना चाहता हूं कि ब्रिक्स में भी 5-6 देश हैं जिनमें हमारी हालत चिन्ताजनक है, सब देश हमसे आगे हैं।...(व्यवधान) मैं मंत्री जी से जानकारी चाहता हूं कि इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कि आज विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में महिलाओं के बारे में इतनी उपेक्षा कैसे आई, आपने जो कदम उठाए हैं, क्या वे महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए पर्याप्त हैं?...(व्यवधान) अगर वे पर्याप्त होते तो आज आप यह न कहते कि हम 114 से घटकर 108 पर आ गए हैं।...(व्यवधान) आपको कहना चाहिए कि हम दूसरे, चौथे नम्बर पर हैं।...(व्यवधान)

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: I agree with him that the condition of women is not good. In the last so many years, very little has been done to redress the condition of women. … (*Interruptions*) In fact, even when this Ministry was made, it was downgraded and it was not really taken very seriously. … (*Interruptions*) The Prime Minister has taken this Ministry … (*Interruptions*) and this is the first time, this Ministry took Cabinet Minister. … (*Interruptions*)

More than that, I would like to tell the hon. Member of Parliament what we have done. When we inherited the situation, we were number 108. … (*Interruptions*) In the next two years when the next survey comes, I assure him that we will have done much better. … (*Interruptions*)

One of the things that we have done for women's gender disparity is to start at school level. At school level, a new thing has been introduced in schools and colleges called 'Gender Champion'. … (*Interruptions*) It is not only being introduced in textbooks but children who have behaved well towards women will be awarded for being gender champions. … (*Interruptions*)

Then, this Government has put 33 per cent of women in the Police Force. Seven States and all the UTs have put 33 per cent and every single other State has promised that they would be doing it. … (*Interruptions*) This will go a long way in the protection of women and in preventing crimes against women.

We have also made a new thing, which will go into first by next month, which is Special Police Volunteers. … (*Interruptions*) One girl, over the age of 21 and having finished her 12th Standard is appointed in every village, and her job is to keep an eye on any crime, potential crime against women, from wife beating to eve teasing to molestation. … (*Interruptions*) In fact, it also means keeping an eye on parents who are preventing the girl children from going to school, on malnutrition being deliberately created by giving women and girls less food. … (*Interruptions*) So, the Special Police Volunteers will go a long way.

Then, we have women's helpline coming in for the first time. That is being put in various States and then it will be universalised. … (*Interruptions*) We have a new thing, Madam, which I would like to tell you about, which is being just decided and in the last week it is agreed to. … (*Interruptions*) Every cell phone in India will have an in-built panic button. Now, all the new cell phones will be made with panic buttons. But in the case of all the old cell phones you can go to the person who owns the company or the dealer and they will adjust it for you so that there are no apps or nothing in the hardware of the cell phone. … (*Interruptions*) If a woman is in trouble, she can just press the button on the cell itself and she will get immediate help. … (*Interruptions*)

We also have something called Village level Convergence and Facilitation Centres in 15 districts so far. These Convergence Centres have two people at each

Centre teaching with what are their rights and how they can make money … (*Interruptions*) to help them and to protect them. … (*Interruptions*) We are extending this Scheme to all 100 *Beti Bachao* areas. … (*Interruptions*) We chose 100 of the worst districts in the country against women. … (*Interruptions*) We have for one year running intensive campaign and I have to say that the figures at the end of one year are looking extremely good. … (*Interruptions*) So, we are doing much better than ever done for women. I am happy to inform the Member that let him ask this question two years from now, then, we will give him much better figures.

श्री हुकुम सिंह : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी द्वारा उठाए गए कदम स्वागतयोग्य हैं, आपने बहुत अच्छी योजना बनाई है …(व्यवधान) लेकिन योजनाएं पिछले 50 सालों से बनती आ रही हैं, कई योजनाएं आईं, आखिर योजनाएं कारगर क्यों नहीं हो पातीं, इस पर विचार किया जाना चाहिए। …(व्यवधान) मैं ज्यादा समय न लिए बिना एक उदाहरण देना चाहता हूं। …(व्यवधान) पिछले महीने मैं अमेरिका गया था, …(व्यवधान) मुझे वहां की एक संस्था को संबोधित करने का अवसर मिला। …(व्यवधान) वहां रह रही भारतीय महिला ने अपनी पीड़ा सुनाते हुए कहा कि हम कैसे भारत जाएं, वहां सात साल की बच्चियों के साथ बलात्कार होता है …(व्यवधान) वहां कोई भी सुरक्षित नहीं है। …(व्यवधान) देश के बारे में परसेप्सन बन गया कि देश में कोई महिला या बच्ची सुरक्षित नहीं है। …(व्यवधान) हम लोगों ने महिला थाने भी बना दिए, महिला थानों की संख्या बढ़ती गई, अपराधों की संख्या भी बढ़ती गई, हरासमेंट भी बढ़ती गई, यह बहुत ही शर्म की बात है …(व्यवधान) जेंडर अनुपात में केवल दो ही देश अर्मेनिया और चीन हमसे नीचे हैं। …(व्यवधान) 145 देशों की सूची में हमारा नम्बर 143वां है। हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि केवल कदम उठाने काम से काम नहीं चलेगा, उन कदमों का पालन होता है या नहीं होता है …(व्यवधान) हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए। हमने योजना बना देते हैं और यह सोच लेते हैं कि योजना कामयाब हो जाएगी, …(व्यवधान) इसकी समीक्षा नहीं की जाती कि योजना का लाभ हुआ या नहीं। …(व्यवधान) अभी तक महिलाओं की उन्नति के लिए जितने भी कदम उठाए गए हैं, …(व्यवधान) महिलाओं की रक्षा के लिए, महिलाओं की उन्नति के लिए, जन्म-दर के विकास के लिए क्या आप इनकी समीक्षा करने की कृपा करेंगी और इनमें खामियों को दूर करने का प्रयास करेंगी। …(व्यवधान) केवल कानून बना देने से काम नहीं होगा। …(व्यवधान)

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: Madam, I am happy that the hon. Member is worried about Indian women in the US complaining about rape figures in India. In actual fact, rape figures in India are amongst the lowest in the world and they are much lower than rape in the United States and in Europe which are not just ten times higher but over a hundred times higher. So, those Indian women should be worried about the violence in those countries that they have adopted rather than in India.

Secondly, we have started something new 'One Stop Crisis Centres". We have set up ten centres. We are aiming for 660 centres. All those ten centres that have been started are doing extremely well. Over 200 women come during the week. Each one of them has a problem. We give them free medical help, free legal help, police help, lawyers help and they have become deterrence to crime in those areas. We have been monitoring daily. It is not weekly, it is not monthly, it is a daily monitoring of all ten centres as to what they do and what crimes come to them. If we can get these done in every district that is in 660 districts, they will go a long way.

The hon. Members has said that *Mahila* Police Stations do not work. It is probably true that *Mahila* Police Stations do not work because as usually, those *mahila* police stations are at present one per district and it is secluded in one centre. We have started a new thing which 33 per cent of all police people, if they are women, then, you would not need to have *Mahila* Police Stations because in every police station, a *mahila* assistant will be there. That will go much better.

HON. SPEAKER: Shri K. Raghavan – not present. Shri Rabindra Kumar Jena.

SHRI RABINDRA KUMAR JENA: Thank you so much Madam for giving me an opportunity to ask a supplementary question.

Madam Speaker, I think after independence this is the first time in Lok Sabha where we have got the highest ever representation of women to the extent of 12.2 per cent. So, irrespective of all the criticisms, this is the highest ever. Not only this, the women representation in the Union Cabinet is 22 per cent this time

vis-à-vis nine per cent during the last term. So, this is something positive which is coming.

Madam Speaker, having said that, the point of worry is that India still continues to rank 130 out of 155 countries in Gender Inequality Index. Even our position is much worse than countries like Pakistan and Bangladesh. Several factors are contributing to this. One of the factors that is contributing to this is higher education for women.… (*Interruptions*) The percentage of our women who have higher education, even up to the secondary level, is only 27 per cent compared to 34 per cent in Bangladesh. So, my specific question to the hon. Minister, through you, is this.… (*Interruptions*) Is the Government coming up with some specific concrete action plan to see that women get higher education in a much bigger number so that the issue can be addressed to a large extent?… (*Interruptions*)

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: Actually, it does not come under my Ministry. But yes, बहुत सारी स्टेट्स में स्कीम शुरू की गयी है. ताकि लड़कियां आगे पढ़ें। …(व्यवधान) उन स्कीमों में बंगाल सबसे आगे है। मध्य प्रदेश और राजस्थान ने बहुत ही अच्छा काम किया है। …(व्यवधान) इसमें हर एक लड़की को स्कूल जाने के लिए पैसा दिया जाता है। …(व्यवधान) हम लोगों ने एक नयी स्कीम शुरू की है, जिसमें हर पंचायत में जो भी महिला सरपंच बनी है …(व्यवधान) नैशनल कमीशन फॉर वूमैन को बोला गया है और हमने स्कीम बनायी है। …(व्यवधान) अभी-अभी 2 लाख के करीब नये सरपंच बने हैं और उन सरपंचों को हम ट्रेंड करेंगे कि किस तरीके से गांव को चलाया जाता है, किस तरीके से पैसे मांगे जाते हैं और किस तरीके से औरतों की रक्षा की जाती है। …(व्यवधान) अगर हम इस बारे में सरपंचों को ट्रेंड करें, तो गांव में जो लड़कियां अपने आपको सुरक्षित नहीं समझती …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी को कोई पानी पिला दीजिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइये।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह सही बात है, मगर उनकी समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने नियम नहीं पढ़े हैं, इसलिए अब हम भी क्या करें?

…(व्यवधान)

श्रीमती मेनका संजय गांधी : अध्यक्ष महोदया, मैं माफी चाहती हूं। …(व्यवधान) जैसे मैंने कहा कि हम सरपंचों को ट्रेनिंग देंगे। …(व्यवधान) उसके ऊपर जो सरकारी स्कीम्स शुरू हुई हैं, जिसके तहत लड़कियों को पैसा देंगे। …(व्यवधान) If they join college, if they go ahead, then those schemes are also being recommended by us.

माननीय अध्यक्ष : सौमित्र खान, आप बहुत शार्ट में प्रश्न पूछिये।

…(व्यवधान)

श्री सौमित्र खान : मैडम स्पीकर, भारत माता का देश महिलाओं का देश है। …(व्यवधान) I would like to inform you that in unreserved compartments, there is sexual harassment of women passengers by other passengers.… (*Interruptions*) In this regard, I would like to know whether the Ministry has taken up this matter with the Ministry of Railways or not, and if yes, please give me the details. मैं पूछना चाहता हूं कि जो अनरिजर्व्ड रेलवे कम्पार्टमैंट हैं। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप रेलवे के बारे में प्रश्न पूछ रहे है। I am sorry.

…(व्यवधान)

श्री सौमित्र खान : रेलवे में महिलाओं का जो सेक्ससुली हरासमैंट होता है, उस बारे में आपने क्या रेलवे से कुछ बात की है? …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह सजैशन है कि आप रेलवे से बात कीजिए। यह प्रश्न मूल प्रश्न से संदर्भित नहीं है।

…(व्यवधान)

(Q. 284)

SHRI P. KARUNAKARAN: Madam, from the answer given by the hon. Minister, it is very clear that a large number of posts are vacant at different times and also in various categories. In the year 2013-14, there were 3,000 posts vacant. In the year 2014-15, it has increased to 8,000. In 2014-15, in clerical posts, there are about 14,000 posts vacant.

Madam, I would like to know from the hon. Minister whether it is possible to function satisfactorily especially for the public sector banks without having the actual strength. I would also like to know whether these banks are employing contract workers on the vacant posts.… (*Interruptions*)

SHRI JAYANT SINHA: Madam Speaker, I would like to just explain these numbers a little bit better so that the hon. Member understands exactly how vacancies are filled in the public sector banks. … (*Interruptions*)

Hon. Member is correct to point out that in the year 2014-15 the recruitment numbers were a little bit below the vacancies that were available at that time. However, these vacancies are carried forward every year. What happened in 2015-16, the banks set down, they did their workforce planning and their vacancies were carried forward. On the basis of those carried forward vacancies, the automation, the productivity benefit of new technology and so on, they estimated that there would be 21500 vacancies as far as officers are concerned and 37039 vacancies as far as clerical staff is concerned. … (*Interruptions*)

The allotment that has been done through IBPS this year takes into account exactly what the indents are coming from the public sector banks and more than meets them. So the backlog of last year has been included in the requirements for this year and the requirements for this year are exceeded by the allotment that is being done for them. So, whatever vacancies that might have been created last year have been fulfilled this year. … (*Interruptions*)

SHRI P. KARUNAKARAN: Madam, in almost all the public sector banks the number of clerical staff and sub staff is higher than the officers. But in IDBI, which is also a Government owned bank, out of 16505 total staff, the number of officers is 14473, which is a huge number. At the same time, the clerical staff and sub staff comes only to 2082. … (*Interruptions*)

Madam, the business has increased by 53 per cent; the number of branches has increased by 143 per cent; officers strength has increased by 51 per cent but at the same time the clerical strength has decreased by 21 per cent. What is the justification for that? I want to know whether there is any other method the banks are adopting to fill up the vacancies by other workers. … (*Interruptions*)

SHRI JAYANT SINHA: The public sector banks have managerial autonomy in terms of the human resource policies. These are large institutions that are board managed. They do their workforce planning with great diligence and thoroughness and they come up with what their estimates are with respect to various positions that they need to fill. So, we have to trust their judgement and their autonomy in making these decisions. … (*Interruptions*)

I would also like to explain to the hon. Member that because of productivity improvements, because of all the job creations that are being done through Banking Mitras, through our people that are developing technology for these banks, there is significant job creation happening as well. We should leave it to these well-managed and very capable institutions to decide for themselves what the appropriate HR policy should be. … (*Interruptions*)

श्री आनंदराव अडसुल: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने जनधन योजना एनाउंस की तो देश की जनता ने बहुत साथ दिया। यहां तक कि 19 करोड़ परिवार, जिन्होंने कभी बैंक नहीं देखा था, बैंकों में खाता खोला। 25,000 करोड़ से ज्यादा राशि बैंकों में जमा हुई। मेरा स्वयं का अनुभव है, मैंने अपने चुनाव क्षेत्र अमरावती में ट्राइबल एरिया में देखा कि हर ब्रांच में 1000-2000 आदिवासी अपना पैसा निकालने के लिए आए थे। नरेगा और अन्य स्कीमों के तहत इन लोगों को पैसा मिलता है। 1000-2000 रुपए लेने के लिए इन लोगों को वहां दो-तीन दिन रहना पड़ता था।

महोदया, मेरे सुझाव देने के बाद वहां एटीएम लगा दिया गया और लोगों को थोड़ी राहत मिली लेकिन माननीय मंत्री जी को यह बात माननी पड़ेगी कि हमारी पब्लिक सैक्टर बैंक की शाखाओं की कमी है और हर शाखा में दो लोगों से ज्यादा का स्टाफ नहीं है। यह बात भी सही है कि हर जगह हमारी टेक्नोलोजी नहीं पहुंची है। बैंक शाखाओं का ज्यादा विस्तार करना जरूरी है और साथ-साथ ज्यादा स्टाफ की रिक्रूटमेंट करने की भी जरूरत है, ऐसा मंत्री जी जरूर मानते भी होंगे। मंत्री जी की तरफ से स्पेसिफिकली यह उत्तर नहीं आया है कि क्या वे स्टाफ की भर्ती करने वाले हैं या नहीं और अगर स्टाफ की भर्ती करने वाले हैं तो कब करने वाले हैं?

श्री जयंत सिन्हा : अध्यक्ष जी, हर साल 38 हजार कर्मचारी पब्लिक सैक्टर बैंक्स से रिटायर होते हैं और 60 हजार से ज्यादा लोगों की भर्ती की जाती है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि पब्लिक सैक्टर बैंक्स के कर्मचारियों में बढ़ोतरी हो रही है। माननीय सांसद यह बात सही कह रहे हैं कि आज भी एटीएम और बैंक शाखाओं की कमी है। हमारा देश बहुत बड़ा है और जन-धन योजना के कारण लोगों की मांग और बढ़ गई है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि स्माल बैंक्स के तहत और पेमेंट बैंक्स के तहत जितने हम एटीएम, माइक्रो एटीएम, बैंकिंग मित्र, बिजनेस कोरस्पोंडेंस, बैंक शाखाओं को हम फैला दें, जिससे कि सभी लोगों को सुविधा मिल सके।

जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हमारी कोशिश है कि पोस्ट आफिसिस के माध्यम से, जहां एक लाख पच्चीस हजार पोस्ट आफिसिस हैं, इन सभी में एटीएम और माइक्रो एटीएम आ जाएं क्योंकि हर गांव में पोस्ट आफिस दो, तीन या चार किलोमीटर की दूरी पर हैं इसलिए कुछ सालों में जब पोस्ट आफिसिस में एटीएम और माइक्रो एटीएम आ जाएंगे तो लोगों को जिस समस्या का सामना आज करना पड़ रहा है, वह समस्या का समाधान हो जाएगा।

डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे : महोदया, आपने मुझे प्रश्नकाल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूं। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि मेरे स्वयं के जिले में सरकारी बैंकों में 206 वैकेंसीज खाली हैं। मुद्रा योजना हो, फसल बीमा का वितरण हो या किसानों को कर्जा देने का मामला हो, जब भी हम लोक प्रतिनिधि होने के नाते बैंक से पूछताछ करते हैं तो हमें यह जवाब मिला है कि स्टाफ की शार्टेज है। इस वजह से काम स्टिपुलेटिड टाइम में पूरा नहीं हो पा रहा है।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि इन वैकेंसीज को भरने का सरकार का क्या प्रयोजन है? इस प्रश्न के साथ मैं एक सुझाव देने का साहस करना चाहती हूं कि बैंकों के जिन कामों में तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे कामों के लिए क्या हम गांवों में से लोकल लोगों को ट्रेनिंग देकर

कांट्रेक्ट बेसिस पर भर्ती कर सकें ताकि कुछ हद तक रोजगार की समस्या का समाधान हो सके और बैंकों के काम की स्पीड भी बढ़ जाएगी। इसके साथ-साथ बैंकों पर स्थायी भर्ती का बोझ भी नहीं पड़ेगा। क्या इस संबंध में सरकार कुछ निर्देश दे सकती है?

श्री जयंत सिन्हा : महोदया, मैं माननीय सांसद को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उनका सुझाव बहुत अच्छा है। आज के समय में हम बैंकिंग मित्रों के साथ यही प्रयत्न कर रहे हैं कि बैंकों में अगर स्टाफ की शोर्टेज है, वहां अस्थायी तौर पर लोगों को जोड़ा जाए ताकि उन्हें रोजगार मिले और साथ ही साथ लोगों का बैंक में काम जल्दी हो सके।

जैसा मैंने पहले भी कहा है कि हर बैंक तय करता है कि कितने लोगों की भर्ती की जानी है। यह आंकड़ा आई.वी.पी.एस. के पास आता है। इस इंडेंट के माध्यम से तय होता है कि जो भी वैकेंसीज खाली हैं, उन्हें किस तरह से पूरा किया जाए।

(Q.285)

श्री विद्युत वरन महतो : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने विस्तारपूर्वक प्रश्न का उत्तर दिया है।

महोदया, विश्व के करीब 150 देशों में हेपेटाइटिस-बी का वैकसीन दिया जाता है, लेकिन भारत में पिछले कुछ सालों से ही शुरू हुआ है। हमारे देश के काफी हिस्सों में आज भी टीकाकरण का अभियान पूरी तरह से नहीं चल रहा है खास कर झारखंड के ग्रामीण इलाकों में युवाओं को इसकी जानकारी बहुत कम होने के कारण उन्हें अंतिम समय में इस बीमारी के संक्रमण का पता चल पाता है। इसके परिणामस्वरूप उनका लीवर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है और स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस बीमारी की रोकथाम हेतु तथा खास कर युवाओं में इस बीमारी द्वारा संक्रमण रोकने हेतु सरकार क्या क़दम उठा रही है? क्या सरकार हेपेटाइटिस-सी के संक्रमण से बचने हेतु कोई शोध कर रही है और यदि सरकार किसी तरह का शोध कर रही है तो मंत्री जी सदन को जानकारी दें?

12.00 hours

श्री जगत प्रकाश नड्डा : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने बहुत ही रिलेवेंट प्रश्न पूछा है। …(व्यवधान) जहाँ तक हिपेटाइटिस ए और ई का सवाल है, यह पॉलुटेड वाटर पीने के कारण होता है। …(व्यवधान) इसलिए हमारा प्रयास है कि रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को इम्प्रूव किया जाए और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड ड्रिंकिंग वाटर इसे देख रही है। …(व्यवधान)

जहाँ तक इम्यूनाइजेशन का सवाल है, …(व्यवधान) तो हिपेटाइटिस बी के लिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम चल रहा है। …(व्यवधान) उसके तहत हम देख रहे हैं कि हिपेटाइटिस बी के लिए क्या किया जा सकता है। …(व्यवधान)

जहाँ हिपेटाइटिस सी का सवाल है, …(व्यवधान) इसके लिए एक नयी दवा, जिससे हम इसे बहुत हद तक कवर कर सकते हैं …(व्यवधान) और हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच जागृति लाकर इसे ठीक किया जा सके। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुझे बहुत दुख होता है, नियमानुसार नोटिस नहीं देना और गलत घोाणा करते हुए पूरे सदन का स्वास्थ्य खराब करना, यह बहुत ही गलत व्यवहार यहाँ पर हो रहा है। मुझे इस बात से बहुत दुःख हो रहा है।

…(व्यवधान)

12.00 hours

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARUN JAITLEY): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Limited Liability Partnership (Amendment) Rules, 2015 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 786(E) in Gazette of India dated 15th October, 2015 under sub-section (3) of Section 79 of the Limited Liability Partnership Act, 2008.

[Placed in Library, See No. LT 3678/16/15]

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 469 of the Companies Act, 2013:-

(i) The Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R.111(E) in Gazette of India dated 19th February, 2015.

(ii) The Companies (Incorporation) Second Amendment Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R.442(E) in Gazette of India dated 30th May, 2015.

(iii) The Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R. 669(E) in Gazette of India dated 31st August, 2015.

(iv) The Companies (Acceptance of Deposits) Second Amendment Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R. 695(E) in Gazette of India dated 15th September, 2015.

(v) The Companies (Management and Administration) Second Amendment Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R. 737(E) in Gazette of India dated 24th September, 2015.

(vi) The Companies (Share Capital and Debentures) Third Amendment Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R. 841(E) in Gazette of India dated 6th November, 2015.

(vii) G.S.R.395(E) published in Gazette of India dated 19th May, 2015, seeking to rescind Notification No. G.S.R.179(E) dated 3rd March, 2011 and G.S.R.650(E) dated 29th August, 2011

(viii) The Companies (Incorporation) Amendment Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R. 349(E) in Gazette of India dated 1st May, 2015.

(ix) The Companies (cost records and audit) (Amendment) Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R. 486(E) in Gazette of India dated 12th June, 2015.

(x) The Companies (Accounts) Second Amendment Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R. 680(E) in Gazette of India dated 7th September, 2015.

(xi) The National Company Law Appellate Tribunal (Salaries and Allowances and other terms and conditions of service of the Chairperson and other Members) Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R. 728(E) in Gazette of India dated 21st September, 2015.

(xii) The Companies (Management and Administration) Third Amendment Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R. 862(E) in Gazette of India dated 16th November, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 3679/16/15]

(3) A copy of the Notification No. G.S.R.679(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 7th September, 2015, making alterations in Schedule III to the Companies Act, 2013 under sub-section (3) of Section 467 of the said Act.

[Placed in Library, See No. LT 3680/16/15]

… (*Interruptions*)

(4) A copy of the Mid-Year Economic Analysis, 2015-2016 (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 7 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI): I beg to *lay on the Table:-*

(1) A copy of the following papers (Hindi and English versions) under Section 14 of the National Commission for Women Act, 1990:-

(i) Annual Report of the National Commission for Women, New Delhi, for the year 2013-2014.

(ii) Action Taken Report on the recommendations contained in the Annual Report of the National Commission for Women, New Delhi, for the year 2013-2014.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Commission for Women, New Delhi, for the year 2013-2014.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 3681/16/15]

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences, Aizawl, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences, Aizawl, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3682/16/15]

(2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(i) Review by the Government of the working of the HSCC (India) Limited, Noida, for the year 2014-2015.

(ii) Annual Report of the HSCC (India) Limited, Noida, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 3683/16/15]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Lokopriya Gopinath Bordoloi Regional Institute of Mental Health, Tezpur, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Lokopriya Gopinath Bordoloi Regional Institute of Mental Health, Tezpur, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3684/16/15]

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the New Delhi Tuberculosis Centre, New Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the New Delhi Tuberculosis Centre, New Delhi, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3685/16/15]

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Pharmacy Council of India, New Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Pharmacy Council of India, New Delhi, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3686/16/15]

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Regional Institute of Medical Sciences, Imphal, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Regional Institute of Medical Sciences, Imphal, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3687/16/15]

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3688/16/15]

(8) A copy each of the following Annual Reports (Hindi and English versions) for the year 2014-2015 alongwith Audited Accounts in respect of the following centres:-

(i) Population Research Centre (Institute for Social and Economic Change), Bangalore.

[Placed in Library, See No. LT 3689/16/15]

(ii) Population Research Centre (Utkal University), Bhubaneswar.

[Placed in Library, See No. LT 3690/16/15]

(iii) Population Research Centre (Department of Statistics, Patna University), Patna.

[Placed in Library, See No. LT 3691/16/15]

(iv) Population Research Centre (Department of Statistics, Gokhale Institute of Politics and Economics), Pune.

[Placed in Library, See No. LT 3692/16/15]

(v) Population Research Centre (Himachal Pradesh University), Shimla.

[Placed in Library, See No. LT 3693/16/15]

(vi) Population Research Centre (Andhra University), Visakhapatnam.

[Placed in Library, See No. LT 3694/16/15]

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Chittaranjan National Cancer Institute, Kolkata, for the year 2014-2015.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Chittaranjan National Cancer Institute, Kolkata, for the year 2014-2015, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Chittaranjan National Cancer Institute, Kolkata, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3695/16/15]

(10) A copy of the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2015 (Hindi and English versions) published in Notification No. F. No. 4/15015/30/2011 in Gazette of India dated 4th August, 2015 under Section 93 of the Food Safety and Standards Act, 2006.

[Placed in Library, See No. LT 3696/16/15]

(11) A copy of the Drugs and Cosmetics (Sixth Amendment) Rules, 2015 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 558(E) in Gazette of India dated 17th July, 2015 under Section 38 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940.

[Placed in Library, See No. LT 3697/16/15]

(12) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences and Kasturba Hospital, Wardha, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences and Kasturba Hospital, Wardha, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3698/16/15]

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (RAO INDERJIT SINGH): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the Bharat Electronic Limited, Banglaore, for the year 2014-2015.

(ii) Annual Report of the Bharat Electronic Limited, Banglaore, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 3699/16/15]

(b) (i) Review by the Government of the working of the Goa Shipyard Limited, Goa, for the year 2014-2015.

(ii) Annual Report of the Goa Shipyard Limited, Goa, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 3700/16/15]

(c) (i) Review by the Government of the working of the Hindustan Shipyard Limited, Visakhapatnam, for the year 2014-2015.

(ii) Annual Report of the Hindustan Shipyard Limited, Visakhapatnam, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 3701/16/15]

(d) (i) Review by the Government of the working of the Hindustan Aeronautics Limited, Bangalore, for the year 2014-2015.

(ii) Annual Report of the Hindustan Aeronautics Limited, Bangalore, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 3702/16/15]

(e) (i) Review by the Government of the working of the Mishra Dhatu Nigam Limited, Hyderabad, for the year 2014-2015.

(ii) Annual Report of the Mishra Dhatu Nigam Limited, Hyderabad, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 3703/16/15]

(f) (i) Review by the Government of the working of the Mazagon Dock Shipbuilders Limited, Mumbai, for the year 2014-2015.

(ii) Annual Report of the Mazagon Dock Shipbuilders Limited, Mumbai, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 3704/16/15]

(g) (i) Review by the Government of the working of the BEML Limited, Bangalore, for the year 2014-2015.

(ii) Annual Report of the BEML Limited, Bangalore, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 3705/16/15]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Labour Economics Research and Development, Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of National Institute of Labour Economics Research and Development, Delhi, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3706/16/15]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute for Defence Studies and Analyses, New Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute for Defence Studies and Analyses, New Delhi, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3707/16/15]

(4) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Cantonment Boards for the year 2014-2015.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Cantonment Boards for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3708/16/15]

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute for Post Graduate Teaching and Research in Ayurveda, Jamnagar, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute for Post Graduate Teaching and Research in Ayurveda, Jamnagar, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3709/16/15]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Academy of Ayurveda, New Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Academy of Ayurveda, New Delhi, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3710/16/15]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, New Delhi, for the year 2014-2015.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, New Delhi, for the year 2014-2015, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, New Delhi, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3711/16/15]

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Ayurveda, Jaipur, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Ayurveda, Jaipur, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3712/16/15]

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Homoeopathy, New Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council for Research in Homoeopathy, New Delhi, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3713/16/15]

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Unani Medicine, New Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council for Research in Unani Medicine, New Delhi, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3714/16/15]

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Yoga and Naturopathy, New Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council for Research in Yoga and Naturopathy, New Delhi, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3715/16/15]

(8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Unani Medicine, Bangalore, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Unani Medicine, Bangalore, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3716/16/15]

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Siddha, Chennai, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Siddha, Chennai, for the year 2014-2015.

… (*Interruptions*)

[Placed in Library, See No. LT 3717/16/15]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JAYANT SINHA): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Empowered Committee of State Finance Ministers, New Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Empowered Committee of State Finance Ministers, New Delhi, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3718/16/15]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Public Finance and Policy, New Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Public Finance and Policy, New Delhi, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3719/16/15]

(3) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Insurance Regulatory and Development Authority, Hyderabad, for the year 2014-2015, together with Audit Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 3720/16/15]

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Madras School of Economics, Chennai, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Madras School of Economics, Chennai, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3721/16/15]

(5) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the New India Assurance Company Limited, Mumbai, for the year 2014-2015.

(ii) Annual Report of the New India Assurance Company Limited, Mumbai, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 3722/16/15]

(b) (i) Review by the Government of the working of the Oriental Insurance Company Limited, New Delhi, for the year 2014-2015.

(ii) Annual Report of the Oriental Insurance Company Limited, New Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 3723/16/15]

(6) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Bharatiya Mahila Bank, New Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

[Placed in Library, See No. LT 3724/16/15]

(7) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) on the working and activities of the State Bank of Hyderabad for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts under sub-section (4) of Section 40 of the State Bank of India Act, 1955 as amended by Banking Laws (Amendment) Act, 1985 and sub-section (3) of Section 43 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 as amended by Banking Laws (Amendment) Act, 1985.

[Placed in Library, See No. LT 3725/16/15]

(8) A copy each of the following Annual Reports and Accounts (Hindi and English versions) of the Regional Rural Banks for the year ended the 31st March, 2015 together with Auditor's Report thereon:-

(i) Malwa Gramin Bank, Sangrur

[Placed in Library, See No. LT 3726/16/15]

(ii) Bihar Gramin Bank, Begusarai

[Placed in Library, See No. LT 3727/16/15]

(iii) Utkal Grameen Bank, Balangir

[Placed in Library, See No. LT 3728/16/15]

(iv) Kashi Gomti Samyut Gramin Bank, Varanasi

[Placed in Library, See No. LT 3729/16/15]

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Council of Applied Economic Research, New Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Council of Applied Economic Research, New Delhi, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3730/16/15]

(10) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Pratichi (India) Trust, Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Pratichi (India) Trust, Delhi, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3731/16/15]

(11) A copy of the Statement (Hindi and English versions) on Quarterly Review of the trends in receipts and expenditure in relation to the budget at the end of the first quarter of financial year 2015-2016 under sub-section (1) of Section 7 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003.

[Placed in Library, See No. LT 3732/16/15]

(12) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 63 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959:-

(i) The State Bank of Mysore General Regulations, 2015 published in Notification No. F. No. 5/2015-16/01 in Gazette of India dated 7th December, 2015.

(ii) The State Bank of Hyderabad General Regulations, 2015 published in Notification No. F. No. BM No:2015-16/395(Item 1) in Gazette of India dated 4th December, 2015.

(iii) The State Bank of Bikaner and Jaipur General Regulations, 2015 published in Notification No. 382 in Gazette of India dated 4th December, 2015.

(iv) The State Bank of Patiala General Regulations, 2015 published in Notification No. F. No. 357/20 in Gazette of India dated 4th December, 2015.

(v) The State Bank of Travancore General Regulations, 2015 published in Notification No. LAW/72 in Gazette of India dated 7th December, 2015.

(vi) The State Bank of Travancore (Employees) Pension (Amendment) Regulations, 2011 published in Notification No. F. No. 01/2011 in Gazette of India dated 22nd July, 2015.

(vii) The State Bank of Bikaner and Jaipur (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2014 published in Notification No. 290 in Gazette of India dated 10th October, 2015.

(viii) [Placed in Library, See No. LT 3733/16/15]

(13) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 31 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992:-

(i) The Securities Appellate Tribunal (Salaries, Allowances and other Terms and Conditions of Presiding Officer and other Members) Amendment Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R.683(E) in Gazette of India dated 7th September, 2015.

(ii) The Securities Appellate Tribunal (Salaries, Allowances and other Terms and Conditions of Presiding Officer and other Members) Amendment Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R.742(E) in Gazette of India dated 24th October, 2014.

[Placed in Library, See No. LT 3734/16/15]

(14) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 48 of the Foreign Exchange Management Act, 1999:-

(i) The Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) (Amendment) Regulations, 2015 published in Notification No. G.S.R. 920(E) in Gazette of India dated 2nd December, 2015.

(ii) The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of any Foreign Security (Amendment) Regulations, 2015 published in Notification No. G.S.R. 921(E) in Gazette of India dated 2nd December, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 3735/16/15]

(15) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 296 of the Income Tax Act, 1961:-

(i) The Income-tax (8th Amendment) Rules, 2015 published in Notification No. S.O. 1660(E) in Gazette of India dated 22nd June, 2015, together with an explanatory memorandum.

(ii) The Income-tax (10th Amendment) Rules, 2015 published in Notification No. S.O. 2070(E) in Gazette of India dated 29th July, 2015, together with an explanatory memorandum.

(iii) S.O.2031(E) published in Gazette of India dated 24th July, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. S.O.709(E) dated 20th August, 1998.

(iv) The Income-tax (11th Amendment) Rules, 2015 published in Notification No. S.O. 2155(E) in Gazette of India dated 7th August, 2015, together with an explanatory memorandum.

(v) The Income-tax (12th Amendment) Rules, 2015 published in Notification No. S.O. 2240(E) in Gazette of India dated 17th August, 2015, together with an explanatory memorandum.

(vi) S.O.2241(E) published in Gazette of India dated 17th August, 2015, together with an explanatory memorandum notifying the districts, mentioned therein, of the State of Bihar as backward areas under the first proviso to clause (iia) of Sub-section (1) of Section 32 and sub-section (1) of Section 32AD of the Income-tax Act, 1961.

(vii) The Income-tax (13th Amendment) Rules, 2015 published in Notification No. S.O. 2604(E) in Gazette of India dated 29th September, 2015, together with an explanatory memorandum.

(viii) The Income-tax (14th Amendment) Rules, 2015 published in Notification No. S.O. 2663(E) in Gazette of India dated 29th September, 2015, together with an explanatory memorandum.

(ix) The Income-tax (16th Amendment) Rules, 2015 published in Notification No. S.O. 2860(E) in Gazette of India dated 19th October, 2015, together with an explanatory memorandum.

(x) The Income-tax (17th Amendment) Rules, 2015 published in Notification No. S.O. 2877(E) in Gazette of India dated 20th October, 2015, together with an explanatory memorandum.

[Placed in Library, See No. LT 3736/16/15]

(16) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (7) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 :-

(i) G.S.R.932(E) published in Gazette of India dated 4th December, 2015, together with an explanatory memorandum seeking to levy definitive anti-dumping duty on imports of 'Melamine Tableware and Kitchenware products', origination in, or exported from the People's Republic of China, Thailand and Vietnam for a period of five years, pursuant to the final findings in anti-dumping investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied duties.

(ii) G.S.R.933(E) published in Gazette of India dated 4th December, 2015, together with an explanatory memorandum seeking to levy definitive anti-dumping duty on imports of 'Phthalic Anhydride', origination in, or exported from and Russia for a period of five years, pursuant to the final findings in anti-dumping investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied duties.

(iii) G.S.R.934(E) published in Gazette of India dated 4th December, 2015, together with an explanatory memorandum seeking to impose anti-dumping duty on imports of 'all kinds of plastic processing or injection moudling machines, also known as injection presses for processing or moudling of plastic materials, having clamping force not less than 40 tonnes and not more than 1000 tonnes', origination in, or exported from the People's Republic of China, for a period of five years based on recommendations of Sunset review investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied duties.

[Placed in Library, See No. LT 3737/16/15]

(17) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 159 of the Customs Act, 1962:-

(i) G.S.R.894(E) published in Gazette of India dated 23rd November, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 10/2008-Cus., dated 15th January, 2008.

(ii) G.S.R.901(E) published in Gazette of India dated 24th November, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2012-Cus., dated 17th March, 2012.

(iii) G.S.R.902(E) published in Gazette of India dated 24th November, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 52/2003-Cus., dated 31st March, 2003.

[Placed in Library, See No. LT 3738/16/15]

(18) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of section 38 of the Central Excise Act, 1944:-

(i) G.S.R.899(E) published in Gazette of India dated 24th November, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2012-C.E. dated 17th March, 2012.

(ii) G.S.R.900(E) published in Gazette of India dated 24th November, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 22/2003-C.E. dated 31st March, 2003.

(iii) G.S.R.780(E) published in Gazette of India dated 14th October, 2015 together with an explanatory memorandum directing that the service tax payable on the service provided by an Indian Bank or other entity, acting as an agent to the Money Transfer Service Operator, in relation to remittance of foreign currency from outside India to India, in the period 1.7.2012 to 13.10.2014, shall not be required to be paid

[Placed in Library, See No. LT 3739/16/15]

(19) A copy of the 25th Progress Report (Hindi and English versions) on the Action Taken pursuant to the Recommendations of the Joint Parliamentary Committee on Stock Market Scam and matters relating thereto, December, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 3740/16/15]

(20) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Small Industries Development Bank of India, Mumbai, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Small Industries Development Bank of India, Mumbai, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3741/16/15]

(21) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Life Insurance Corporation of India, Mumbai, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Life Insurance Corporation of India, Mumbai, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3742/16/15]

(22) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the IDBI Bank, Mumbai, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3743/16/15]

(23) A copy of the Consolidated Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Regional Rural Banks for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 3744/16/15]

(24) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Article 151(1) of the Constitution:-

(i) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government [Defence Services (Air Force)](No. 38 of 2015) for the year ended March, 2014.

[Placed in Library, See No. LT 3745/16/15]

(ii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 43 of 2015)-Compliance Audit of Ratna and R-Series Hydrocarbon Fields, Ministry of Petroleum and Natural Gas for the year ended March, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 3746/16/15]

(iii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Railways) (No. 47 of 2015)-Information Technology Audit of Crew Management System in India Railways for the year ended March, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 3747/16/15]

(iv) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Civil) (No. 35 of 2015)-Performance Audit of the Construction Activities in Central Armed Police Forces, Ministry of Home Affairs for the year ended March, 2014.

[Placed in Library, See No. LT 3748/16/15]

(v) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Civil) (No. 49 of 2015)-Performance Audit of the Public Private Partnership Projects in Major Ports, Ministry of Shipping for the year ended March, 2014.

[Placed in Library, See No. LT 3749/16/15]

(vi) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Defence Services)(No. 44 of 2015)-Army, Ordnance Factories and Defence Public Sector Undertakings for the year ended March, 2014.

[Placed in Library, See No. LT 3750/16/15]

(vii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Civil) (No. 36 of 2015)-Performance Audit of the Mid Day Meal Scheme (2009-10 to 2013-14), Ministry of Human Resource Development for the year ended March, 2014.

[Placed in Library, See No. LT 3751/16/15]

(viii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Indirect Taxes-Central Excise and Service Tax) (No. 46 of 2015)-Working of Automation of Central Excise and Service Tax, Department of Revenue for the year ended March, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 3752/16/15]

(ix) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Indirect Taxes-Central Excise and Service Tax) (No. 45 of 2015)-Compliance Audit of National Skill Development Fund and National Skill Development Corporation, Ministry of Finance and Ministry of Skill Development and Entrepreneurship for the year ended March, 2014.

[Placed in Library, See No. LT 3753/16/15]

(x) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Railways) (No. 48 of 2015)-Status of ongoing projects in Indian Railways for the year ended March, 2014.

[Placed in Library, See No. LT 3754/16/15]

(xi) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Civil) (No. 40 of 2015)(Autonomous Bodies)-Special Audit of Medical Education Projects of Employees' State Insurance Corporation, Ministry of Labour and Employment for the year ended March, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 3755/16/15]

(25) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Acts, 1970 and 1980:-

(i) The Punjab National Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2013 published in Notification No. Pension/Misc/2015 in weekly Gazette of India dated 8th May, 2015.

(ii) The Punjab National Bank Officer Employees (Acceptance of Jobs in Private Sector concern after retirement) Amendment Regulations, 2013 published in Notification No. PNB/DAC/P-7/2015 in Gazette of India dated 8th May, 2015.

… (*Interruptions*)

[Placed in Library, See No. LT 3756/16/15]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (COL. RAJYAVARDHAN RATHORE): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Prasar Bharati, New Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Prasar Bharati, New Delhi, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3757/16/15]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Press Council of India, New Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Press Council of India, New Delhi, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3758/16/15]

(3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the National Film Development Corporation Limited, Mumbai, for the year 2014-2015.

(ii) Annual Report of the National Film Development Corporation Limited, Mumbai, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 3759/16/15]

(b) (i) Review by the Government of the working of the Broadcast Engineering Consultants India Limited, Noida, for the year 2014-2015.

(ii) Annual Report of the Broadcast Engineering Consultants India Limited, Noida, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 3760/16/15]

… (*Interruptions*)

<u>12.02 ½ hours</u>

REPORT ON PARTICIPATION OF INDIAN PARLIAMENTARY DELEGATION AT 131ST ASSEMBLY OF INTER-PARLIAMENTARY UNION (IPU) *

SECRETARY-GENERAL: I beg to lay on the Table the Report (Hindi and English versions) on the Participation of Indian Parliamentary Delegation at the 131st Assembly of the Inter-Parliamentary Union held at Geneva (Switzerland) from 12 to 16 October, 2014.

… (*Interruptions*)

<u>12.03 hours</u>

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE
Minutes

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): I beg to lay on the Table the minutes (Hindi and English versions) of the Third sitting of the Committee on Absence of Members from the Sittings of the House held on 9 December, 2015.

… (*Interruptions*)

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 3761/16/15.

12.03 ½ hours

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

5th Report

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मंडला) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) से संबंधित 'अजा और अजजा के सामाजिक-आर्थिक विकास में तकनीकी, चिकित्सीय और अभियंत्रण विश्वविद्यालयों सहित शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका-दिल्ली विश्वविद्यालय में आरक्षण नीति का कार्यान्वयन' के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 5वाँ प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

...(व्यवधान)

12.04 hours

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) (a) Status of implementation of the recommendations contained in the 3rd Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2014 - 15), pertaining to the Department of Revenue, Ministry of Finance.*

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARUN JAITLEY): I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 3rd Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2014-15), pertaining to the Department of Revenue, Ministry of Finance.

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 38th Report of the Standing Committee on Finance on `Tax Assessment/Exemptions and related matter concerning IPL/BCCI, pertaining to the Department of Revenue, Ministry of Finance.*

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARUN JAITLEY): I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 38th Report of the Standing Committee on Finance on `Tax Assessment/Exemptions and related matter concerning IPL/BCCI, pertaining to the Department of Revenue, Ministry of Finance. … (*Interruptions*)

Madam, I may just clarify for the benefit of Members that at Item No. 2A what I have laid down is the Mid-Term Economic Analysis for the year 2015-2016.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मैंने उसे बोला था।

…(व्यवधान)

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 3762/16/15 and 3763/16/15 respectively.

12.04 ½ hours

(ii)Status of implementation of the recommendations contained in the 5th Report of the Standing Committee on Rural Development on Demands for Grants (2015-16), pertaining to the Ministry of Drinking Water and Sanitation.*

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम कृपाल यादव): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 5वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 3764/16/15.

12.05 hours

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): With your permission, Madam, I rise to announce that the Government Business during the remaining part of the Session will consist of: --

1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order Paper;
2. Consideration of the Payment of Bonus (Amendment) Bill, 2015.

12.06 hours

(At this stage, Shri K.C. Venugopal and some other hon. Members went back to their seats.)

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : शशि थरूर जी, आप अपना सब्मिशन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं।

…(व्यवधान)

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : अध्यक्ष महोदया, कृपया अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों का समावेश किया जाए:

1. म. प्र. के बुंदेलखण्ड के सभी जिले…(व्यवधान) - टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर सूखग्रस्त होने से किसानों और नागरिकों के समक्ष बड़ा गंभीर संकट पैदा हो गया है। वहां पर केन्द्रीय टीम भेजकर किसानों को राहत राशि के रूप में आर्थिक सहायता एवं पेयजल समस्याग्रस्त क्षेत्रों में डीप बोर वेल से खनन कराकर पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।…(व्यवधान)

2. बुंदेलखण्ड में पर्यटन की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय महत्व रखने वाले खजुराहो एवं ओरछा पर्यटन केन्द्र सहित महाराजा छत्रसाल की कमभूमि मऊ साहनिया एवं क्षेत्र के अन्य केन्द्रों को पर्यटन रोजगार की दृष्टि से सड़क, हवाई सेवाएं एवं रेलवे सुविधाओं का विस्तार किए जाने की आवश्यकता के बारे में। ...(व्यवधान)

DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): Madam Speaker, I hereby request you to be kind enough to include the following in the next week's List of Business. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Nothing else will go on record except what the hon. Member is speaking.

… (*Interruptions*)… *

HON. SPEAKER: You go on speaking.

… (*Interruptions*)

DR. A. SAMPATH: Madam Speaker, millions of poor people are losing their meagre savings and facing debt trap due to so-called micro finance schemes and ponzy schemes floated by certain organizations. Hundreds of crores of rupees are being swindled by the modern day shylocks. Funds received from various financial institutions for low rate of interest are being lent to poor people at an exorbitant rate of interest. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You should read only the subject matter. It is not like that.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप सभी लोग बैठिए। उन्होंने दिया हुआ है, मेरे सामने है। I also have it.

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वह सब्मिशन है, सब्मिशन रिटेन में है।

...(व्यवधान)

---

* Not recorded.

DR. A. SAMPATH : The Indian Cable Television Industry comprises of 6000 Multi Service Operators (MSO) and 600000 Local Cable Operators (LCO) and the Phase III Cable TV market comprises of 37 million customers out of 99 million total Cable TV customers. Almost all the STB's are imported and supply of STB's are not as per Phase – III requirements. Non-availability of Intercity Links are also another problem. Cable TV industry requires more time to implement the Phase III digitization. It is the DTH industry which is actively pursuing to switch off the analogue signal on 31st December without extension of time to capture the Cable Television Market. Six months' migration time is required to complete the mandatory digitization of Phase III markets. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : हो गया, केवल सब्जेक्ट बोलना है।

… (*Interruptions*)

<u>12.09 hours</u>

(*At this stage, Shri K.C. Venugopal and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*)

… (*Interruptions*)

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : अध्यक्ष महोदया, मैं लोक महत्व के निम्नलिखित विषयों को सदन की कार्यवाही में शामिल किए जाने का निवेदन करता हूं: …(व्यवधान)

1. आज माननीय प्रधानमंत्री जी का खास जोर सौर ऊर्जा पर केन्द्रित है। मेरा सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह कि सारण जिले में, खासकर महराजगंज लोक सभा क्षेत्र में एक सौर ऊर्जा का विस्तृत प्लांट लगाया जिससे उस क्षेत्र की जनता को ऊर्जा सुलभ कराई जा सके। सौर ऊर्जा से पर्यावरण को भी कोई हानि नहीं है। अतः मेरा सरकार से पुनः आग्रह है कि सारण जिले में एक सौर ऊर्जा का बड़ा प्लांट लगाया जाए तथा सब्सिडी देकर गरीब जनता को सौर ऊर्जा की किट का प्रबंध किया जाए।…(व्यवधान)
2. आज पूरे सारण जिले में प्रधानमंत्री योजना के तहत जो सड़कें बनी हैं, उनकी हालत बड़ी ही जर्जर है तथा टूटी सड़कों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि सारण जिले में केन्द्रिय दल को भेजकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का निरीक्षण कराया

जाए एवं सभी सड़कों का प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत पुनः निर्माण कराया जाए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री कोडिकुन्नील सुरेश - नहीं।

श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं निवेदन करता हूं कि निम्नलिखित विषय अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किए जाएं –

(1) मेरे संसदीय क्षेत्र में सिंचाई की समस्या के निस्तारण हेतु निजी एवं सरकारी नलकूपों को लगवाए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(2) मेरे संसदीय क्षेत्र में स्थित बारा टोल प्लाजा (चकेरी-इटावा हाइवे) पर लिए जा रहे अवैध टोल शुल्क की वसूली खत्म कराए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : महोदया, निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए -

(1) भारत सरकार के अगले पांच साल में 25 सोलर पार्क खोलने की योजना के आलोक में बिहार जैसे गरीब राज्य जो बिजली की समस्या से जूझ रहा है, वहां एक सोलर पार्क एवं पन-बिजली की अपार सम्भावना को देखते हुए अविलंब पन-बिजली उत्पादन केन्द्र खोलने हेतु सख्त विधि नियम बनाने के संबंध में।

(2) रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट जिसमें बिहार को ओडिशा के बाद सबसे कम विकसित राज्य का दर्जा दिया गया है एवम् **नेशनल रूरल हेल्थ मिशन** की रिपोर्ट 2012-2013 के अनुसार बिहार में पांच साल तक के 80 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं तथा 68.2 प्रतिशत महिलाएं बिहार में कुपोषित हैं। इसके साथ ही साथ बिहार के भूमिगत जल जिसे आमतौर पर पीने को पानी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उसमें आयरन एवं आर्सेनिक की अधिकता के चलते बीमारियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। यह भी कुपोषण का कारण है। ऐसी परिस्थिति में भूमिगत जल में आयरन एवं आर्सेनिक मुक्त पानी कटने एवं कुपोषण रोकने हेतु सख्त विधि नियम बनाने के संबंध में।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : अध्यक्ष महोदया, अगले सप्ताह की कार्यसूची में लोक महत्व के निम्न विषयों को शामिल कर सदन में चर्चा कराकर निदान कराने की कृपा करें –

(1) मेरे संसदीय क्षेत्र के बांदा एवं चित्रकूट जनपद में सिंचाई के साधन नहीं हैं। लगातार कई वर्षों से सूखा पड़ा है। अतः सिंचाई की व्यवस्था हेतु प्रधान मंत्री सिंचाई योजना में इसी वर्ष दोनों जनपदों को शामिल कर यमुना नदी व वांगै नदी से नई लिफ्ट योजनाएं व कम से कम 100-100 ट्यूबवैल प्रति जनपद लगाए जाएं।

(2) मेरे संसदीय क्षेत्र में बांदा जनपद में राजकीय कताई मिल जो वर्षों से बंद पड़ी है एवं चित्रकूट जनपद में लग रही बरगढ़ पर फ्लोट ग्लास लिमिटेड का कार्य जो कई वर्षों से रुका है, यथाशीघ्र उसे शुरू कराकर स्थानीय स्तर पर बेरोजगारों को काम देकर क्षेत्र के रॉ मेटिरियल का उपयोग कर विकास के द्वार खोले जाएं।

प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़ (उस्मानाबाद) : महोदया, निम्नलिखित लोक महत्व के कार्यों को आगामी सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए –

(1) मेरे संसदीय क्षेत्र में प्रसिद्ध माता तुलजा भवानी मंदिर स्थित है। सरकार की प्राथमिकता के अनुसार सभी धार्मिक स्थलों को रेलमार्ग से जोड़ना घोषित है, इसलिए सोलापुर-तुलजापुर-उस्मानाबाद-औरंगाबाद-जलगांव रेलमार्ग को जोड़ना आवश्यक है। जिससे रेल विभाग को भी फायदा होगा तथा यात्रियों के साथ-साथ कच्चा-पक्का माल ले जाने वाले व्यापारियों को भी सुविधा होगी।

(2) मराठवाड़ा सूखाग्रस्त क्षेत्र है, यहां पशुओं की चारा छावनी में चारा उपलब्ध कराने हेतु सरकार छोटे पशुओं के लिए 35 रुपए तथा बड़े पशुओं के लिए 70 रुपए अनुदान देती है। यह राशि पर्याप्त नहीं है, इसे बढ़ाया जाए तथा इस राशि को सीधे किसानों के खाते में जमा करने का प्रावधान किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय, ओनली सबजैक्ट नो भाषण।

…(व्यवधान)

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Hon. Speaker Madam, I would request the following matters to be included in the Government business for the coming week:

1. The allegation concerning the Union Finance Minister made by the Delhi Chief Minister on irregularities and corruption in Delhi Cricket Association while the Finance Minister was President. The allegation

was made after Delhi CM's office was raided by CBI on Wednesday… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप केवल विषय बोलिए। पूरा विषय पढ़ना नहीं होता है।

…(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : मैडम, मैं वही पढ़ रहा हूं, जो लिखा है। इन ऐलिगेशन्स की जो फाइनैंस मिनिस्टर के बारे में है, इनकी जांच होनी चाहिए।…(व्यवधान)

2. The smog and pollution in Delhi are causes of serious concern. The Supreme Court has ordered several steps including the stopping of registration of over 2000cc diesel vehicles. The Delhi Government has proposed odd/even number vehicles to be run on the road in a single day from January 1. The Central Government must intervene.

…(व्यवधान)

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : अध्यक्ष महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए लोगों के सवाल पर मुझे बोलने का अवसर दिया है...(व्यवधान) इस सदन में जितने भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और वंचित समाज के लोग जीत कर आए हुए हैं, उन लोगों से हम अनुरोध करेंगे कि अपना समर्थन हमें देंगे...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 19.10.2006 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एम. नागराज बनाम भारत संघ के मामले में पारित आदेश के अन्तर्गत तीन शर्तों के आधार पर पदोन्नति में परिणामी वरीयता के साथ आरक्षण की व्यवस्था दी थी...(व्यवधान) उक्त आदेश के आलोक में बिहार सरकार ने गुणात्मक आंकड़े संग्रहित कर पदोन्नति में परिणामी वरीयता सहित आरक्षण को लागू किए जाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार द्वारा संकल्प संख्या 11635 दिनांक 21.08.2012 निर्गत किया गया था...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record. Only Shri Paswan's speech will go on record.

… (*Interruptions*)… *

श्री छेदी पासवान: माननीय उच्च न्यायलय, पटना के एकल पीठ एवं द्वय खण्डपीठ द्वारा इस संकल्प को निरस्त कर दिया गया है।...(व्यवधान) परिणास्वरूप अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारी/पदाधिकारी 77वें एवं 85वें संविधान संशोधन के बावजूद पदोन्नति में परिणामी वरीयता के साथ आरक्षण के अधिकार से वंचित हो गए हैं।...(व्यवधान) इससे संपूर्ण अनुसूचित जाति/जनजाति के सामाजिक पिछड़ापन तथा आर्थिक दुर्बलता की स्थिति उत्पन्न होगी, जिसका प्रभाव राष्ट्रव्यापी होगा।...(व्यवधान)

इस परिप्रेक्ष्य में राज्य सभा में पूर्व से पारित एवं लोक संभा में लंबित 117वें संविधान संशोधन विधेयक, जो परिणामी वरीयता के साथ पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित है, को पारित कराया जाना तथा पारित विधेयक को अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारियों एवं संपूर्ण वंचित समाज के हित में 9वीं अनुसूचित में सम्मिलित कराया जाना अपेक्षित है।...(व्यवधान)

अतः मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि लोक सभा के आगामी सत्र में लंबित 117वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराते हुए संविधान के 9वीं अनुसूचि में शामिल किए जाने हेतु भवदीय स्तर से

---

* Not recorded.

आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए ताकि अनुसूचित जाति/जनजाति समाज के कर्मचारियों/पदाधिकारियों के संवैधानिक हितों की रक्षा की जा सके। धन्यवाद। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री केशव प्रसाद मौर्य, श्रीमती कृष्णा राज, डॉ. यशवंत सिंह, श्री अशोक कुमार दोहरे, श्री श्यामा चरण गुप्त, श्री हरीश मीणा, श्री जनक राम, श्री विष्णु दयाल राम, डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़, डॉ. मनोज राजोरिया, श्री कमलेश पासवान और डॉ. किरीट पी. सालंकी को श्री छेदी पासवान द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

Shri P. Karunakaran.

… (*Interruptions*)

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): I want to raise before the House some important issues of the fishermen in various parts of the country, especially in Kerala. … (*Interruptions*)

Now, the Central Government has given financial assistance to the fishermen as part of the Fishermen Welfare Fund Scheme but the unit cost under the Scheme is only Rs. 75,000 and 50 per cent has to be met by the State Government. … (*Interruptions*)

As far as Kerala is concerned, it is not possible to construct a house with Rs. 75,000 since the price of construction materials and workers wages are increased. So, even though the present Scheme is implemented, it is impossible for the fishermen to construct houses without borrowing money from private persons at high interest rates. … (*Interruptions*)

The Government of Kerala has increased the unit cost to Rs. 2,00,000 but the Central Government is giving only Rs. 37,500. As a result, the State Government has to bear a huge amount. … (*Interruptions*) So, I request to increase the unit cost of the house under the Fishermen Welfare Fund as Rs. 2,00,000. Otherwise, it would be impossible for the Government to take a big financial burden or for fishermen to take their own means to construct houses. … (*Interruptions*) Many of the houses for which construction has already started are lying in the half-way mark due to financial difficulty.

HON. SPEAKER: Shri P.K. Biju, Shri M.B. Rajesh, Shri Joice George and Shri Rabindra Kumar Jena are permitted to associate with the issue raised by Shri P. Karunakaran.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Gutha Sukhender Reddy – not there. Shri Kamakhya Prasad Tasa.

… (*Interruptions*)

SHRI KAMAKHYA PRASAD TASA (JORHAT): Thank you.

I would like to inform the august House that in Assam human trafficking is rapidly going on. … (*Interruptions*)

12.22 hours

(At this stage, Shri Mallikarjun Kharge and some other hon. Members left the House.)

SHRI KAMAKHYA PRASAD TASA (JORHAT): In the recent days, more than 1,000 human trafficking cases have taken place and no rescues are there. … (*Interruptions*) इसलिए मैं हाउस को बताना चाहता हूं कि आसाम में ज्यादातर महिलाओं और बच्चों को यहां से बांग्लादेश, म्यांमार और दूसरी साइड में लेकर जाते हैं।

महोदया, इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इसे बंद करने के लिए होम डिपार्टमैन्ट, ह्यूमैन रिसोर्स डिपार्टमैन्ट तथा अन्य डिपार्टमैन्ट्स ने व्यवस्था की हुई है। लेकिन नार्थ ईस्ट में जो ह्यूमैन ट्रैफिकिंग चल रहा है, यदि इसे बंद नहीं किया गया तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जायेगी।...(व्यवधान) इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार इस पर तुरंत ध्यान दे।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shri Kamakhya Prasad Tasa.

… (*Interruptions*)

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): स्पीकर मैडम, हम हमेशा चाहेंगे कि प्रतिपक्ष अपना विषय सदन में उठाये और आज हमारे दोनों मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्री जी चाहते थे कि जो अरुणाचल का सवाल हमारे माननीय प्रतिपक्ष के लोग उठाना चाह रहे हैं, वह उस पर उत्तर दें। लेकिन हमारा भी एक अधिकार है कि जब हमारे सांसद प्रश्नकाल में सवालों का उत्तर चाहते हैं तो उस समय अगर सदन के भीतर आकर इस

तरह से शोर मचायें और जब 12 बजे का समय आए तो अपनी सीटों पर जाकर मांग उठा दें, जो उचित नहीं है। हम हमेशा चाहेंगे कि हाउस आर्डर में रहे और जो भी सवाल प्रतिपक्ष उठाना चाहता है,...(व्यवधान)

We would 100 per cent like to answer them. We will answer them but this is not the process which has to be adopted. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: That is why I have not allowed it.

… (*Interruptions*)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: We are ready for any question being raised by the Opposition. … (*Interruptions*) We are 100 per cent ready. We are 100 per cent confident that we would be able to satisfy the Opposition. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I know it.

… (*Interruptions*)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: This process is not acceptable. … (*Interruptions*) The way they come and disturb the House for one hour and the way they want to raise the question is not appreciated. … (*Interruptions*) I fully agree with the decision you have taken.

HON. SPEAKER: Thank you.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : यह सभी जानते हैं, फिर बार-बार इसे बोलने की जरूरत नहीं है। डा.किरीट सोमैया जी, आप बोलिये।

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुम्बई में महानगर गैस पाइपलाइन का जो कनैक्शन देते हैं, लगभग छ: महीनों से नये कनैक्शंस देने बंद हो चुके हैं। लगभग 40 हजार एप्लीकेशंस पैंडिंग हैं और नये मीटर की उपलब्धि न होने के कारण यह समस्या पैदा हुई है। विशेष तौर पर मेरे मतदार क्षेत्र, ईशान मुम्बई, घाटकोपर, मुलुंड में काफी विलम्ब हो रहा है। मैं मानीय पैट्रोलियम मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इसमें ध्यान दे कर नए मीटर की समस्या सॉर्टआउट करें।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को डॉ. किरीट सोमैया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती रेखा वर्मा (धौरहरा) : अध्यक्ष महोदया, मैं धौरहरा क्षेत्र, उत्तर प्रदेश से सांसद हूँ, मेरे क्षेत्र के किसानों ने दलहन, तिलहन, गेहूं, चावल आदि की पैदावार करना बंद कर दिया है। किसान केवल मजबूरी

में गन्ने की पैदावार कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण नीलगाय है। इस जानवर ने फसलों को इतना नुकसान पहुंचाया है कि वहां का किसान नीलगाय के भय से खेती ही नहीं करता है। यह जानवर गन्ने की भी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। रात भर किसान खेत में झोंपड़ी डाल कर नीलगाय से अपनी फसल की रक्षा करने का प्रयत्न करते हैं, परंतु विफल रहते हैं। इस जानवर से बचने का ही रास्ता है कि इन्हें पकड़ कर बड़े जंगलों में पुनर्वास कर दिया जाए। अतः आपके माध्यम से मेरा मंत्री जी अनुरोध है कि इन जानवरों को पकड़ कर पुनर्वास कराने का कष्ट करें।

श्री राम टहल चौधरी (राँची) : महोदया, मेरे निर्वाचन क्षेत्र रांची-पुरूलिया रेलवे लाइन टाटी सिलवे स्टेशन के पास एक ओवर ब्रिज बनाने का प्रावधान इस वित्तीय वर्ष के बजट में किया गया था। सदन को बताते हुए खेद हो रहा है कि 21 महीने बीत जाने के बाद भी उपरोक्त ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य अभी तक शुय नहीं किया गया है। ओवर ब्रिज न बनने से प्रतिदिन घंटो रोड़ जाम रहता है और दिन भर में चार-पांच घंटा वह सड़क बंद रहती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अत्यंत व्यस्त सड़क है। अतः सरकार से अनुरोध है कि बजट के प्रावधान के अनुसार टाटी सिलवे रेलवे स्टेशन के पास ओवर ब्रिज बनाने का कार्य जनहित में शीघ्र शुरू किया जाए।

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYANAGAR): Madam, kindly allow me to speak from here.

Madam, Speaker, the Backward Region Grant Fund Scheme covers 250 districts in 27 States. It is a unique Central fund as it puts the panchayats and municipalities at the forefront of planning and implementation and gives them free rein to use the funds as long as it fills a development gap and the identification of the work is decided with people's participation. In rural areas, 56 per cent Scheduled Castes and Scheduled Tribes and 40 per cent OBCs are beneficiaries of this Scheme.

One of the parameters of identifying a district as backward is based on the number of Scheduled Caste and Scheduled Tribe population. The district of Cooch Behar in West Bengal has a population of which 50.11 per cent comprise of people from Scheduled Castes. However, Cooch Behar has not been identified as a backward district. The district is basically agrarian but modern agricultural techniques have not been adopted on a large scale. Hence, this sphere needs

special attention. Agricultural marketing also needs to be improved with proper development of rail, road, cold storage, markets etc. Also, credit facilities are not smoothly available to the MSE sector. A 15 per cent tax rebate on setting up of new industries, which backward districts are entitled to, would greatly help in the development of the area and raise the standard of lives of the people.

Madam, Speaker, I would urge the Government to include Cooch Behar and other districts in the country which have more than 50 per cent Scheduled Caste and Scheduled Tribe population in the BRGF Scheme for all-round development of the district and to improve the lives of the people. I would also like to bring attention to the worrying fact that West Bengal still owes 40 percent of Central funds for BRGF over the last five years.

Thank you, Madam, for giving me this opportunity to speak.

DR. KULMANI SAMAL (JAGATSINGHPUR): Madam Speaker, thank you very much for giving me an opportunity to raise an important issue concerning my Parliamentary Constituency, Jagatsinghpur, Odisha.

The Companies Bill in its revised guidelines in 2012 specified that public sector undertakings earning profit up to Rs.100 crore, Rs.100 crore to Rs.500 crore and more than Rs.500 crore would spend 5 per cent, 2-3 per cent and 0.5-2 per cent respectively towards corporate social responsibility by emphasizing upon capacity building, empowerment of communities, environment protection, inclusive socio-economic growth, promotion of green and energy efficient technologies, development of backward regions, and upliftment of the marginalized section of the region.

In this connection, I would like to state that the public sector undertakings or privately owned companies established in Paradip, Odisha, are not appropriately utilizing the funds earmarked for corporate social responsibility, though they are so claiming. As there is no such specific mechanism to assess execution of CSR funds as well as absence of involvement of district administration and people's representative in the process, it becomes very difficult

to know about the percentage of funds being aimed at various socio-economic welfare projects meant for local people or developmental activities of the region.

So, I urge upon the concerned Ministers to direct different industrial setups in Paradip to spend appropriate amount in regard to corporate social responsibility and disclose the expenditure to the public by involving the peoples' representatives.

श्री ए.टी.नाना पाटील (जलगाँव) : महोदया, आपने मुझे शून्य काल में मेरे राज्य का अति महत्व का प्रश्न उपस्थित करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के तहत पेट्रोल और डीजल पर बेसिक ड्यूटी (सेस) की दर जनवरी, 2015 से मार्च, 2015 के बीच दो रूपए प्रति लीटर से बढ़ाकर छः रूपए प्रति लीटर कर दी, ताकि केन्द्र व राज्य स्तर की सड़क परियोजनाओं हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध हो सके। परन्तु अभी तक सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस धनराशि में से राज्यों की सड़क परियोजनाओं हेतु केन्द्रीय सड़क निधि में से उनके हिस्से की धनराशि आवंटित न हीं की है, जिसके कारण महाराष्ट्र जैसे राज्य की सड़कों की परियोजनाओं हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। मेरे संसदीय क्षेत्र जलगाँव में भी सड़कों की हालत बहुत ही खराब है तथा केन्द्रीय सड़क निधि से सड़कों की सुधार हेतु कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है। सूखे के कारण राज्य सरकार सड़कों की मरम्मत के लिए पैसा उपलब्ध कराने में असमर्थ है।

महोदया, मेरा आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि वह हस्तक्षेप कर केन्द्रीय सड़क निधि से राज्यों में सड़क ढांचागत परियोजनाओं तथा विशेष रूप से जलगाँव में सड़कों की स्थिति में सुधार करने हेतु राज्य के हिस्से की बढ़ी हुई राशि उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें, ताकि राज्य की सड़कों तथा विशेषकर जलगाँव में सड़कों का निर्माण कार्य एवं मरम्मत कार्य करवाया जा सके। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. मनोज राजोरिया को श्री ए.टी.नाना पाटील द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री दद्दन मिश्रा (श्रावस्ती) : महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार और पंचायत राज मंत्री जी का ध्यान उत्तर प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर दिलाना चाहता हूँ। अभी उत्तर प्रदेश में विगत दिनों सदस्य क्षेत्र पंचायत, सदस्य जिला पंचायत, तत्पश्चात् ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्यों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं।

अब आगे अध्यक्ष जिला पंचायत और ब्लाक प्रमुख के चुनाव होना शेष हैं। अध्यक्ष जिला पंचायत के चुनाव की तो अधिसूचना भी जारी हो चुकी है, जो 7 जनवरी को होना निश्चित हुआ है।

माननीय अध्यक्ष जी, इस अध्यक्ष जिला पंचायत और ब्लाक प्रमुख के चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग का खेल बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। सदस्यों की खुले आम बोली लगाई जा रही है। खरीद-फरोख्त का बाजार गर्म है।

माननीय अध्यक्ष : यह स्टेट का मैटर है।

श्री दद्दन मिश्रा : ऐसी स्थिति में हमारी आपके माध्यम से भारत सरकार से माँग है कि इन चुनावों को अप्रत्यक्ष रूप से कराने के बजाए सीधे जनता द्वारा कराया जाए, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके।

माननीय अध्यक्ष : बस हो गया। यह स्टेट का मैटर है।

श्री दद्दन मिश्रा : भ्रष्टाचार के माध्यम से चुने हुए जनप्रतिनिधि जनहित के कार्यों में रूचि नहीं लेंगे।...(व्यवधान) वे जनता के प्रति सीधे जवाबदेह नहीं होंगे।

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात हो गई है।

डॉ. किरिट पी. सोलंकी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री केशव प्रसाद मौर्य, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री देवेन्द्र सिंह भोले, श्री शरद त्रिपाठी और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री दद्दन मिश्रा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : महोदया, आजकल स्वास्थ्य सुविधाएँ और औषधियाँ बहुत महँगी हो रही हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : किरीट जी, एक मिनट आप बैठिये।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने कहा कि यह स्टेट मैटर है।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़) : माननीय सदस्य ने उत्तर प्रदेश के संबंध में कुछ कहा है, हमें जवाब तो देना पड़ेगा। ...(व्यवधान) यह गलत है, निराधार है। ...(व्यवधान) यह तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे

वाली बात है। ये बुरी तरह से हार गए हैं और फिर हारेंगे। …(व्यवधान) जो बात माननीय सदस्य ने कही है, हम उससे सहमत हैं। अगर सरकार चाहे कि जनता द्वारा जिला पंचायत का चुनाव सीधे हो जाए तो मैं उससे सहमत हूँ। आप करवाइए। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़, दद्दन जी, आप बैठिये।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुलायम सिंह जी, आप भी प्लीज़ बैठिये।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सभी लोग बैठ जाइए। ये क्या हो रहा है?

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing like this will go on record.

… (*Interruptions*)… *

माननीय अध्यक्ष : आप वहाँ जाकर लड़ें, यहाँ नहीं। आप बैठ जाइए। आपको जो भी करना है वहाँ करें, यहाँ नहीं। प्लीज़ बैठिये।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पंचायत चुनावों की बात यहाँ नहीं होती, आप बैठ जाइए। दद्दन जी, आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुलायम सिंह जी, आपने भी बोला है, आपकी बात रिकार्ड पर आ गई है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुलायम सिंह जी, आपने अपनी बात बोल दी है। मैंने भी बोला है कि स्टेट मैटर है। आपकी बात हो गई है।

…(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : जो बात माननीय सदस्य ने कही है, मैं उससे सहमत हूँ। आप कानून बनाइए। अध्यक्ष जी से मैंने कहा और आपसे भी कह रहा हूँ कि मैं सहमत हूँ कि जनता द्वारा जिला पंचायत के अध्यक्षों का चुनाव हो। …(व्यवधान) मैं सहमत हूँ। आप चुनाव कराइए, उसमें भी पता चल जाएगा। …(व्यवधान) जब ये हार गए बुरी तरह से…(व्यवधान) जनता द्वारा चुनाव हुआ, वहाँ क्या बेईमानी

---

* Not recorded.

हो सकती है? किसी गाँव में कोई बेईमानी कर सकता है? गाँवों में चुनाव हुए और समाजवादी पार्टी जीत गई। जीत गई तो परेशानी क्या हो रही है? ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुलायम सिंह जी, आप बैठिये।

श्री मुलायम सिंह यादव : अब जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा कराइए, यह मांग कर रहे हैं।...(व्यवधान) आप जवाब दीजिए, मैं कह रहा हूँ कि कराइए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी कोई जवाब नहीं होगा।

श्री मुलायम सिंह यादव : आप जो मांग कर रहे हैं कि जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा हो, मैं इससे सहमत हूँ। मैंने पहले भी कहा है कि मैं यह चाहता हूँ। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग वहाँ जाकर काम करिये। आप बैठिये ।

...(व्यवधान)

डॉ. किरिट पी. सोलंकी: महोदया, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय सदन में उठाने की अनुमति दी है। जहाँ तक गरीब आदमी का सवाल है, जहाँ तक आम आदमी का सवाल है, स्वास्थ्य सुविधा, चिकित्सा और ट्रीटमैंट उनके लिए आजकल बहुत महंगा हुआ है। जहाँ तक अपनी सरकार का सवाल है, मैं भारत सरकार को और स्वास्थ्य मंत्रालय को बधाई देता हूँ कि जनरिक मैडिसिन और औषधियों के माध्यम से, जन औषधी स्टोर के माध्यम से गरीबों तथा आम आदमी को जो किफायती दर पर औषधियाँ मुहैया कराई जाती हैं, इस सरकार के इस कदम की वजह से करीब 80 प्रतिशत दवाइयाँ और औषधियाँ सस्ती हुई हैं और आम आदमी की पहुँच में आई हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा जन औषधि स्टोर खुलवाए जाएँ। जहाँ तक जानलेवा बीमारियों का सवाल है, डायबिटीज़, हार्ट डिसीज़ और कैंसर की दवाइयाँ और भी किफायती दर पर मुहैया करवाई जाएँ।

12.39 hours (Hon. Deputy-Speaker *in the Chair*)

महोदय, मैं एक और बात की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जहाँ तक हार्ट अटैक का सवाल है, जहाँ तक कार्डियैक बीमारी का सवाल है, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी में आजकल जो स्टैन्ट डाले जाते हैं, उस पर कोई एम.आर.पी. नहीं होती है, बहुत महंगी कीमत पर आज स्टैन्ट बेचे जाते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि स्टैन्ट के ऊपर एम.आर.पी. लिखी होनी चाहिए। जो सिम्पल स्टैन्ट होते हैं और मैडिकेटेड स्टैन्ट होते हैं, उनकी एम.आर.पी. को निश्चित किया जाए जिसकी वजह से आम आदमी को सुविधा मुहैया हो सके और हम उनको किफायती दर पर यह सुविधा उपलब्ध करा सकें।

HON. DEPUTY SPEAKER: Dr. Manoj Rajoria, Shri P.P. Chaudhary, and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Dr. Kirit P. Solanki.

श्री राहुल शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे शून्य काल में मेरे संसदीय क्षेत्र मुम्बई साउथ सैन्ट्रल के एक महत्वपूर्ण विषय को सभा में उठाने का समय दिया।

महोदय, मुम्बई में एलफिंस्टन रोड रेलवे स्टेशन से दहिसर रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे लाइन् के दोनों ओर लगभग 1454 झुग्गी-झोपड़ियों की बस्ती बसी हुई है। ये लोग यहां पर 40-45 वर्षों से रहते आ रहे हैं। उनके अधिकतर मकान पक्के भी बनाए हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार की ओर से यहां बसे हुए परिवारों को राशन कार्ड, वोटर आई.डी. कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि भी प्रदान किये गये हैं, परन्तु रेलवे अधिकारी महीने में एक-दो बार इनके मकानों को गिरा देते हैं। इन परिवारों को अन्यत्र कहीं बसाने का कार्य रेल विभाग की ओर से नहीं किया जाता है। यहां की सारी जमीन रेलवे के अधिकार में है तो इस वजह से महाराष्ट्र सरकार एस.आर.ए. एक्ट के अन्तर्गत कुछ नहीं कर पा रही है। यहां आधारभूत सुविधाओं का अभाव भी है। यहां पर वे परिवार नारकीय जीवन-यापन कर रहे हैं। इन परिवारों को टेंट में रहना पड़ रहा है। अपनी जमा-पूंजी लगाकर जो कच्चा-पक्का मकान रहने लायक ये लोग बनाते हैं, रेलवे अधिकारी हर महीने उनको गिरा देते हैं।

मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इन 1454 परिवारों को अन्यत्र कहीं बसाने का इन्तजाम करना चाहिए, नहीं तो इनको राजीव गांधी आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना या जो महाराष्ट्र सरकार की एस.आर.ए. योजना है, उस योजना के माध्यम से इनका पुनर्वास किया जाये। हाल ही में दिल्ली में लास्ट वीक में जो डैमोलीशन हुआ, उसमें एक बच्ची की मौत हुई है, ऐसी दुर्घटना मुम्बई में नहीं होनी चाहिए, इसलिए जब तक राज्य सरकार के माध्यम से इनका पुनर्वसन नहीं होता, तब तक उनका डिमोलीशन नहीं होना चाहिए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Arvind Sawant, Kunwar Pushpendra Singh Chandel and Shri Shrirang Appa Barne are allowed to associate with the matter raised by Shri Rahul Ramesh Shewale.

डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़ (लातूर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे लोक सभा क्षेत्र लातूर, महाराष्ट्र से हजारों डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य लोग परदेस में नौकरी करने के लिए जाते हैं। सभी जानते हैं कि लातूर पैटर्न शिक्षा के क्षेत्र में

देश में प्रसिद्ध है। यहां की जनता को पासपोर्ट बनवाने के लिए नागपुर जाना पड़ता है, जो कि 500 किलोमीटर की दूरी पर है।

मैं आपके माध्यम से सरकार को अनुरोध करता हूं कि लातूर में पासपोर्ट देने की सुविधा के लिए नया पासपोर्ट कार्यालय शुरू किया जाये, ताकि लोगों को पासपोर्ट की समस्या से मुक्ति मिले और पैसे व समय की बचत हो जाये। धन्यवाद।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra is allowed to associate with the matter raised by Dr. Sunil Baliram Gaikwad.

SHRI JITENDRA CHAUDHURY (TRIPURA EAST): Hon. Deputy-Speaker, Sir, as you know, I am representing the State of Tripura.

The State of Tripura is connected by only one road, that is NH 44. The condition of NH 44 is such that during the last monsoon for more than one month that route was not motorable. Due to that transportation of food grains, medicine, and other essential commodities have got struck. Maintenance of national highways is the responsibility of the Central Government, particularly of the Ministry of Road Transport and Highways. But during the last one year, hardly one per cent of the total requirements of the fund has been released by the Ministry. One and half years ago, the Ministry was kind enough to accord sanction to another national highway. But till today not a single rupee by way of fund has been released.

So, I appeal to the Government, particularly to the Ministry of Road Transport and Highways to release adequate money so that this route is properly maintained and also the work for the new road could be taken up. Thank you.

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : उपाध्यक्ष महोदय, धान उत्पादक किसानों की समस्या शून्य काल के माध्यम से मैं इस सभागृह में रख रहा हूं।

इस वक्त महाराष्ट्र के साथ कई राज्यों के किसानों की धान की फसल आ चुकी है। हर वर्ष नवम्बर और दिसम्बर के फर्स्ट वीक में राज्य सरकारें केन्द्र सरकार के निर्देश के ऊपर धान खरीदी केन्द्र शुरू करती हैं और केन्द्र सरकार जो दर निश्चित करती है, उस हिसाब से धान खरीदी करने का प्रयास राज्य सरकार करती है। उसका फायदा किसानों को होता है, लेकिन दुर्भाग्य से इस वर्ष दिसम्बर का थर्ड वीक

शुरू होने के बावजूद भी महाराष्ट्र के मेरे क्षेत्र रत्नागिरि-सिंधुदुर्ग और कई जिलों में धान खरीदी केन्द्र शुरू नहीं हुए हैं। वहां के दलाल इसका नाजायज फायदा उठाते हैं। इस बार सरकार ने इसकी दर 1450 रुपए निश्चित की थी, लेकिन खरीदी केन्द्र शुरू न होने की वज़ह से वहां के जो दलाल हैं, वे 700-800 रुपए में उसे खरीदते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से विनती करता हूं कि वे राज्य सरकार को निर्देश दें और रत्नागिरी-सिन्धुदुर्ग जिले के साथ-साथ सारे देश में धान खरीदी केन्द्र शुरू करने की आज्ञा दें।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Dr. Satya Pal Singh, Shri Arvind Sawant, Shri Rahul Ramesh Shewale, Shri Ashwini Kumar Choubey, Kunwar Pushpendra Singh Chandel and Shri Shrirang Appa Barne are allowed to associate with the demand raised by Shri Vinayak Raut during the 'Zero Hour' today on paddy procurement in India.

श्रीमती रक्षाताई खाडसे (रावेर) : उपाध्यक्ष महोदय, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ने हाल ही में नई ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई है, जिसमें वर्तमान में एस.आर.ओ., आर.आर. भर्ती हेतु एक्स ट्रेड अप्रेंटिसशिप धारक छात्रों को ऑर्डनैंस फैक्ट्री में कामगार भर्ती में सुधार के लिए प्रावधान रखे गए हैं, जो अप्रेंटिसशिप एक्ट, 1961 के सेक्शन-22 के तहत है। यह नई ड्राफ्ट पॉलिसी ऑर्डनैंस फैक्ट्री बोर्ड में सुझाव एवं विधायिकी टिप्पणी के लिए विधि और न्याय मंत्रालय में लंबित है। अप्रेंटिसशिप फैक्ट्री में होने वाली भर्ती के तहत, उस फैक्ट्री में, जिसमें उन्होंने अपनी अप्रेंटिसशिप की है, उसमें एक्स ट्रेड अप्रेंटिसशिप धारक की सीनियॉरिटी रखी जाए। इसके प्रावधान उसमें किए गए हैं। इसके लिए देश के विभिन्न राज्यों से आए एक्स-ट्रेड अप्रेंटिसशिप धारक छात्र कई दिनों से धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं।

महोदय, मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि एक्स-ट्रेड अप्रेंटिसशिप छात्रों, जिनकी संख्या लगभग सात हजार से आठ हजार है, की अप्रेंटिसशिप को अप्रेंटिसशिप एक्ट, 1961 के सेक्शन-22 के तहत जल्द से जल्द स्वीकृति दी जाए और उन्हें राहत दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Arvind Sawant and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are allowed to associate with the demand raised by Shrimati Rakshatai Khadse.

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। दिल्ली में एक बहुत विकट समस्या पैदा हो गयी है। दिल्ली के लगभग दस लाख किराएदारों को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। आज़ादी के पहले पगड़ी

सिस्टम हुआ करता था। Pagri amount was almost the amount of the realisation of property and the cost of the property. उसी की वज़ह से उनसे नॉमिनल रेंट लिया जाता था, क्योंकि ऑलमोस्ट कॉस्ट प्राइस पहले ही उनके द्वारा पे कर दिया जाता था। उसमें अभी यह हुआ कि दिल्ली रेंट एक्ट में परिवर्तन हो गया है। वर्ष 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। अब कॉमर्शियल और रेसिडेंसिएल प्रॉपर्टी में डिफरेंशिएशन हो गया है। इस तरह से पूरी दिल्ली के अंदर अभी बहुत परेशानी हो गयी है और लाखों-लाख ट्रेडर्स दुकानों से फेंके जा रहे हैं।

महोदय, जब मोदी जी गुजरात के मुख्य मंत्री थे, तो उस समय गुजरात में रेंट एक्ट आया था। वह रेंट एक्ट एक बैलेंस एक्ट है। Neither it is in favour of tenant nor much in favour of owners. दिल्ली में भी एक बैलेंस रेंट एक्ट आना चाहिए, क्योंकि अभी दिल्ली का जो रेंट एक्ट है, यह बहुत पार्शियल है। इसलिए इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। इस समय अमित शाह जी, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ही उस समय गुजरात में वहां के रेंट एक्ट को ड्राफ्ट किया था। उस तरह का रेंट एक्ट दिल्ली में लाया जाना चाहिए, ताकि इन ट्रेडर्स को भुखमरी से बचाया जा सके। ये छोटे-छोटे और मीडियम ट्रेडर्स हैं। They are being thrown on the road.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Shri Maheish Girri, Shrimati Meenakashi Lekhi, Shri Rajesh Ranjan, Shri Bhairon Prasad Mishra and Shri Keshav Prasad Maurya are allowed to associate with the demand raised by Dr. Udit Raj.

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, मैं इस सदन में किसानों के हित में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाना चाह रहा हूं। मिट्टी सदा से अमूल्य और हमारे जीवन का आधार रही है। विडम्बना यह है कि इस सबसे बड़े धन की वास्तविक मूल्य को पहचाना नहीं जाता और इसकी उपेक्षा की जाती है। इसकी गुणवत्ता में कमी आ रही है। वह नजर नहीं आती है, लेकिन इससे हमारी अर्थव्यवस्था, करोड़ों लोगों की आजीविका, खाद्य उपलब्धि आदि सब गंभीर रूप से प्रभावित होती है। मिट्टी में जल ग्रहण, वायु संचार तथा अनेक तरह के पोषक तत्व, पेड़-पौधों को संतुलित रूप में देने की क्षमता है। जब यह पूरी व्यवस्था टूटती है, तो भूमि की उर्वरकता नष्ट होती है। इसके संरक्षण और रखरखाव पर ध्यान देने की जरूरत भी उतनी ही ज्यादा होती है। पिछली लगभग दो शताब्दियों से वनों का विनाश व कटान बड़े पैमाने पर हुआ और मिट्टी के उपजाऊपन को बहुत

क्षति पहुंची। रसायनों का भारी उपयोग मिट्टी के उपजाऊपन के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। हमारे बुजुर्ग किसानों के पास अभी तक उपलब्ध प्राकृतिक प्रक्रिया के अनुकूल खेती का ज्ञान है, जो मिट्टी के उपजाऊपन को बचा सकते हैं। कृषि भूमि को धीरे-धीरे जहरीले तत्व से मुक्त कर सकते हैं। हमें अपने गांव में उपलब्ध सेन्द्रीय खाद का भरपूर उपयोग करना होगा। इसके लिए किसानों को तकनीकी तथा आर्थिक सहायता करवानी होगी।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करता हूं कि हमारे देश की मिट्टी की रक्षा व जतन करने तथा इसका उपजाऊपन बढ़ाने के लिए हर किसान की खेती की मिट्टी का परीक्षण करके उसकी एक पत्रिका बनाकर उपलब्ध करायें और उसमें क्या फसल लेनी चाहिए, जिससे उसकी आर्थिक प्रगति हो सके। इस दृष्टिकोण से उसके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। सरकार को इस बारे में कदम उठाने की आवश्यकता है।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri P.P. Chaudhary, Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Shri Prahlad Singh Patel and Shri Bhairon Prasad Mishra are allowed to be associated with the issue raised by Shri Dilipkumar Mansukhlal Gandhi.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): In our State, West Bengal, minorities contribute 2.57 crore, that is 28.1 per cent of the total population. The present Government has increased the budgetary support for development of minorities by five times, from Rs.472 crore in 2010-11 to Rs.2,383 core during the current fiscal year.

We met the hon. Minister, Shrimati Najma Heptulla with a delegation just two days back at her residence in the morning and discussed in detail. We have some issues. Firstly, scholarships are offered by the Central Government under the 15 point programme. In West Bengal, it was 20 lakhs, this year we have received applications of near about 30 lakhs. We would like to appeal to the Central Government to consider increase the quota from 20 lakhs to 30 lakhs.

Secondly, Multi Sectoral Development Programme during 2015-16, the Government made an appeal for a grant of Rs.415 crore, and only Rs.100 crore has been allotted. The balance may kindly be delivered at the quickest possible time.

About the clusters of minority areas outside NCBs, proposals for approval of minorities clusters under the MSDP are pending, approval may be given to the name. About Cyber Gram, the State has proposed to the Minister this. This Government has sanctioned 243 Madrasas, out of 615 Government-aided Madrasas. Balance may be released as per the proposal.

The State Government has undertaken the project of Skill Development Programme with a project cost of Rs.86.46 crore under MSDP; Rs.6.02 crore has been sanctioned towards administrative cost for this purpose. But the same has not yet been realized.

West Bengal is one of the largest minority dominated States in the country. Next to Jammu and Kashmir and Assam, West Bengal is the third larges minority dominated State in the country. I would like to appeal to the Central Government to extend their hands of cooperation with the State Government and to take up their issues with top priority.

HON. DEPUTY SPEAKER: DR. Ratna De, Shrimati Arpita Ghosh, Shrimati Pratima Mondal, and Shrimati Renuka Sinha are permitted to associate with the issue raised by Shri Sudip Bandhyopadhyay

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के शिवहर जिले में 34 से अधिक राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, किन्तु किसी बैंक के पास अपना करेंसी चेस्ट नहीं है। करेंसी चेस्ट का लाइसेंस रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया देता है। शिवहर जिले में बैंक ऑफ बड़ौदा को रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया ने लाइसेंस दे रखा है, जो जिले का अग्रणी बैंक है, फिर भी विगत 5-7 वर्ष से लाइसेंस रहने के बावजूद वह करेंसी चेस्ट नहीं खोल पा रहा है। नतीजा यह है कि जिले के बैंकों द्वारा लेनदेन का काम सीतामढ़ी एवं मुजफ्फरपुर जिले से मंगाकर पूर्ति की जाती है, जिसके कारण लोगों को कैश के अभाव जैसी समस्याओं से परेशान होना पड़ता है।

उल्लेखनीय है कि शिवहर जिला नक्सल प्रभावित क्षेत्र है तथा दूसरे जिलों से वहां पैसा आने-जाने में रिस्क है। मेरा मानना है कि यदि बैंक ऑफ बड़ौदा को कोई कठिनाई हो रही है तो वैसी स्थिति में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करेंसी चेस्ट खोलने का लाइसैंस देकर कार्रवाई की जानी चाहिए। इस संबंध में जिला पदाधिकारी शिवहर द्वारा भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को संज्ञान में दिया गया है।

अतः सदन के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए शिवहर में करेन्सी चेस्ट खोलने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाये, जिससे लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि झारखंड प्रदेश और बिहार से घरेलू कामगार, महिलायें और पुरुष, अपने-अपने राज्यों से दिल्ली, मुंबई एवं अन्य राज्यों में जाकर घरेलू काम करते हैं। सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि इनकी संख्या लगभग 15 लाख से 20 लाख है। यह सरकारी आंकड़ा है। उन लोगों की सुरक्षा और मानदेय की व्यवस्था नहीं है। उनका कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है कि कितने लोग कहां पर कार्यरत हैं। जब मर्जी हो लोग उनको नौकरी से हटा देते हैं, उनको सताया जाता है, उनको परेशान किया जाता है। खासकर, जो आदिवासी परिवार हैं, जो झारखंड प्रदेश से यहां नौकरी की तलाश में आते हैं, उनके साथ काफी कठिनाई है। आप से हमारा आग्रह होगा कि इनकी लिस्टिंग की जाये और एक नियम बनाया जाये, जो पूरे देश में लागू हो। यही मेरा आपसे आग्रह है।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri Ravindra Kumar Pandey.

PROF. RICHARD HAY (NOMINATED): Mr. Deputy Speaker, Sir, I thank you for giving me this opportunity. I want to raise a very important matter regarding the tragedies of Indian fishermen.

The safety of the fishermen in our country who go for fishing in the high seas and some who stray into the international waters is a matter of great concern.

Some time back, an Italian ship was directly involved in shooting and killing our poor and innocent fishermen from Kerala. I fear appropriate action was not taken against the culprits. Hence, I have apprehensions that such situations may recur.

Our fishermen may inadvertently cross the international borders and be caught and imprisoned by countries like Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, Diego Garcia, etc. In such circumstances, they undergo inhuman treatment and it is not known how many were killed in the foreign waters. They languish in threatening environment in foreign jails for a considerably long period and at home their near

and dear ones undergo anguish and agony. Such transgressions into foreign waters can also lead to international conflicts and alarming disputes between the countries involved. In such complex situations, the legal process involved is circuitous and cumbersome.

In view of these circumstances, I would like to urge upon the Government of India to take necessary steps to alert our fishermen who cross the international border by using an early warning system.

श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर में बंद पड़े इनकैब इंडस्ट्री लिमिटेड से संबंधित के कुछ मुद्दे आपके सामने उठाना चाहता हूं। यह कंपनी वर्ष 1921 में जमशेदपुर शहर में स्थापित किया गया था। यह कंपनी प्रारंभ से वर्ष 1952 तक अच्छे लाभ के साथ एक अग्रणी कंपनी के रूप में अपनी पहचान बना चुका था। लेकिन कुछ अधिकारियों के कुप्रबंध के परिणामस्वरूप कंपनी का दिनोंदिन पतन होने लगा। यह कंपनी बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रीयल एंड फायनैंशियल रिकंस्ट्रक्शन, बीआईएफआर में भेजा गया। अंततः इसे 04.04.2000 में एक सीक कंपनी घोषित किया गया। इसके बाद बीआईएफआर ने उस कंपनी के पुनरूद्धार के लिए तीन कंपनियों को बोली के लिए आमंत्रित किया, जिसमें टाटा स्टील, आरआर केबल एवं पेगासेस असेस्ट्स रिकंस्ट्रक्शन ने भाग लिया। बीआईएफआर ने टाटा स्टील को सबसे अच्छा बीडर माना है। बीआईएफआर के इस निर्णय के खिलाफ शेष दो कंपनियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील किया। माननीय उच्च न्यायालय ने 27.05.2015 को इस याचिका की सुनवाई करते हुए निर्णय रिजर्व रखा। जिसके कारण लगभग् 3000 कर्मचारियों के परिवार दाने-दाने के लिए भटक रहे हैं। अतः मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि व्यापक मजदूर हित में इसपर कुछ विचार करें।

13.00 hours

*SHRI R. K. BHARATHI MOHAN (MAYILADUTHURAI) : Hon. Deputy Speaker Sir, Vanakkam. Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr. *Puratchithalaivi* Amma has proposed a scheme to provide Distress Alert Transmitters as a measure of enhancing the safety to about 30000 fishermen having motorized and mechanized boats. These transmitters will also provide information about climate changes and warnings. Thus Scheme will be implemented gradually for the current

---

* English translation of the Speech originally delivered in Tamil.

year. I urge that the Union Government should provide 75 per cent grant to this Scheme in order to benefit more number of fishermen. The Union government should immediately release the remaining dues of Rs.207.30 Crore for construction of fishing harbours in Colachel, Chinnamuttom, Poompuhar and Thengapattinam. The guidelines pertaining to Coastal Regulation Zone are posing restrictions and affecting the livelihood of fishermen of Tamil Nadu. I urge that the fishermen of Tamil Nadu should be exempted from these restrictions. The Government of Tamil Nadu led by Hon. *Puratchithalaivi* Amma has been encouraging deep sea fishing activities. In order to implement this programme in a coordinated way, the Union government should release an amount of Rs.1520 Crore to the State of Tamil Nadu. Thank you..

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): उपाध्यक्ष महोदय, देश में कानून-व्यवस्था को सही तरह लागू करने की जिम्मेदारी खास तौर से पुलिस विभाग पर होती है। इसलिए सरकार ने पुलिस के विकास और उत्थान के लिए ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डैवलपमैंट की स्थापना की थी जिसका मुख्य काम समय-समय पर जरूरी अनुसंधान करवाना और पुलिस के उत्थान के लिए कार्य करना है। लेकिन देखने में आ रहा है कि विशेष रूप से राष्ट्रीय सहारा जैसे समाचार पत्र में विगत तीन दिनों से मुख पृष्ठ पर तथ्यों सहित दिखाया जा रहा है कि रिसर्च एंड डैवलपमैंट के नाम पर चलाई जा रही परियोजनाओं के नाम पर अधिकारियों द्वारा अपने ही लोगों का भरण-पोषण करने का काम किया जा रहा है, अपने लोगों को खुश करने का कार्य किया जा रहा है। हमारी आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग है कि रिसर्च कार्यों को अपने हित के लिए इस्तेमाल करने से न केवल पुलिस विभाग का नुकसान हो रहा है बल्कि राजस्व को भी चूना लगाया जा रहा है। अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह इस तरफ ध्यान दे और रिसर्च एंड डैवलपमैंट जैसे पुलिस विभाग के अनुसंधान केन्द्र को सशक्त करे।

HON. DEPUTY SPEAKER: S/ Shri P.P. Chaudhary, Bhairon Prasad Mishra, and Keshav Prasad Maurya, are permitted to associate with the issue raised by Shri Sharad Tripathi.

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में मेरे संसदीय क्षेत्र में 28 अक्टूबर, 2015 को चार मंदिर जो कम्पाउंड के अंदर थे, एमआईबीसी के बजाज नगर परिसर में थे और एक चर्च को तोड़ दिया गया। ऐसे 1,389 मंदिर, मस्जिद, बौद्ध विहार, गिरजा घर, गुरुद्वारे के लिए नोटिस दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट

का आदेश ऐसा नहीं है, लेकिन उसके आड़े हमारा प्रशासन यह काम कर रहा है। मंदिर तोड़ते समय काफी मॉब जमा हुआ। मैंने रोका था। लेकिन आज ऐसे मंदिरों के बारे में नोटिस निकले हैं जो 300-400 साल पुराने हैं। जैसे मेरे क्षेत्र में नाथ मंदिर, दत्त मंदिर, मस्जिद, दरगाह, गुरुद्वारा आदि हैं। मैंने अहलुवालिया साहब को बताया कि 400 साल पुराना गुरुद्वारा है। वे खुद आए थे। उसे भी इललीगल बता दिया गया यानी तोड़ने की कोशिश है। अगर ऐसे हुआ तो कैसे चलेगा। माननीय बाला साहब ठाकरे जी की कुल दैवत्त कारला देवी, जो लोनावाला के पास पुणे डिस्ट्रिक्ट में है, वह कई वर्षों से है। उसे भी तोड़ने के बारे में नोटिस दिया गया है। प्रशासन ऐसे बता रहा है कि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश ऐसा नहीं है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से विनती करूंगा कि वह सिविल कोर्ट में अपना रिव्यू पिटिशन दाखिल करे।...(व्यवधान) जैसे महाराष्ट्र में 40 हजार मंदिरों के बारे में नोटिस है। एक बाबरी ढांचा गिर गया।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: S/Shri Bhairon Prasad Mishra, Arvind Sawant, Shrirang Appa Barne, Rahul Shewale, are Dr. Shrikant Eknath Shinde permitted to associate with the matter raised by Shri Chandrakant Khaire.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय खाद्य निगम की दस वर्षीय गारंटीड वेयरहाऊसिंग स्कीम की ओर मैं सदन और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। वर्ष 2011-12 में इसके लिए टेंडर हुआ था, कुछ लोगों ने वेयरहाऊस बना लिए हैं लेकिन राज्य और एफसीआई की ज्वाइंट बेंचर कई बार अनुबंध करने में विलंब लगाती हैं और दूसरे लोगों को एक साल के अंदर जो सब्सिडी मिलनी चाहिए दो-तीन साल में भी नहीं मिलती है। भारत सरकार की कृषि मंत्रालय की एमडीआई और नाबार्ड अधिकारियों की टीम सर्वे करने के लिए जाती है उनके विलंब के कारण बहुत नुकसान होता है। अगर किसी किसान का 5 करोड़ का लोन हैं, अगर उसे दो साल सब्सिडी नहीं मिलेगी तो उससे ज्यादा ब्याज हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि आप 50 लाख की सब्सिडी को तत्काल उपलब्ध कराइए क्योंकि मध्य प्रदेश सूखे से गुजर रहा है और किसान संकट में है।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra and Shri Keshav Prasad Maurya are permitted to associate with the issue raised by Shri Prahlad Singh Patel.

Hon. Members those who have given letters about their subjects will only be called to raise matters in the House.

श्री रामस्वरूप शर्मा (मंडी) : महोदय, मंडी की अधिकांश ग्राम सड़क योजना प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत नामित की गई हैं। हिमाचल प्रदेश में ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2603 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी जिसमें से 1343 करोड़ ही अभी तक व्यय किए गए हैं लेकिन आश्चर्य है कि बहुत से निर्माण कार्य इस योजना के तहत असंतोषजनक पाए गए हैं। निर्माण कार्यों के लिए निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया भी असंतोषजनक है। प्रदेश में 603 में से 50 परसेंट सड़कें की गुणवत्ता संबंधी निरीक्षण अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र मंत्री के भीतरी गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निम्नलिखित सड़कों का हाल भी बदत्तर है जो आम जनता के लिए कठिनाइयां पैदा कर रहा है। प्रदेश में स्वीकृत सड़कों की संख्या 2100 के करीब थी जिसमें से 577 सड़कें अभी तक नहीं बन पाई हैं। अगर प्रदेश में यह कार्य इसी धीमी गति से चलता रहा तो प्रदेशवासी विशेषकर कुल्लु और मंडिवासियों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। मेरा ग्रामीण विकास मंत्रालय से निवेदन है कि पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के लिए इस योजना के तहत विशेष वित्तीय राशि प्रदान की जाए जिससे इस योजना का लाभ जरूरतमंद ग्रामीण लोगों को मिल सके और अधूरी पड़ी सड़कें पूर्ण हो सकें।

श्री रोड़मल नागर (राजगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र राजगढ़ मालवा क्षेत्र में अपनी ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए है। सिद्ध शक्ति पीठ माता बुगलादेवी नलखेड़ा, भैंसवा माता, जालपा माता राजगढ़, कपिलेश्वर महादेव, रानीरूपमति स्मारक, सारंगपुर, बाग-बागेशवर, महादेव चाचौरा, नरसिंगढ़ में प्रागैतिहासिक महत्व के शैल्यचित्र कोटरा शाका शयामजी व आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। वन्य प्राणी अभ्यारणय चिरिखों व बैजनाथ महादेव मंदिरों की श्रृंखलाएं प्राकृतिक सौन्दर्य पहाड़ों से भरपूर पहाड़ों से निकलने वाले झरने, प्राचीन और सांस्कृतिक महत्व के बेहद सुंदर और नक्काशीदार मंदिरों, किले, सुंदर महलों, पशुपति नाथ जलमंदिर व मनोरम झीलों से आच्छादित होने के कारण मध्य प्रदेश के लोग इसे मालवा के कश्मीर के नाम से जानते हैं। यहां की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत में मध्यकालीन भारत के विभिन्न अवशेष और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रणवीर कुंवर चैन सिंह जी की शहादत से जुड़ी गौरवपूर्ण वीरगाथाएं क्षेत्र का महत्व स्वयं प्रतिपादित करती हैं। नरसिंगढ़गढ़ सहित संपूर्ण संसदीय क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाएं रेखांकित करती है। यह क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग 12 व अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भोपाल से मात्र 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि नरसिंगढ़ क्षेत्र को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाता है तो क्षेत्र विकास के साथ-साथ स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

डॉ. भारतीबेन डी. श्याल (भावनगर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र भावनगर में एक भाल क्षेत्र है, जिसमें वेलावदर और आसपास के इलाके में बहुत ही सुंदर घास के मैदान हैं। उसमें हजारों की संख्या में

काले हिरण पाए जाते हैं। उसकी वजह से 1976 में उसे कालिया हिरण का अभ्यारणय घोषित किया गया है। यह लगभग 42 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस अभ्यारण्य के आसपास कोई भी बाऊंड्री या फेन्सिंग नहीं है इसलिए हिरण आसपास के क्षेत्रों में चले जाते हैं और किसानों की फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इस वजह से किसान बहुत ही परेशान रहते हैं। सुंदर घास मैदान और काले हिरण की वजह से यह सुंदर पर्यटन स्थल बन सकता है लेकिन सुविधाओं के अभाव में वे सिर्फ घास के जंगल बन कर रह गए हैं। आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसके चारों तरफ फेंसिंग कराई जाए जिससे हिरणों का शिकार न होने पाए।

SHRI M. UDHAYAKUMAR (DINDIGUL): Hon. Deputy Speaker, Sir, Dindigul district is having administrative divisions of seven taluks, 14 blocks, 539 Panchayats and 341 villages. The district is a part of Cauvery and Capecomerin to Cauvery basin and parts of Vaigai and Pambar sub-basins. The important rivers in the basin are Shanmuganadhi, Nangangiar and Kodavanar. They are ephemeral in nature. The southern part of the district falls under Vaigai sub basin. The important rivers are Maurdhanadhi, Manjalar and Vaigai. These are also ephemeral in nature and receive flow during the monsoon period only.

Systematic hydro geological surveys were carried out and subsequently re-appraisal hydro geological surveys were carried by the Central Ground Water Board of the Ministry of Water Resources.

The Rain Water Harvesting Movement launched in 2001 was the brainchild of the hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Puratchi Thalaivi Amma. It has had a tremendous impact in recharging the groundwater table all over Tamil Nadu. To consolidate the gains, various measures have been taken up for rejuvenation of Rain Water Harvesting structures created already in both public and private buildings, besides creating new ones.

I urge upon the Ministry for water resources and the Central Ground Water Board (CGWB) to help the Tamil Nadu State Government in improving the groundwater development in the Dindigul parliamentary constituency.

Thank you.

श्रीमती कृष्णा राज (शाहजहाँपुर): उपाध्यक्ष महोदय, देश में लगभग 6 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, जो बहुत ही छोटे तबके का रोजगार करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। मुद्रा योजना हमारी प्रधान मंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है। देश में किशोर, व्यस्क आदि सभी को रोजगार मिले और वह सुचारू रूप से अपना जीवन यापन कर सके, ऐसी यह योजना है। लेकिन आज मेरे संसदीय क्षेत्र में बार-बार बैंकों में लीड बैंक का एक अधिकारी तय होने के बाद मुद्रा योजना लोगों तक न पहुंचकर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गयी। वहां पर व्यक्ति को 50 परसेंट राशि देने के बाद ही धनराशि उपलब्ध करायी जाती है - चाहे वह 50 हजार रुपये हो या 5 लाख रुपये हो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि हमारी मुद्रा योजना सुचारू रूप से चले, उसके लिए क्या वे बैंकों को कोई निर्देश देंगे, ताकि वे भ्रष्टाचार से मुक्त हो सकें और लाभार्थियों को उस योजना का लाभ मिल सके।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Keshav Prasad Maurya, Shri Bhairon Prasad Mishra and Dr. Manoj Rajoria are permitted to associate with the issue raised by Shrimati Krishna Raj.

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार अत्यंत पिछड़ा और गरीब देश है। रघुराजन कमेटी के बाद इस बात का भी खुलासा हुआ है। लगातार 25-30 सालों से बिहार का विकास करने की बात आती है, तो कभी विशेष पैकेज, विशेष राज्य का दर्जा देने की बात आती है। मैंने इस बारे में कई बार मांग की है कि एक लाख 68 हजार करोड़ रुपये जो आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने देने की घोषणा की है, उसमें मैंने आग्रह किया है कि जो बंद पड़ी फैक्टरियां हैं, चाहे डालमिया नगर हो, सहरसा की बैजनाथपुर पेपर मिल हो, चीनी मिल हो, जूट मिल हो या सिल्क मिल हो। मैंने कई बार कहा है कि वहां के मजदूर सबसे ज्यादा पलायन करते हैं। वे रोजगार के लिए बाहर जाते हैं। ...(व्यवधान) मेरा आग्रह है कि जितनी भी चीनी मिल्स बंद हैं, चाहे वह बनमंखी की चीनी मिल हो ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। ...(व्यवधान) मैं चीनी मिल के बारे मे कहना चाहता हूं। ...(व्यवधान) जितनी भी चीनी मिल्स बंद हैं, चाहे वह बनमंखी, उदाकिशनगंज का हो। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: You can raise only one point.

Now, Shri Naranbhai Kachhadia

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि गुजरात राज्य में पाकिस्तान से सटी लगभग 1600 किलोमीटर की समुद्री सीमा है, जो देश

की सुरक्षा की नजर से बेहद संवेदनशील एवं कमजोर है। इस लंबी समुद्री सीमा पर बेहद महत्वपूर्ण अल्ट्रा पावर प्रोजेक्ट, प्रमुख पत्तन/पोर्ट, प्रमुख पेट्रोलियम रिफाइनरी इत्यादि अनेक महत्वपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर गतिविधियां गुजरात के मुख्यतः कच्छ एवं जामनगर में चलती हैं, जिसकी सुरक्षा हेतु सरकार को प्राथमिकता प्रदान करते हुए यथासंभव गंभीर प्रयास करने होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि गुजरात सरकार ने इस लंबी समुद्री सीमा की व्यापक सुरक्षा हेतु भारत सरकार को इन समुद्री तटों से सटे 11 जिलों में 51 समुद्री पुलिस स्टेशन खोलने का प्रस्ताव सन् 2005 में भेजा था, परन्तु भारत सरकार ने अभी तक दस वर्ष बीत जाने के बाद भी उक्त प्रस्ताव को पूर्ण रूप से कम्प्लीट नहीं किया। इसके अतिरिक्त गुजरात के कच्छ जिले में जखाऊ में मेदी के बीच का समुद्री तटीय इलाका पूरी तरह से पुलिस/बीएसएफ की समुद्री टुकड़ी की निगरानी से वंचित है, जो कि काफी चिंता का विषय है। ...(व्यवधान)

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्ज़ापुर): माननीय उपाध्यक्ष जी, देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वालों का यदि स्मरण किया जाए तो बहुत सारे पुरुषों का नाम अनायास ही याद आ जाता है लेकिन बहुत सारी महिलाओं के नाम इसलिए नहीं याद आ पाते हैं क्योंकि कहीं न कहीं इतिहास में हम अपनी वीरांगनाओं को पर्याप्त महत्व देने में चूके हैं। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी में रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो पूरा देश जानता है लेकिन उनकी सेना की सबसे बहादुर सैनिक झलकारीबाई कोरी का नाम आज भी देश की जुबान पर नहीं आ पाया है। इन्होंने झांसी के किले के लिए अंग्रेजों के साथ संघर्ष के दौरान रानी लक्ष्मीबाई को सुरक्षित किले से बाहर निकालने के लिए स्वयं रानी लक्ष्मीबाई बनकर अंग्रेजों का सामना किया था। यह सच सामने आने पर अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया था। आज भी बुंदेली लोक कथाओं में झलकारीबाई कोरी के बलिदान की गाथा गाई जाती है। मेरा आपके माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री जी से अनुरोध है कि झलकारीबाई कोरी के संघर्ष के विवरण को स्कूली शिक्षा के इतिहास के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए ताकि देश की आने वाली पीढ़ियां आजादी के लिए लड़ी इस वीरांगना के बारे में जान सकें।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri P.P. Chaudhary, Dr. Satyapal Singh, Shri Bhairon Prasad Mishra, Shri Birender Kumar Choudhary, Shri Vinod Kumar Sonkar, Kunwar Pushpendra Singh Chandel permitted to associate with the issue raised by Shrimati Anupriya Patel.

श्री सी.आर.चौधरी (नागौर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं न केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र बल्कि पूरे देश के मामले के बारे में कहना चाहता हूं। ग्रामीण क्षेत्रों में खिलाड़ी प्रतिभाओं को विकसित और प्रोत्साहित करने के लिए पाइका योजना वर्ष 2009 में चलाई गई थी। इस योजना का बजट बहुत कम रहा वर्ष 2014 तक इस योजना में केवल कुछ खेलकूद कराए गए लेकिन प्रतिभाओं को निखारने में ज्यादा रोल नहीं हो सका।अल्टीमेटली वर्ष 1 अप्रैल, 2014 को यह योजना राजीव गांधी खेल अभियान में कन्वर्ट हो गई। पिछले पांच-छः साल से इस योजना में बजट बहुत कम दिया जा रहा है जबकि हर ब्लॉक में, हर पंचायत समिति में एक स्टेडियम बनना है। वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 में बजट बहुत कम दिया गया है जबकि पूरे देश में हर राज्य में 10-15 पंचायत समिति में स्टेडियम बनना है जिसकी लागत 1 करोड़ 60 लाख है।

मेरा आपके माध्यम से खेल मंत्री जी और वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि बजट बढाया जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Manoj Rajoria, Shri Keshav Prasad Maurya, Shri Bhairon Prasad Mishra and Pushpendra Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri C.R. Chaudhary.

DR. PRABHAS KUMAR SINGH (BARGARH): This is regarding discovery of a very important Buddhist relic cascade from Lalitgiri in the year 1985-87 by the Archaeological Survey of India but unfortunately, the discovery is still there and has not yet properly displayed. So, I would like ASI to display those relic cascades which are very sacred and very important in the Buddhist world. If it is displayed in the Odisha State Museum, then, tourists from different countries like Thailand, Myanmar, Japan will come and see.

I would also request to bring the Buddhists circuit like Lalitgiri, Ratnagiri, Udayagiri under the Buddhist Heritage of India. Under my Bargarh Parliamentary constituency of Odisha, there is a famous Buddhist site that is Muchhalinda Buddha in Ganiapali but unfortunately, the two Buddhist images were beheaded and were stolen. So, I would request to have the security by ASI.

SHRI P. NAGARAJAN (COIMBATORE): Sir, Coimbatore is the second largest city in Tamil Nadu and the most important commercial centre in South India. Coimbatore and its surroundings have a large number of Industries and textile

units doing exports to foreign countries particularly, the Gulf Countries. Coimbatore District is the hub of textile and knitwear industries and contributes substantial foreign exchange reserves to the Government of India through exports. At present, people from business community, industrialists, skilled professionals in both Coimbatore and gulf countries have to catch a flight either to Mumbai or Chennai to reach the destinations as there is no direct flight service between coimbatore and gulf countries.

Coimbatore is also attracting more people from gulf countries including business people, buyers and even patients for medical treatment. There is a huge demand for direct flight services to gulf countries from coimbatore and will be more profitable too.

I, therefore, urge the Government of India to provide a direct international flight services between Coimbatore and gulf countries to facilitate the air traffic requirement of the people of Coimbatore.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): माननीय उपाध्यक्ष जी, आप स्वयं एक किसान हैं, आप देश के अधिकांश राज्यों में सूखे की प्रभावित स्थिति के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश में 50 जिले सूखाग्रस्त घोषित किए गए हैं। खरीफ में धान की फसल का जितना उत्पादन होना चाहिए था नहीं हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1535 रुपया प्रति क्विंटल घोषित हुआ। आज कहीं भी प्रदेश में धान के क्रय केंद्र न खुलने के कारण किसानों को 900, 950 या 1000 रुपए पर उत्पाद बेचना पड़ रहा है। एक तरफ जब किसान का खेत से उत्पाद निकलता है तो उन्हें औने-पौने दामों पर बेचना पड़ता है और दूसरी तरफ जब वे बाजार में खरीदते हैं तो महंगे दाम पर लेना पड़ता है। सम्मानित सदन में अधिकांश सदस्य किसान प्रतिनिधि हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से चुनकर आए हैं। इससे गंभीर कोई समस्या नहीं हो सकती है। किसानों की उपज के मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदने के दायित्व के लिए केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकारों को एडवाइजरी दे या निदेश दे कि जो उत्पाद किसान बेचना चाहता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर मिलेगा। खरीफ की सबसे महत्वपूर्ण धान की फसल है, इसकी खरीद नहीं हुई। मेरा अनुरोध है कि इस मामले में कम से कम केंद्र सरकार राज्य सरकार को निदेश दे।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Keshav Prasad Maurya, Shri Bhairon Prasad Mishra, Shri Md. Badaruddoza Khan and Shri Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri Jagdambika pal.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन में महाराष्ट्र राज्य के सम्मान की बात रखना चाहता हूं। हर साल 26 जनवरी को देश भर से हर राज्य की झांकियां राजपथ पर निकलती हैं और इसमें महाराष्ट्र राज्य के कला और वैभव का दर्शन होता आ रहा है। वर्ष 2015 को महाराष्ट्र राज्य की झांकी और चित्ररथ को प्रथम स्थान मिला था। हर वर्ष 26 जनवरी को महाराष्ट्र राज्य की झांकी और चित्ररथ को शामिल किया जाता रहा है। अब केंद्र सरकार से महाराष्ट्र राज्य को सूचना दी गई है कि वर्ष 2016 में 26 जनवरी के कार्यक्रम में महाराष्ट्र राज्य की झांकी एवं चित्ररथ को शामिल नहीं किया जा सकता है। ऐसी सूचना महाराष्ट्र राज्य को दी गई है। महाराष्ट्र में नागपुर में चल रहे विधान सभा सत्र में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह मुद्दा उठाया है। महाराष्ट्र की कुल 48 सीट में से 42 सांसद इस सदन में हैं।

मैं 26 जनवरी, 2016 को राजपथ में हो रहे कार्यक्रम में महाराष्ट्र राज्य का चित्ररथ शामिल करने की मांग करता हूं।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Arvind Sawant, Shri Rahul Ramesh Shewale, Dr. Shrikant Eknath Shinde is permitted to associate with the issue raised by Shri Shrirang Appa Barne.

SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH): Rajiv Pratap Rudy Ji, please take note of this. It is a serious thing. … (*Interruptions*)

श्रीमती रंजनबेन भट्ट (वडोदरा): माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरे निर्वाचन क्षेत्र वडोदरा में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट निर्माणाधीन है। अगले कुछ महीने में यह कार्यरत हो जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट के परिचालन का आरंभ भी हो जाएगा। वडोदरा एयरपोर्ट का वर्तमान रनवे 8100 फीट का है जिसकी लंबाई 10,500 फीट तक करने का प्रस्ताव है। इससे ही अंतर्राष्ट्रीय विमानों का समावेश संभव होगा। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए नेशनल हाईवे क्रमांक 8 को अपने वर्तमान स्थान से डाइवर्जन देने की आवश्यकता पड़ेगी। एयरपोर्ट प्राधिकरण का गुजरात राज्य सरकार से संबंधित विभाग और वडोदरा जिला प्रशासन के साथ संकलन स्थापित कर दिया गया है। जमीन अधिग्रहण का आयोजन भी किया गया है, इसमें नेशनल हाईवे अथारिटी आफ इंडिया भी शामिल है। नेशनल हाईवे क्रमांक 8 पर 2000 मीटर से ज्यादा जमीन की जरूरत है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से प्रार्थना करती हूं कि इस कार्य को आगे बढ़ाया जाए।

SHRI C. MAHENDRAN (POLLACHI) : Hon. Deputy Speaker Sir, Vanakkam. I wish to speak from this seat. I wish to speak in Tamil.

HON. DEPUTY SPEAKER: Yes

*SHRI C. MAHENDRAN : Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr. *Puratchithalaivi* Amma has stressed the need for immediate release of Government of India's share towards the disbursement of Post-matric Scholarship to students belonging to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes in Tamil Nadu, which now totals Rs.1549.76 crores for the period up to 2015-16. Tamil Nadu is implementing the centrally sponsored scheme of Post-matric Scholarship for students belonging to the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes pursuing higher studies in recognized institutions. Under this scheme, 100 per cent Central Assistance is provided to all States/UTs beyond the committed liability. In 2015-16, the Government of Tamil Nadu has to incur a total expenditure of Rs.1295.55 crore towards Post-matric Scholarships, out of which Rs.942 crore is the Government of India's share. For the period up to 2014-15, arrears amounting to Rs.1175.10 crore were pending. During 2015-16, so far, only Rs.567.34 crore has been released by the Government of India, leaving a total balance of Rs.1549.76 crore. Sir, timely release of scholarships is very essential to keep the students, most of whom are from very poor families, adequately motivated to pursue their studies. I therefore urge for immediate release of Government of India's share of Rs.1549.76 crores for the period up to 2015-16 towards the disbursement of Post-matric Scholarship to students belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Tamil Nadu. Thank you.

श्री बीरेन्द्र कुमार चौधरी (झंझारपुर) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र झंझारपुर बिहार में दर्जनों नदियाँ नेपाल की तराई से निकलती हैं जिसमें बारह महीने पानी बहता है। जैसे विहुल नदी, बछराजा नदी, सुगरवे नदी और अधवारा नदी। इन सभी नदियों पर यदि सुलिश गेट की व्यवस्था कर दी जाए तो हजारों एकड़ जमीन में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। जिससे किसानों के पैदावार में कई गुना वृद्धि हो जाएगी। जबकि

---

* English translation of the Speech originally delivered in Tamil.

भारत सरकार ने किसानों की जमीन को सिंचित बनाने की बात कही है। बिहार में खेती के अलावा दूसरे कोई रोजगार के साधन नहीं हैं। यदि उपरोक्त सभी नदियों पर सुलिश गेट की व्यवस्था हो जाती है तो बिहार के किसानों को आत्महत्या करने की समस्या उत्पन्न नहीं होगी।

अतः आपके माध्यम से माननीय कृषि एवं सिंचाई मंत्री से आग्रह करूंगा कि यथाशीघ्र सर्वे कराकर सुलिश गेट बनवाने की कृपा करें।

SHRI P.R. SENTHILNATHAN (SIVAGANGA): I would like to draw the attention of the hon. Road and Transport Minister through the august House.

Sir, the National Highway–210 starts from Trichy to Ramanathapuram. The length of the road is nearly about 200 km. Out of 200 kilometre about 100 kilometre passes through my constituency, Sivaganga. The road is under the control of National Highway Authority of India. It connects the main pilgrim places like Rameshwaram, Devipattinam and Dhanushkodi.

The Union Government has already allotted funds for widening and reconstruction of the road. Tender formalities have also been completed two years back. The tender was taken by a contractor in 2013 but he never started the construction. As per the NHAI norms, all the roads under NHAI should be maintained every three years. In respect of this highway, no maintenance work has taken place since 2009. The contract company purposefully has been evading construction of the road for the last two years.

Our hon. Chief Minister, Dr. Puratchi Thalaivi Amma has allotted Rs.50 crore for immediate repair of the roads which have been affected by recent flood and rains. So, I request the Union Government either to compel the contract company to start the construction of road immediately or to cancel the contract and take necessary steps to lay the road from Karaikudi to Ramanathapuram.

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : महोदय, हमारे संसदीय क्षेत्र बक्सर शहर में पुराना सदर अस्पताल को विगत पांच वर्षों से बंद करके शहर से काफी दूर सुनसान जगह में नया सदर अस्पताल स्थापित किया गया है, जिससे शहरवासियों को चिकित्सा कराने में भारी संकट का सामना करना पड़ता है। विशेषकर रात्रि में

अचानक तबीयत खराब होने या दुर्घटनाग्रस्त लोगों को एवं महिलाओं को प्रसव के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है।

महोदय, विगत 27 नवम्बर को बक्सर के अधिवक्ता श्री प्रेम प्रकाश सिन्हा की बेटी के साथ छेड़छाड़ करने के प्रतिकार करने के बाद अपराधियों ने उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया एवं अस्पताल दूर रहने के कारण उनका समय पर समुचित उपचार नहीं होने से बाद में उनकी मृत्यु हो गई, जिससे जनाक्रोश व्याप्त है।

अतएव राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार से पुराने सदर अस्पताल, बक्सर में एक अत्याधुनिक सुविधा एवं विशिष्ट चिकित्सक युक्त "शहरी स्वास्थ्य केंद्र" खोलकर समुचित चिकित्सा व्यवस्था शहरवासियों को मुहैया कराने का आग्रह करता हूं। इसके साथ ही, बक्सर-भोजपुर, शाहाबाद क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग गंभीर रोग एवं दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद सघन चिकित्सा हेतु बनारस स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जाते हैं। इस संस्थान की शाखा बक्सर में खोलकर सुपर स्पेशियलिटी सुविधा मुहैया कराई जाए। साथ ही, केन्द्रीय सहायता से एक ट्रोमा सेंटर सहित मेडिकल कालेज की स्थापना बक्सर में शीघ्र कराई जाए। इसके अतिरिक्त प्रशासन एवं राज्य सरकार की गलती के कारण अधिवक्ता की हुई हत्या के लिए उनके आश्रितों को 50 लाख रुपये का मुआवजा तथा उनकी विधवा पत्नी को एक सरकारी नौकरी प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि परसों हरियाणा प्रदेश के लोकायुक्त ने हरियाणा के पूर्व पांच विधायकों के खिलाफ सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित फाइलों को सीएलयू के माध्यम से अप्रूव कराने के लिए रिश्वतखोरी का मामला सरकार को दर्ज करने को कहा है। हरियाणा प्रदेश के अंदर 73 हजार एकड़ जमीन की सीएलयू पिछले दस सालों में बदली गई है। जमीन घोटाला हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ा घोटाला था। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि दस सालों के अंदर, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास स्वयं सीएलयू बदलने का महकमा था, इसकी पूरी जांच सीबीआई से कराने का काम करें और जो भी दोषी हैं जिन्होंने घोटाला किया है और पैसे खाने का काम किया है, उन्हें सजा दिलाने का काम केंद्र सरकार करे।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri P.P. Chaudhary and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri Dushyant Chautala.

श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान अपने लोक सभा क्षेत्र मिश्रिख के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र बिल्हौर की ओर आकर्षित करना

चाहती हूँ, जहाँ से होकर कानपुर से बरेली, फरुखाबाद, कन्नौज का मुख्य मार्ग गुजरता है तथा इसी मुख्य मार्ग के किनारे से कानुपर-फरुखाबाद-मथुरा-दिल्ली रेलवे लाइन भी है।

कानपुर एक औद्योगिक नगरी होने के कारण इस मार्ग पर वाहनों का काफी आवागमन रहता है तथा जब रसूलपुर, उत्तरीपुरा व बिल्हौर-ककवन मार्ग पर बिल्हौर रेलवे क्रॉसिंग का गेट बंद हो जाता है तो वाहनों की लम्बी-लम्बी लाइनें लग जाती हैं।

अतः मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से मांग करती हूँ कि आम जनता की समस्याओं को देखते हुए रसूलपुर, उत्तरीपुरा तथा बिल्हौर-ककवन मार्ग पर बिल्हौर रेलवे क्रॉसिंग पर अतिशीघ्र रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कराने का कष्ट करें।

SHRIMATI R. VANAROJA (TIRUVANNAMALAI): Respected Deputy Speaker, Sir, I thank you for giving me this opportunity.

The hon. Amma Government in Tamil Nadu has been implementing many popular schemes for the betterment of pregnant women and newborns, such as Amma Master Health Check Up, Amma Woman Special Master Health Check-up, Amma Arogya Scheme, Amma Pregnancy Sanjeevi and Amma Baby Care Kit for newborns. These schemes have benefited lakhs of women across the State. The ayurvedic medicines boosting immunization are being provided to the pregnant women on stage-wise basis and this has helped paving the way for healthy delivery and healthy newborns.

The Amma Baby Kit worth Rs.1,000 is gifted to the newborn and it has 16 items including a towel, dress, bed, protection net, napkin, 100 ml baby oil bottle, 60 ml shampoo, sachet, a soap box, a soap, a nail clipper, toy, *Kilu Kiluppai*, a 250 ml hand wash liquid and a 100 gram soap bar for the mother. The scheme has benefited more than 6.7 lakh children across the State.

Another scheme being implemented by our hon. Amma Govt. is of having rooms in bus terminals across the State with an aim to help lactating mothers, who are travelling, to feed their newborns.

These are all popular schemes introduced by our hon. Amma and several

lakhs of women and newborns have been benefited out of it. Therefore, I urge upon the Central Government to introduce these model schemes, which have been introduced in Tamil Nadu by our hon. Amma Government, as national schemes and also provide funds to the State of Tamil Nadu for the said schemes. Thank you.

SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN (MURSHIDABAD): Sir, I am from Murshidabad District. This district has at least 100 kilometres of Indo-Bangladesh international border. Also, due to some historical reasons, both the Hindu and the Muslim have their relatives on both the sides of this border. In spite of these people having passports, they cannot go to the other side to meet their relatives due to lack of Land Custom Service, that is, Indo-Bangladesh Transit Service. There was a Land Custom Service at Lalgola, but I do not know why it is closed till date.

So, I would urge upon the Government, through you, to re-open the Lalgola Land Custom Service or sanction a new Land Custom Service in Murshidabad District.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri K. Ashok Kumar – not present.

Shri V. Elumalai.

SHRI V. ELUMALAI (ARANI): Hon. Deputy Speaker, Sir, I thank you.

I wish to raise an important issue. The population has grown manifold over the years. As per 2011 census, the population of Tamil Nadu stood at 7.2 crores compared to 6.5 crores at the time of introduction of limit for appointment of Public Notaries. The number of courts has also increased *vis-a-vis* the litigations or cases filed in such courts. It is relevant to say that besides commercial activities, notarial purposes have also increased. Moreover several thousands of applications are received by the State Government of Tamil Nadu for appointments of Notaries in the State.

The Notaries Act, 1952 regulate the profession of such Public Notaries. Rule 8 (4A) of the Notaries Rules, 1956 was amended and the number of Notaries

to be appointed by State Government of Tamil Nadu was reduced.

I, therefore, urge upon the Union Minister for Law and Justice to consider the proposal of the State Government of Tamil Nadu to make provision for increasing the number of Notaries appointed by the State from the existing 1,088 to at least 2,500 favourably in view of the huge population to be attended by these Public Notaries. Thank you.

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के चित्रकूट जनपद में दिनांक 8/12/2015 को मानिकपुर थाना के अंतर्गत सरैयां ग्राम में पुलिस द्वारा निर्दोष ग्रामीणों पर लाठीचार्ज किया गया तथा 15 लोगों को अलग-अलग घरों से, घरों में घुसकर महिलाओं और बच्चों से अभद्रता कर गंभीर दफाएं लगाकर बन्द कर दिया गया। दर्जनों लोगों को फर्जी गंभीर दफाओं में अभी भी नामजद किया गया है और सैकड़ों लोगों को अज्ञात के रूप में नामजद कर दिया है। उनका कसूर केवल यह था कि वहां के जो चौकी इंचार्ज थे - प्रभु दयाल यादव, उनकी गलत हरकतों और जिस प्रकार से वह पंचायत चुनावों में एक पार्टी का पक्ष ले रहे थे, उसका उन लोगों ने विरोध करने का काम किया था, इसलिए चौकी इंचार्ज ने स्वयं पार्टी बनकर उन लोगों की आवाज बन्द करने हेतु यह हरकत की है।

इसी प्रकार से 9/12/2015 को उसी सरैयां चौकी के अंतर्गत ग्राम पतेरिया में पुलिस ने पंचायत चुनाव के दिन लोगों पर बर्बर लाठीचार्ज किया है। अधिकारी दोषी लोगों का बचाव कर रहे हैं। अस्तु, आपसे निवेदन है कि दोषी चौकी इंचार्ज को निलम्बित कर सरैयां तथा पतेरिया ग्राम की घटना की न्यायिक जांच हेतु निर्देश देने की कृपा करें। साथ ही, निर्दोष ग्रामीणों पर लगाई गयी गंभीर दफाओं को निरस्त कराकर रिहा कराने हेतु निर्देश देने की कृपा करे।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shri Bhairon Prasad Mishra.

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत) : उपाध्यक्ष महोदय, देश के किसानों की और विशेष रूप से गन्ना उत्पादक किसानों की हालत अत्यंत गंभीर है। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी भी पिछले वर्ष का लगभग 2300 करोड़ रुपये गन्ना किसानों को भुगतान करना बाकी है। मेरे लोक सभा क्षेत्र बागपत में सबसे बड़ा दोषी मिल मालिक मोदी है, जो मलकपुर और मोदीनगर में दो चीनी मिलें चलाता है। मलकपुर चीनी मिल सन् 1998 में बनी और तब से लेकर आज तक, उसने कभी भी चालू वर्ष में गन्ना किसानों का भुगतान नहीं किया। अभी मलकपुर मिल के 211 करोड़ रुपये, मोदीनगर मिल के 128 करोड़ रुपये और किनौनी मिल के 26 करोड़ रुपये का भुगतान करना बाकी है। मेरे लोक सभा क्षेत्र में लगभग 365 करोड़ रुपये के गन्ने का भुगतान बकाया है। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट, इलाहाबाद के आदेश के बावजूद भी किसानों का भुगतान नहीं पा रहा है। किसानों की हालत अत्यंत नाजुक है, बीमारों का इलाज नहीं हो रहा है, जवान लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। इसलिए भारत सरकार ने जो ब्याज रहित 6000 करोड़ रुपये मिल मालिकों को देने का प्रस्ताव किया था, मोदी मिल उस प्रावधान की शर्तों पर खरा नहीं उतरती है। गांवों के भोले-भाले लोगों को यह नहीं मालूम है कि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार में क्या फर्क है, इसलिए केन्द्र सरकार से लोगों को बहुत उम्मीद है। क्या भारत सरकार इस विषय में विशेष ध्यान देकर गन्ना किसानों को भुखमरी के मुंह में जाने से बचाने के लिए कोई ठोस कार्रवाई करेगी? किसानों के बारे में कब पूरा सदन, सरकार व विरोधी पक्ष एक होकर कुछ ठोस निर्णय लेंगे? देश के विकास का रास्ता किसानों की खुशहाली से होकर ही निकलता है। किसानों को भूल जाना आगे आने वाले समय में खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान होगा।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Shri P.P. Chaudhary, and Shri Keshav Prasad Maurya are permitted to associate with the issue raised by Shri Satyapal Singh.

SHRI C. GOPALAKRISHNAN (NILGIRIS): Thank you, Sir, for giving me an opportunity to raise an important matter during '*Zero Hour*'.

Tamil is a Dravidian language predominantly spoken by Tamil people of India and northern Sri Lanka. It is the official language of Tamil Nadu and the Union Territory of Puducherry, Sri Lanka and Singapore. Tamil is the first Indian language declared as a classical language by the Government of India in 2004 and is one of the 22 languages recognized under the Eighth Schedule of the Constitution of India.

Tamil is spoken by more than 100 million people around the world, that is, in Tamil Nadu, Puducherry, Kerala, Andaman and Nicobar Islands, Karnataka, Andhra Pradesh, Malaysia, the United Arab Emirates, the United Kingdom, Mauritius, Canada, South Africa, Fiji, Germany, the Philippines, the United States, the Netherlands, Indonesia and France as well as the smaller emigrant communities elsewhere. Sir, as regards disseminating information in the official websites of the Union Government and Parliament of India relating to policies and programmes, the contents are available only in English and Hindi. Many Tamil speaking people find it difficult to download and understand the contents. The Union Government is not giving due importance to all languages, especially, to the classical languages. So, I would request the Union Government, through you, that henceforth all the official information may be uploaded in Tamil language also. Thank you, Sir.

श्री केशव प्रसाद मौर्य (फूलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, विश्व प्रसिद्ध प्रयाग का माघ मेला, जहां छः वर्ष में अर्ध-कुम्भ और बारह वर्ष में कुम्भ का मेला होता है और प्रत्येक वर्ष माघ मेला लगता है, जहां लगभग 50 लाख की संख्या में देश-विदेश से कल्पवासी और पूज्य संतगण आकर रात्रि में वहां रुककर अपना अनुष्ठान करते हैं। यह मेला मकर संक्रांति से महाशिवरात्रि तक चलता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1990 में जो व्यवस्थाएं वहां आने वाले तीर्थयात्रियों/कल्पवासियों के लिए एवं धार्मिक, सामाजिक संस्थाओं के लिए दी जाती थीं, वे व्यवस्थाएं आज भी उसी प्रकार से चल रही हैं। वर्ष 2015 तक देश की आबादी बढ़ गयी, संस्थाएं बढ़ गयी, मेले में आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ गयी। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से यह मांग करता हूं कि प्रदेश सरकार से सुविधाओं में वृद्धि कराने तथा प्रयाग के माघ मेला के लिए, वहां आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए, धार्मिक-सामाजिक संस्थाओं के लिए प्रतिवर्ष माघ मेले के लिए 500 करोड़ रुपये, अर्ध-कुम्भ एवं कुम्भ मेलों की तरह आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएं। धन्यवाद।

HON. DEPUTY SPEAKER : Shri Bhairon Prasad Mishra, Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri Keshav Prasad Maurya.

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Thank you, Deputy-Speaker Sir, for giving me the opportunity to speak in '*Zero Hour*'.

Today, I would like to speak about … (*Interruptions*)

SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH): Sir, today is his birthday. … (*Interruptions*)

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU: That is how I got the opportunity. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Just come to the point.

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU: Sir, I would like to speak about the problem of my Srikakulam railway station which is very peculiar because there is no direct entry to any of the platforms. If you have to get on the train, whether an old man or a child or anyone, they have to climb all the stairs and get down on any one of the platforms. Other than the inconveniences that the passengers are facing, the real problem is that all the services that are offered to the passengers are put on the platform like the toilet, VIP room, the waiting room, the cargo room, the postal services and everything is on the platform. So, the sanitation or the connectivity or the logistics and everything is a problem.

My single request is that if you have to take this project individually and you want to offer a direct entry to any of the platforms, it takes up to Rs.4 crore or Rs. 5 crore. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: What do you want? You tell me that.

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU : Yes, Sir. My request to the Government is this. The Government is taking up the expansion of the third line under the Golden Quadrilateral. This station also comes on that. When this expansion is going on, I would request the Government to take up the realignment of the platform within this project instead of taking it as an individual project.

SHRI B. SENGUTTUVAN (VELLORE): Hon. Speaker, I thank you for the opportunity. India was one of the exporters of match boxes. This industry is particularly a cottage industry employing about a million people. Over the last decade, about 8,000 of them are closed down. There are only about 2000 that are left. Most of these are situated in Sivakasi, Kovilpatti and Gudiyattam which are

within my Vellore Parliamentary constituency. Now the industry is in doldrums. It is facing troubles. The cost of raw materials has gone up because of that. The export incentive has been reduced by the Government and there is competition from other foreign countries. I would request the Ministry of MSME and the Commerce Ministry to look into the problem, increase export incentives of five per cent and give subsidy to the raw material.

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र भीलवाड़ा में 'भेल' द्वारा मेमू कोच सवारी डिब्बे बनाने के कारखाने के लिए 25 फरवरी, 2013 भारतीय रेलवे साथ एम.ओ.यू. साइन किया गया था। भूमि के ट्रांसफर के लिए राजस्थान सरकार और रेल मंत्रालय द्वारा एक एम.ओ.यू. किया गया। इस कारखाने के निर्माण के लिए 22.09.2013 को शिलान्यास भी कर दिया गया, लेकिन आज तक इस कारखाने का निर्माण शुरू नहीं हुआ है। मेरा आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से आग्रह है कि इस कारखाने के निर्माण कार्य को जल्द से जल्द शुरू कराया जाए।

SHRIMATI K. MARAGATHAM (KANCHEEPURAM): I thank you Hon. Deputy Speaker. The Medical Council of India is introducing a Common Entrance Test (CET) for admissions to Medical and Dental courses and had recommended to the Central Government for approval. MCI has also suggested to the Government to amend Section 33 of the Indian Medical Council Act to make sure of proper carrying out of the scheme.

This has created confusion and dissatisfaction in the minds of thousands of Tamil Nadu students who have so far been covered by a fair and transparent admission policy followed by the Tamil Nadu Government. This proposal of the MCI is unlawful and in violation of Articles 19, 25, 26, 29 and 30 of the Constitution. It will affect students from backward classes and would be a set back for them. In 2007, the Tamil Nadu Government scrapped the Entrance Tests and admission is done considering the plus two marks and reservation rules to professional and other courses.

The Supreme Court of India, in its judgment on July 2013 has quashed Medical Council of India and the Dental Council of India's National Eligibility-

cum-Entrance Test (NEET) for UG and PG. Our hon. Chief Minister, Puratchi Thalaivi Amma has strongly expressed disapproval of these attempts of introducing common entrance test for Admission and had requested the Prime Minister to withdraw the attempt. Hon. Amma has said that this will affect the poor, socio-economic background students from rural areas as they cannot compete with urban students. If this scheme is abolished, a large number of socially and economically backward rural students will be benefited.

Hence, I would urge upon the Prime Minister and the Union Government to disapprove the CET proposed by the MCI and continue with the current norms as per the request of our hon. Amma.

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से देश में राष्ट्रीय स्तर पर अपराध बढ़ रहे हैं। कई राज्यों में अपराधी अपराध करके एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं। इसके अलावा थानों की सीमाओं को लेकर भी विवाद होते हैं कि यह इस थाने का मामला नहीं है। आज अपराध अनेक प्रकार के हो गए हैं और तरह-तरह के अपराधी संगठन भी देश में खड़े हो गए हैं। जबकि हमारी पुलिस व्यवस्था उनसे काफी पीछे है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि देश में जितने भी पुलिस स्टेशन्स हैं, उन सभी का दिल्ली में एक डेटा सेंटर बनाया जाए। जिससे अलग-अलग तरह के क्राइम्स को एक जगह पर एनालाइज़ किया जाए और अध्ययन करके उन अपराधों को नियंत्रित किया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी और देश में अपराधों को रोकने का काम करेगी।

HON. DEPUTY SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Dr. Manoj Rajoria.

SHRIMATI V. SATHYABAMA (TIRUPPUR): Mr. Deputy Speaker, Sir, Jallikattu is deeply ingrained in the cultural traditions of Tamil Nadu and is immensely popular. Jallikattu found mention in the 2000-year old ancient Tamil literature Silappadikarm and has great religious significance too. Families donate bulls to temples in fulfillment of vows and are reverently protecting the particular bull breed. Jallikattu conducted during the annual Pongal festival is intertwined with the religious and socio-cultural ethos of Tamil society. Jallikattu is

inextricably linked to rural agrarian customs. The Supreme Court ban on Jallikattu has jolted the socio-religious and traditional sentiments of the people. Hon. Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma has suggested that the Ministry of Environment and Forests could denotify bulls from the list of performing animals within the legal ambit to enable the lifting of the ban on Jallikattu. Hon. Amma has also called for suitable amendments to the Prevention of Cruelty to Animals Act of 1960 by introducing a new clause specifically exempting Jallikattu along with other exemptions already provided in the Act.

HON. DEPUTY SPEAKER: You talk about what you want.

SHRIMATI V. SATHYABAMA: I urge upon the Union Government to act immediately and pave the way for conducting Jallikattu every year, particularly during the Pongal festival in Tamil Nadu, and also other Indian traditional sports like Sethali and Bailgada. Thank you.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश से आता हूं। मोदी सरकार ने रेलवे के क्षेत्र में लगभग साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये मेरे लोक सभा क्षेत्र में दिया है। ऊना-तलवाड़ा रेलवे लिंक को पूरा करने के लिए जो 40 वर्षों से चल रही है, उसको पूरा करने के लिए, लेकिन एक महत्वपूर्ण योजना है भनुपुली-बिलासपुर-लेह रेलवे लाइन, जो हमारे देश की रक्षा-सुरक्षा से जुड़ी हुई है। उसके लिए मात्र 165 करोड़ रुपये की घोषणा से काम नहीं चलेगा, उसको तेजी से लागू करवा कर डिफेंस के बजट में से भी उसमें लगभग एक हजार करोड़ रुपये से ज्यादा देना चाहिए ताकि लेह तक हम रेलवे लाइन पहुंचा पाएं। हमारे फौजी जवानों को वहां पर भी अपने टैंक्स और बाकी सारा सामान ले जाने के लिए बहुत सुविधा मिलेगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आपके माध्यम से मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि रेलवे विभाग के साथ डिफेंस मंत्रालय भी एक हजार करोड़ रुपये का बजट इस रेलवे लाइन के लिए रखे ताकि उस रेलवे लाइन को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Mr. Deputy Speaker, Sir, my submission is in respect of the foreign vessels that are illegally fishing in Indian waters. This is causing huge loss to the country's exchequer and affecting the livelihood of domestic fishermen. Several vessels of foreign origin are misusing the Letter of Permit scheme of the Indian Government to exploit lucrative Indian fish resources. Under the Indian Exclusive Economic Zone, only registered Indian fishing vessels can operate. But the LOP scheme of Department of Fisheries allows Indian fishing firms to buy technologically advanced foreign vessels. Dual registration is illegal as per the guidelines of LOP scheme. Foreign vessels are flouting the law. Ineffective monitoring, control and surveillance of such vessels are causing huge loss. The LOP guidelines require all vessels registered under the scheme to send their positions on voyage reports to the nearest coastguard office regularly. They are also required to submit their reports to the Fisheries Survey of India. However, in both the cases it was found that these reports were not submitted. Hence, I urge upon the Government of India to initiate urgent action for the strict and comprehensive rules and mechanism for effective monitoring, control and surveillance of fishing vessels in Indian waters. Thank you.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri P.K. Biju, Dr. A. Sampath are permitted to associate with the issue raised by Shri N.K. Premachandran.

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Hon. Deputy Speaker Sir, I thank you for giving me an opportunity for speaking in Zero Hour. The hon. Prime Minister has recently laid the foundation stone for the new capital of Andhra Pradesh, Amaravati. The capital is given its name from ancient Amaravati town which very close by because it has a great historical significance. The third centre of Buddhist learning was founded in Amaravati by Acharya Nagarjuna in the 2nd century B.C. after Taxila and Nalanda. It was also the capital for the Satavahana Empire between 2nd and 3rd century A.D. The Dalai Lama has also conducted a Kalachakra initiation at this very location in 2006.

During the British Raj, this ancient city was excavated about 140 years ago by Colonel Colin Mackenzie, the first Surveyor General of India and more than 70 artifacts depicting Amaravati sculpture were shipped to London in 1880. Several of these priceless artifacts date back to 2nd century B.C.

HON. DEPUTY SPEAKER: You tell what you want. Please come to the point.

SHRI JAYADEV GALLA: Sir, I am coming to the point. They are classified into four periods ranging from 2nd century B.C. to the 2nd century A.D. These and other sculptures and scriptures once adorned the great stupa at Amaravati and these artifacts are now displayed in Gallery no. 33A at London Museum.

Since Amaravati has become the capital of Andhra Pradesh, the Government of Andhra Pradesh is trying to create a world class museum to showcase the legacy of Amaravati. Hence, I request the Government of India to take up the issue with the Government of U.K. and see that these artifacts are returned to Andhra Pradesh as early as possible. Thank you.

SHRI M. CHANDRAKASI (CHIDAMBARAM): Hon. Deputy Speaker, I wish to draw the attention of the hon. Minister of Coal to the problems faced by 800 families residing in hutments on NLC's land coming under my Chidambaram Parliamentary Constituency.

These 800 families belong to contract workers and retired employees of NLC and they are living in hutments near NLC employees' quarters. They have been living there for 15 to 25 years in the Mandharakuppam region of Neyveli-2 Township in Periyar Nagar, Thiruvalluvar Nagar, ITI Nagar, Shivaji Nagar, Paattaiyar Colony and Anna Nagar area. NLC provided essential amenities including electricity connection to 100 huts in Mandharakuppam in 1963. As per the agreement reached with the workers unions in June 2012, 1000 more huts have been provided with electricity connection and other facilities in Thideerkuppam area.

In the recent extremely heavy rains and floods in Tamil Nadu, people are affected very badly and have lost their belongings. Hon. Chief Minister of Tamil

Nadu *Puratchi Thalaivi Amma* has taken extraordinary efforts to mitigate the problems of the flood ravaged people in Tamil Nadu.

NLC too has social responsibility to provide them adequate and immediate support in this grim situation and should not forget the contribution of those workers to NLC. I, therefore, urge the hon. Minister of Coal to take urgent action to give appropriate instruction to the officials of NLC to restore electricity connections and provide other essential amenities to the people living in huts in the Mandharakuppam region of Neyveli-2 Township.

DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): Hon. Deputy Speaker Sir, I would like to invite your attention because you are one of the most senior Members of this august House. While we speak about the vacancies yet to be filled up under various Government departments, PSUs, banks etc. what is the case, what is the situation in the Parliament of India? We all are very much thankful to the staff of the Parliament including the reporters, ministerial staff and security personnel. *

HON. DEPUTY SPEAKER: The hon. Speaker will take it up.

DR. A. SAMPATH: Sir, this is a very important issue. Only you can solve it and hon. Minister Shri Rajiv Pratap Rudy is also here.

HON. DEPUTY SPEAKER: You tell the hon. Speaker whatever you want.

DR. A. SAMPATH: I understand that some of the computers that we use are more than 10 years old. *

My humble request to the Government of India through you is to fill up the vacancies and to ensure promotion of people who are working in the Parliament of India also. … (*Interruptions*) There is no grievance redressal mechanism also.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Jose K. Mani, Shri P.K. Biju and Shri Joice George are permitted to associate with the issue raised by Dr. A. Sampath.

… (*Interruptions*)

---

* Not recorded.

श्री आर.के.सिंह (आरा) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सन् 1857 में हुआ था। उसके सबसे महान योद्धा वीर कुंवर सिंह, हमारे क्षेत्र से आते थे। उनका किला जगदीशपुर में है। वह एकदम जीर्ण-क्षीर्ण अवस्था में है। ये एक स्वतंत्रता सेनानी ऐसे थे, यही एक जनरल थे, सन् 1857 की लड़ाई में, जिन्होंने अंग्रेजों को तीन बार मात दी, खुली लड़ाई में अंग्रेजों को उन्होंने परास्त किया। दो बार भोजपुर में और एक बार उत्तर प्रदेश में जा कर किया। अब उनका किला एकदम जीर्णक्षीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है, आरा हाऊस, जहां पर ब्रिटिश लोगों ने वीर कुंवर सिंह की सेना के साथ लड़ाई लड़ी थी, उसकी हालत जीर्णक्षीर्ण अवस्था में है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ कि किले को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए और आरा हाऊस का जीर्णोद्धार किया जाए और उसको धरोहर के रूप में संरक्षित किया जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Nishikant Dubey and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri R.K. Singh.

… (*Interruptions*)

SHRI S.S. AHLUWALIA (DARJEELING): Sir, I would like to speak in Bengali.

HON. DEPUTY SPEAKER: All right.

Do not bring in State subject here.

… (*Interruptions*)

13.56 hours

SUBMISSIONS BY MEMBERS

(i) Re : Alleged lathi charge by Police against the people participating in protest march in West Bengal

*SHRI S.S. AHLUWALIA : Hon. Deputy Speaker Sir, I would like to speak in Bengali. Sir the State of West Bengal was once the symbol of culture and was well known for its civility. But today there is rampant corruption as well as terrorist activities. All sorts of immoral acts are going on in the state. Women are not safe. They are being raped, tortured, harassed. It is all the more unfortunate because the Chief Minister of West Bengal is herself a woman. She should have been the custodian of the dignity of women of her state. But on the contrary crime graph is rising, corruption is raising its ugly head during her regime. In order to protest against such atrocities, BJP partymen have started a civil disobedience movement. Yesterday our General Secretary Shri Kailash Vijayvargiya, Shri Suresh Pujari and our State President Dilip Ghosh were protesting against the Government in Nadia, Krishnanagar when the police resorted to lathi charge. They wanted to present a memorandum to the district officials but were stopped and beaten. They were arrested and put behind bars. In Barasat, Sidhartha Nath Singh was leading a protest march from Rathtala and was trying to reach Kachhari Maidan, when once again there was lathicharge. We feared that there would be loss of lives, people could be injured fatally. My point is that this august House should condemn the barbaric acts in one voice and thwart any attempt to stifle the voice of democracy. This House, must condemn the incident that took place in West Bengal.

HON. DEPUTY SPEAKER: Law and order is a State subject. Whatever you have said regarding women will only go on record; others will not go on record.

… (*Interruptions*)

* English translation of the Speech originally delivered in Bengali.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Nishikant Dubey, Shri Bhairon Prasad Mishra and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri S.S. Ahluwalia.

… (*Interruptions*)

SHRI MOHAMMAD SALIM (RAIGANJ): I am grateful, Sir.

It is a question of democratic atmosphere which is being challenged. It is not a question of any State matter. It is a question of democratic rights of people and every political party and association. It is a Constitutional right. … (*Interruptions*) In West Bengal, this is being trampled everyday. Unfortunately, no person has to right to raise his voice in West Bengal. … (*Interruptions*) Such a political injustice is going on in West Bengal. Even our party people are everyday becoming victims. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Md. Badaruddoza Khan is permitted to associate with the issue raised by Shri Mohammad Salim.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Sir, it is not unusual. When certain issues happen across the country, they get raised in Parliament. … (*Interruptions*)

Some incidents have happened in West Bengal where there has been a *lathi* charge. I said, of course, it is a State subject but what Shri Ahluwalia is raising is an issue of our fundamental right of freedom to speak. … (*Interruptions*) Our freedom to protest is impinged. I think, Parliament has every right when individual freedom is being curtailed, when the right to protest is being thwarted. Parliament has a right to discuss because it is a constitutional matter; it is not a matter of the State. … (*Interruptions*)

14.00 hours

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, all I want to say that Shri Ahluwalia may be aggrieved, as he alleges certain police action took place against the processionists of his Party. He has raised the matter here. But, Sir, please understand there are 29 States in this country and such actions take place all the time. So, if anywhere some agitation takes place is Parliament the proper venue to raise it? Law and order is an entirely State subject. Police action is an entirely State subject. Why should you allow such matters as lathi charge to be raised in this House?… (*Interruptions*) Sir, you should not allow this to be raised in the House.… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Prof. Saugata Roy, I have already responded that law and order being State subject cannot go on record. Whatever the hon. Member has said about women right will go on record. I have already said that.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।...(व्यवधान) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का 1987 में गठन किया गया था तथा तब यह अपेक्षा की गई थी कि इस क्षेत्र की सीमा में आने वाले महानगरों/नगरों को दिल्ली से चौड़े राजमार्गों एवं द्रुतगामी रेलगाड़ियों द्वारा जोड़ा जाएगा ताकि अधिकतम एक घंटे में दिल्ली तक की यात्रा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहने वाले लोग कर सकें।...(व्यवधान) लगभग 28 वर्ष बीत जाने के बाद भी मेरे संसदीय क्षेत्र के मेरठ व हापुड़ क्रमशः केवल 80 व 50 किलोमीटर की दूरी पर होने के बावजूद दिल्ली से अनेक-अनेक घंटों की दूरी पर हैं। ...(व्यवधान) अब माननीय नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने दिल्ली से मेरठ व हापुड़ को जोड़ने के लिए मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेस हाइवे की घोषणा की है, जिसके लिए क्षेत्र की जनता की ओर से मैं उनका अत्यन्त आभार व्यक्त करता हूँ।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: I have made it very clear.

… (*Interruptions*)

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : महोदय, इन मार्गों पर द्रुत रेलगाड़ियों का चलाया जाना बहुत आवश्यक है।...(व्यवधान) मेरठ व दिल्ली के बीच ईएमयू के संचालन का ट्रायल सफलतापूर्वक सम्पन्न हो चुका है तथा दिल्ली से हापुड़ एवं आगे मुरादाबाद तक रेल लाइन का दोहरीकरण भी हो गया है। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Nothing will go on record.

… (*Interruptions*)…*

श्री राजेन्द्र अग्रवाल: महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि दिल्ली से मेरठ के मध्य ईएमयू तथा दिल्ली से हापुड़ के मध्य डीएमयू या ईएमयू ट्रेन का परिचालन शीघ्र ही प्रारम्भ करने की कृपा करें। आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।

HON. DEPUTY SPEAKER: I have already made it very clear that State subjects cannot be discussed here. Law and order is a State subject.

… (*Interruptions*)

---

* Not recorded.

14.03 hours

SUBMISSIONS BY MEMBERS...Contd.

(ii) Re: Need to ensure protection to the students from Sikkim especially in Institute of Technology and Forward Management, Chandigarh

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Thank you Deputy Speaker, Sir, for giving me an opportunity to speak. I just want to draw your attention and that of the Government… (*Interruptions*) Many students from Sikkim study in other parts of the country. I must report that about three days ago in Chandigarh many of our students got beaten up by students from Himachal and Chandigarh. This is also a State matter. However, in the interest of national solution I would request the Government and the Home Ministry to take strict action in seeing that students from Sikkim are given protection especially in institutes like the Institute of Technology and Forward Management. This is an institution which really is very-very poor.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Sir, the issue which has been raised by Shri P.D. Rai, as far as students from Northeast India are concerned, they have every right to be and study in any part of the country and we have the highest respect and love for them. Sir, sporadic incidents like this do happen. Possibly, he has mentioned about Chandigarh. I do not know the background in which the situation has happened. He has taken the name of the Himachal Pradesh State. I do not know whether the States would be involved but there are issues where students get involved. They have a rivalry or a fight.It is the duty of the Central Government to find out what has happened and I will definitely like to find out what has actually happened in Chandigarh.

I have the highest respect for Chandigarh because Chandigarh is the place where I started my politics. That University is one of the finest universities in the

country but if certain incident has happened, we will find it out. We have to take care of all those students of Sikkim and even of all the other north-eastern States who are studying in Delhi or Pune or Karnataka. They are a part of us.

So, I can assure you from the Government that all these colleges and universities must take care of all these students and see that any such incident is redressed. So, Mr. Rai, I assure you that we will definitely look into it.

SHRI PREM DAS RAI : Thank you very much, Mr. Minister.

*SHRI K. PARASURAMAN (THANJAVUR) : Hon. Deputy Speaker Sir, Vanakkam. I wish to bring to the notice of Hon. Union Minister of Railways, through you some important issues pertaining to my constituency. Sixty years ago, the Railway line between Thanjavur and Pattukkottai was announced. After survey, the sanction for estimation, which is pending should be expedited. Similarly the sanction for estimation for laying of railway line between Mannargudi and Pattukottai is also pending. I urge the need for expediting the same. I also urge that the work relating to laying of railway line between Karaikkudi and Tiruvarur should also be expedited. Thank you.

* English translation of the Speech originally delivered in Tamil.

श्री पी.पी.चौधरी (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के पाली क्षेत्र से आता हूँ। पश्चिमी राजस्थान के गोडवाड सर्किट के जिला पाली, जालौर और सिरोही के पर्यटन विकास की योजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई थी। इस परियोजना हेतु धनराशि का आबंटन किया गया था। अभी तक 128 लाख रुपये इसके लिए जारी किये जा चुके हैं। इस परियोजना से मेरे लोक सभा क्षेत्र के विश्व प्रसिद्ध रणकपुर, नरवारिया और जवई बांध क्षेत्र के साथ-साथ अनेक पुरातत्व स्थलों और विरासतों का संरक्षण किया जा सकेगा जिससे नाडोल, घनेरा व नीमच भी शामिल हैं। अतः मेरा सदन के माध्यम से माननीय पर्यटन मंत्री भारत सरकार से अनुरोध है कि पश्चिमी राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु गोडवाड सर्किट विकास योजना की बकाया राशि शीघ्र रिलीज़ करने की कृपा करें जिसका प्रस्ताव राजस्थान सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को भेजा जा चुका है।

श्री ओम बिरला (कोटा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र कोटा में केन्द्र सरकार का राजकीय उपकरण इंस्ट्रूमैंटेशन लिमिटेड पूर्ण रूप से दम तोड़ चुका है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटा के अंदर इंस्ट्रूमैंटेशन लिमिटेड भारत सरकार का सबसे महत्वपूर्ण राजकीय उपकरण है लेकिन पिछले कुछ सालों से लगातार घाटे में चलने के कारण तथा दस साल तक कांग्रेस के राज में उसको कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलने के कारण वहाँ पर रिटायर्ड एवं वर्तमान कर्मचारियों को अभी वेतन नहीं मिल रहा है जिसके कारण इंस्ट्रूमैंटेशन लिमिटेड बंद होने के कगार पर है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि एक स्पेशल पैकेज रिवाइवल प्लान बनाकर उस महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमैंटेशन प्रोजैक्ट को चालू किया जाए ताकि वहाँ के कर्मचारियों को वेतन भी मिल सके और जिन कर्मचारियों का वेतन और ग्रेच्युटी बकाया है, उनको भी धन मिल सके। इसलिए उनको स्पेशल पैकेज देने की मांग मैं केन्द्र सरकार से कर रहा हूँ।

SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): Sir, I would like to raise an important issue regarding implementation of reservation in recruitment of Scientists, Engineers and academic staff in Sree Chitra Tirunal Institute of Medical Sciences and Technology, Thiruvananthapuram. It was originally a State institute but was converted into a national institute. In the beginning of this Session, we had a good discussion regarding constitutional rights as also to commemorate 125th birthday of the father of our Constitution, Dr. B.R. Ambedkar. This Institute is violating the constitutional right of reservation. Articles 16, 335, 338, 340, 341 and 342 of

the Constitution of India provide reservation in this Institution. But it is not ready to implement reservation policy in categories A, B, and C.

Therefore, I urge upon the Government to take immediate steps to provide reservation in this Institute.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Joice George and Shri Jose K. Mani are permitted to associate with the issue raised by Shri P.K. Biju.

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस राज्य झारखण्ड से आता हूं, वह इस देश का 40 से 50 परसेंट माइन्स और मिनरल्स देता है। 40 परसेंट रेलवे का रेवेन्यू झारखण्ड जैनरेट करता है और उसी के ऊपर मैं आपको कह सकता हूं कि मोर ऑर लैस एक राज्य पर इस देश की इकोनोमी रुकी हुई है। लेकिन वहां के जो आर्थिक हालात हैं, वहां 70 परसेंट लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं, 70 परसेंट महिलाएं एनीमिक हैं, 70 परसेंट बच्चे मैल न्यूट्रीशन के शिकार हैं। केन्द्र सरकार ने एक योजना बनाई है कि सभी राज्यों में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैडीकल साइंसेज़ की स्थापना करेगी, लेकिन लगातार, वर्षों से यू.पी.ए. सरकार में यह नैग्लैक्ट होता रहा और हमारी सरकार में भी पिछले दो सालों से झारखण्ड सरकार ने मांग की है कि देवघर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैडीकल साइंसेज़ बनाया जाये। वहां पांच करोड़ पिलग्रिमेज हमेशा आते हैं, बिहार, बंगाल और झारखण्ड इससे प्रभावित होंगे।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि झारखण्ड के साथ कम से कम इस बार डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैडीकल साइंसेज़ के लिए आप घोषणा करें और उसका काम 2016 में शुरू करें। धन्यवाद।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Hon. Deputy-Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity. The Government of Odisha has sent a proposal to the Central Government for setting up a Science Park Sub-regional Science Centre near Pathani Samanta Interpretation Centre, Khandpara.

Pathani Samanta was a very renowned person in the 19th century. The museum interpretation centre in the name of Pathani Samanta at Khandpara is an objective to bring into limelight the life, work and contribution of Samanta Chandrasekhar. Khandapara is the birth place of Samanta Chandrasekhar. He was born in 1834 and passed away in 1904. He is popularly known as Pathani Samanta.

He enriched Indian astronomy founded by Arya Bhatta, Brahm Gupta and Bhaskara. He designed his own instruments out of wood and bamboo in very simple form using pure trigonometry. Using this he was able to measure the height of trees, hills and clouds. He determined the angle between the stars and planets, calculated timing of eclipse and studied motion of planets in the Zodiac. Using available astronomical information he wrote *Siddhanta Darpan,* a mathematical treatise having 2500 *slokas* in Sanskrit which is still considered a master piece by the astronomers. The Pathani Samanta planetarium is established in Bhubneswar. We have put up a museum there.

My request before the Government is, the Government of Odisha has already written letters to the Central Government, to establish a Science Park Sub Regional Science Centre near Pathani Samanta Interpretation Centre, Khandpara with special emphasis on Physics, astro-physics and astronomy.

श्रीमती संतोष अहलावत (झुंझुनू): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। मैं बहुत छोटा सा बोलूंगी। मैं महिलाओं के लिए स्पेशली आपसे एक फेवर चाहती हूं। हरियाणा की महिलाएं, जिनकी शादी राजस्थान में हो गई है, उनका जाति प्रमाण-पत्र न राजस्थान में बन रहा है और न हरियाणा में बन रहा है तो उनको नौकरी के लिए या विभिन्न प्रिवलेजेज़ के लिए वह जाति प्रमाण-पत्र कहीं भी एक जगह बन जाये, ऐसा मैं आपसे एक फेवर चाहती हूं।

आपके माध्यम से मैं सरकार तक यह मैसेज पहुंचाना चाहती हूं। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shrimati Santosh Ahlawat.

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान राजधानी दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के लिए जल की समस्या से जूझ रहे किसानों की बदहाल स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त जल की अनुपलब्धता किसानों में भारी असन्तोष का कारण बन रही है, जिससे किसान मानसून आश्रित खेती पर निर्भर हैं, जिसमें अधिक भूमि वाले किसान सिंचाई के लिए पर्याप्त जलापूर्ति ना कर पाने के कारण सही प्रकार से खेती करने में असमर्थ हैं, जिससे फसल उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है और मुख्य रूप से अधिक भूमि वाले किसानों को भारी मात्रा में हानि पहुंच रही है। दिल्ली सरकार द्वारा किसानों की इस वास्तविक समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है

तथा ट्यूबवैल, बोरिंग खनन के कार्य पर लगे प्रतिबन्ध के कारण जल संकट का निराकरण कर पाना किसानों के लिए सम्भव नहीं है। माना भूजल से डिजास्टर जैसी समस्याएं पैदा होती हैं, लेकिन दिल्ली सरकार का दायित्व बनता है कि वह एम.एल.ए., एम.पी. फंड के माध्यम से वाटर हारवैस्टिंग की व्यवस्था कम्पलसरी करने के बाद उस स्थिति को दूर करे और अगर कोई किसान अपने एक एकड़ तक या उससे अधिक भूमि जिसके पास है, कोई नलकूप लगाना चाहता है तो प्रशासन के लोग वहां जाकर पैसा ऐंठते हैं और मिलकर उसका शोषण करते हैं। जिसके कारण वह अपनी फसल और कुछ सब्जी वगैरह अपनी एक एकड़ जमीन में भी नहीं उगा पाते हैं।

मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन है कि वह दिल्ली सरकार को आदेश दे कि इस प्रकार के एक एकड़ जमीन या उससे अधिक जमीन रखने वाले व्यक्ति को नलकूप लगाने की इजाजत दी जाये, जिससे भ्रष्टाचार रुके और किसानों को उनकी भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए मौका मिले। धन्यवाद।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shri Ramesh Bidhuri.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही लोक महत्व का एक मामला उठाना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत तत्कालीन प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा दनियावां से बिहार शरीफ, बरबीघा होते हुए शेखपुरा तक रेलवे लाइन बिछाना था। लेकिन, अभी तक इसे बिहार शरीफ तक चालू किया गया है। बिहार शरीफ से शेखपुरा तक के शेष रेलवे लाइन का कार्य आज तक अधूरा है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस रेलवे लाइन पर कब तक रेल चलाने की कृपा करेंगे?

14.15 hours

SUBMISSIONS BY MEMBERS...Contd

(iii) Re : Need to expedite the construction work of Ghorghat Bridge connecting Bihar and Uttar Pradesh in Bhagalpur under the Sansad Adarsh Gram Yojana

श्रीमती वीणा देवी (मुंगेर): उपाध्यक्ष महोदय, आज आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मुझे कल शून्य प्रहर में बोलना था, लेकिन तबीयत खराब होने की वज़ह से मैं कल नहीं बोल पायी थी।

महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि हर एक सांसद एक-एक गांव गोद लें। इसे एक साल से ज्यादा हो चुका है। जब हम अपने क्षेत्र में जाते हैं, तो जनता हमसे पूछती है कि आपने अभी तक एक ईंट भी नहीं लगायी है। हम अपने प्रधान मंत्री जी से मांग करते हैं कि इस काम को जल्द से जल्द शुरू कराएं। हमारे संसदीय क्षेत्र में मुंगेर विधान सभा में घोरघट पुल है, जो बाबा की नगरी देवघर में जाने का मुख्य मार्ग है। उसी पुल से बिहार और यू.पी. के लोग गुजरते हैं और वह पुल पन्द्रह सालों से टूटा हुआ है। हम चाहते हैं कि उसकी मरम्मत करायी जाए और एक तरफ से एक पुल बनवा दें।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Sir, on the issue raised by the hon. Member, Shrimati Veena Devi, Sansad Adarsh Gram is basically to adopt a village by Members of Parliament and use the support of the District Administration, the State Government and their own resources to adopt it as an ideal and model village. The Prime Minister’s appeal to the hon. Members is that Members of Parliament should primarily adopt these villages and make them a place where they can serve those people and make them a model to be replicated everywhere. The Prime Minister will not make it happen. It is the whole system that has to work together. This is a great and noble idea which has to be done and all the MPs are making efforts on this part.

SHRI B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR): Sir, in my State of Telangana, irrigated land is one crore acres. Out of these one crore acres of land, 42 lakh acres is under the cultivation of cotton. In spite of the drought condition, the farming community in the State of Telangana had raised the crop of cotton in these 42 lakh acres. This is the harvest time and the Minimum Support Price of cotton is only Rs. 4150.

I urge upon the Government to raise it to Rs. 5000. The hon. Prime Minister, during his election meetings, said that the Swaminathan Committee Report will be implemented but unfortunately, the Government has not taken any steps to increase the Minimum Support Price of cotton. Thus, I urge upon the Government to increase the MSP of cotton to Rs. 5000.

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अति लोक महत्व का एक विषय रखना चाहता हूं। भारतीय रेल देश के नागरिकों की सुविधा के लिए सवारी एवं मालगाड़ियों का संचालन करती है। मेरे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर में कई वर्षों पहले रेल के दो सर्वे हुए थे, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए रेलवे ने उसका सर्वे किया था। एक सर्वे था - हमीरपुर रोड को उरई रेलवे लाइन से जोड़ने का, जो दुर्गा मन्दिर, कुरारा और कदौरा होते हुए जाती थी। दूसरा सर्वे महोबा से चरखारी, राठ गोहांड और उरई होते हुए वहां से भिंड तक रेलवे लाइन का था।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से विनम्र निवेदन है कि यह जो सर्वे हुआ है, उसे आगामी वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट में निश्चित रूप से जोड़ा जाए।

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) : महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र पलामू के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 75 की दयनीय स्थिति के बारे में सदन का ध्यान आपके माध्यम से आकृष्ट करना चाहता हूं। यह सड़क पड़वा मोड़ से लेकर मुढ़ीसमर होते हुए, गढ़वा होते हुए उत्तर प्रदेश की सीमा तक जाती है। इसका निर्माण कार्य वर्ष 2010 में शुरू हुआ था। इसको वर्ष 2012 तक पूरा हो जाना था, लेकिन आज भी इस राष्ट्रीय राजमार्ग का केवल एक चौथाई काम हुआ है। इस सड़क की स्थिति इतनी दयनीय है, इसमें इतने गड्ढे हैं, इसमें इतनी धूल उड़ती है, जिससे लाखों लोग बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि इस सड़क का निर्माण कराया शीघ्र जाए। ...(व्यवधान)

14.22 hours

SUBMISSIONS BY MEMBERS...Contd.

(iv) Re : Need to construct a Panchnad Project in Bundelkhand region to solve the problem of drought in Uttar Pradesh and Madhya Pradesh

श्री अशोक कुमार दोहरे (इटावा) : महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं पहली बार सदन में बोल रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश के इटावा संसदीय क्षेत्र से चुनकर आता हूं। अभी कुछ समय पहले सदन में सूखे पर चर्चा हो रही थी और सूखे पर मंत्री जी ने विस्तार से पूरे सदन को अवगत कराया। मैं आज आपके माध्यम से सूखे की समस्या के विषय में कहना चाहूंगा। माननीया मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं। खास तौर से मेरा क्षेत्र भी उस एरिया के अन्तर्गत आता है। जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का बुन्देलखण्ड का इलाका है, वहाँ पर अक्सर सूखे की समस्या रहती है। माननीया मंत्री जी हमारे क्षेत्र में गई भी हुई हैं, चूँकि हमारे क्षेत्र में यमुना, चम्बल, क्वारी, सिंध, पहुज पाँच नदियाँ एक ही स्थान पर मिलती हैं, जिसे पंचनद के नाम से जाना जाता है। उस क्षेत्र में सूखे की समस्या भी रहती है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वहाँ पर बहुत समय से काफी लंबे समय से पंचनद परियोजना की माँग उठती चली आ रही है।

मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ एक साथ पाँच नदियों का मिलन होता है, वह पंचनद क्षेत्र कहलाता है। वहाँ एक बहुत बड़ा मेला भी लगता है। वहाँ पंचनद परियोजना स्थापित कर दी जाए तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सूखे की समस्या का निदान हो जाएगा और साथ ही बिजली संकट से भी छुटकारा मिलेगा। मुझे आज सदन में बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is allowed to associate with the matter raised by Shri Ashok Kumar Dohre.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the hon. Member, Shri Ashok Kumar Dohre was the Cabinet Minister in Uttar Pradesh. Because of your presence in the Chair, the hon. Member got to speak for the first time. Being a former Cabinet Minister in a State is also something very appreciable. Your effort will be appreciated by the House always

for making Shri Ashok Kumar Dohre to speak in the 'Zero Hour'. … (*Interruptions*)

THE MINISTER OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SUSHRI UMA BHARTI): Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you. I want to respond to the hon. Member. उन्होंने जो बुंदेलखंड की सूखे की समस्या उठायी है और समाधान के लिए पंचनदा की बात कही है, जहां पांच नदियों का मेल होता है। वह पहली बार बोल रहे हैं, तो पहली बार ही मैं उनको यह उपहार दूंगी कि पंचनदा ऑलरेडी हम पीएमकेएसवाई में लेंगे। यह एश्योरेंस मैं पार्लियामेंट के अंदर ही दे रही हूं। बहुत जल्दी ही इसकी एक रिपोर्ट सीडब्ल्यूसी से बनाकर हम आदरणीय संसद सदस्य महोदय को और सदन को अवगत कराएंगे। …(व्यवधान)

HON. DEPUTY-SPEAKER: I will call everyone. Do not worry.

श्री संतोष कुमार (पूर्णिया) : उपाध्यक्ष महोदय, यह अति लोक महत्व का सवाल है। आनन्द विहार से जोगबनी को चलने वाली सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेन है, जिसमें पेंट्री कार नहीं होने की वजह से यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चूंकि आनन्द विहार से जोगबनी जाने वाली ट्रेन को 25 से 30 घंटे लगते हैं। ट्रेन में साफ-सफाई बिल्कुल ही नहीं है। उसमें एसी फर्स्ट का एक डिब्बा जुड़ना चाहिए।

महोदय, सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से हम मांग करते हैं कि आनन्द विहार से जोगबनी चलने वाली सीमांचल एक्सप्रेस में पेंट्री कार जोड़ी जाए, उसकी साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। चूंकि सीमांचल से एकमात्र ट्रेन यह चलती है, जो आनन्द विहार को आती है।

महोदय, आपके माध्यम से आग्रह है कि इस ओर पहल की जाए।

श्री कामाख्या प्रसाद तासा (जोरहाट) : महोदय, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। असम में 55 परसेंट चाय उत्पादन होता है। यहां पर लगभग 9 लाख टी लेबर्स हैं। इन टी लेबर्स को आज तक आफ्टर इंडिपेंडेंस रेज्ड वेज नहीं मिलता है। सदन में ऑनरेबल लेबर मिनिस्टर मौजूद हैं। मैं लेबर मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि असम सरकार को और बाकी लोगों को जो कंसर्न अथारिटी हैं, उनको बोला जाए। टी-गार्डेन लेबर्स को 115 रुपये मात्र मिलते हैं, माननीय मंत्री जी इन लोगों को रेज्ड डे वेज की व्यवस्था करें।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are allowed to associate with Shri Kamakhya Prasad Tasa with regard to the 'Zero Hour' mention made by him today.

श्री भोला सिंह (बुलंदशहर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि मेरा लोक सभा संसदीय क्षेत्र बुलंदशहर दिल्ली से मात्र 75 किलोमीटर की दूरी पर है, जो दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है। लेकिन वहां पर आने-जाने के लिए रेल की सुविधा नहीं है। अभी पिछले साल एक सर्वे पूरा हुआ है - जो दादरी, बुलंदशहर होते हुए नरोला तक जाता है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आने वाले बजट सत्र में माननीय रेलमंत्री जी उसको पूरा कराने के लिए आदेश करें एवं उसे पूरा करायें।

श्री रामेश्वर तेली (डिब्रूगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे डिब्रूगढ़ लोक सभा संसदीय क्षेत्र में बोगापानी रेलवे स्टेशन बहुत दिनों से बंद है। मैं रेलवे मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह रेलवे स्टेशन अतिशीघ्र खोला जाये।

श्री मुकेश राजपूत (फरूखाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे फरूखाबाद संसदीय क्षेत्र से लगी हुयी लगभग 400 एकड़ जमीन पड़ी हुयी है। वहां पहले ढाक और विलायती बबूल उग आते थे, उन्हें लोग छः महीने बाद काट लेते हैं और इंधन के रूप में उनका उपयोग करते हैं। मेरा पर्यावरण मंत्री से निवेदन है कि वहां पर लगभग 2000 बीघा जो जमीन पड़ी हुयी है, उसमें केन्द्रीय प्राणी उद्यान बन जाये, हमारे आस-पास के 14-15 जनपदों में कोई प्राणी उद्योग नहीं है, वहां प्राणी उद्योग बन जायेगा।

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी पिछले सप्ताह अनुसूचित जाति एवं जनजाति फोरम का एक प्रतिनिधि मंडल आरणीय प्रधानमंत्री जी से मिला था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दलितों से संबंधित पड़े सभी मुद्दों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन भी दिया है। जिस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर का दायरा बढ़ रहा है, उससे दलितों के रोजगार के अवसर दिन-प्रतिदिन संकुचित होते जा रहे हैं। यहां तक की क्लास-फोर सर्विसेज में तो वन-थर्ड नौकरियां आउटसोर्सिंग एवं कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से भरी जानी लगी हैं। आरक्षण से संबंधित 85वें संविधान संशोधन को हर रोज कोर्ट में चुनौतियाँ दी जा रही हैं जिसके परिणाम स्वरूप दलित कर्मचारियों की प्रमोशन की बजाय डिमोशन का सिलसिला शुरू हो चुका है। …(व्यवधान)

मान्यवर, इन सब पर रोक लगाने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि दलितों के आरक्षण को बचाने के लिए एक संविधान संशोधन बिल संसद से पास कराया जाये। एक अभियान चलाकर बैकलॉग को पूरा किया जाये। मैं मांग करता हूं कि दलितों के आरक्षण से संबंधित सभी मुद्दों को एक कानून पास करके संविधान की नौवीं सूची में लाया जाये ताकि दलित समाज की समस्याओं का हल हो सके।

14.28 hours

SUBMISSIONS BY MEMBERS...Contd.

(v) Re : Need to repair Ganga Ghats in Dumdum Parliamentary constituency, West Bengal

प्रो. सौगत राय (दमदम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि हर मैम्बर को संसदीय क्षेत्र के बारे में सवाल उठाने का आपने मौका दिया है। आप यह नया प्रेसिडेंट तैयार किये हैं। इसके लिए आपका नाम स्वार्णाक्षरों में लिखा जायेगा। उमा भारती जी, मैं आज यहां आपकी ओर एक सवाल उठाता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र के बीच से गंगा मां बहती है। गंगा के तीर में चार पौर निगम हैं, बाड़ा नगर, कमरहट्टी, पानीहट्टी और खड़दा है। यूपीए के जमाने जब गंगा रीवर बेसिन ऑथोरिटी थी, तब इसमें तीन कमरहट्टी, पानीहट्टी और खड़दा में जितने गंगा के घाट हैं, उन सबका केन्द्रीय सरकार की मदद से मरम्मत करवाया गया। मैं उनके बारे में डेढ़ साल से लिख रहा हूं। यह पहले पर्यावरण मंत्रालय के अधीन था। अभी नया मिनिस्ट्री बना है। एनजीआरबीए बदला और इसका नाम 'नमामि गंगे' हुआ, लेकिन बाड़ा नगर, जिसके साथ रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ और प्रशांत महानंदी जुड़े हुए हैं। वहां 13-14 घाट हैं, उनकी मरम्मत कराई जाये।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Sir, the hon. Minister wanted to respond to the issue raised by Prof. Saugata Roy.

THE MINISTER OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SUSHRI UMA BHARTI): Sir, just to honour the elder Member of Parliament, respected Saugata *dada,* मैं दादा को जानकारी देना चाहती हूं कि नवद्वीप, कोलकाता हमने बहुत ही प्रॉयरिटी में ले लिए हैं। हमने पूरे बंगाल का स्ट्रैच ले लिया है। मुझे यकीन है कि अप्रैल तक आपको सबका काम देखने को मिलेगा। मैं आपको आश्वस्त करती हूं।

SHRI SURESH C. ANGADI (BELAGAVI): Sir, my constituency, Belagavi is one of the educational hubs. Everyday students are met with accidents because of lack of railway over-bridge. Hence, I would request the hon. Railway Minister to direct the concerned authorities to take up construction of railway bridges in my constituency as early as possible.

I would also like to request the Civil Aviation Minister Shri Ashok Gajapathi Raju to develop the airport.

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र के बहुत लोक महत्व के विषय पर बोलना चाहता हूं। आपने मुझे इजाजत दी, सबसे पहले मैं आपको बधाई और धन्यवाद करता हूं। मेरे महाराजगंज लोक सभा क्षेत्र में कृषि से संबंधित कई फर्म हैं। मैंने पिछले सत्र में भी महाराजगंज में एक राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय खोलने के लिए आग्रह किया था। मैं पुन: आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि महाराजगंज लोक सभा क्षेत्र में जलालपुर में राष्ट्रीय...(व्यवधान)

ADV. JOICE GEORGE (IDUKKI): Sir, regarding education loan, I would like to state that this scheme has been formulated for the purpose of helping the poor people to pursue their higher studies. Presently, the nationalized banks are not giving education loan on one pretext or another. Everything is being denied. The other issue is about recovery of the loan. State Bank of Travancore has entrusted the entire task to recovery loan with Reliance, a private company. They are issuing notices from Mumbai. Poor persons are compelled to respond to the notices issued from Mumbai and they are compelled to be present in Mumbai for redressal of their grievances. This is a very serious issue. Hence, I urge upon the Government to take this issue seriously and do something for helping the poor people.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri B.K. Biju is allowed to be associated with the issue raised by Adv. Joice George.

DR. RATNA DE (NAG) (HOOGHLY): Sir, it is a matter of surprise for me to know that India accounts for 6,96,000 neonatal deaths per year. `Neonatal death' is defined as a death during the first 28 days of life. According to the World Health Organization (WHO), two-thirds of these deaths can be prevented by adopting proven and cost effective measures. There is a need for providing good quality care around the time of birth of a child. Particularly in the first days after birth which would go a long way in saving or preventing complications and infections in newborns.

I would like to strongly urge the Ministry of Health to make renewed efforts by adopting the basic efforts and by coordinating with the global health partners such as WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank, UNAIDS.

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYANAGAR): Sir, I would like to request the hon. Minister of Railways to intervene in the matter of construction of level-crossing at Pealy Railway Station on Sealdah-Canning line. It is an old railway station with good Ticket Selling Counter also. Due to absence of level crossing, vehicles from one side of the platform cannot move to the other side. So, I would like to request the hon. Minister to do the needful.

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील (भिवंडी) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे भिवंडी लोक सभा क्षेत्र में मध्य रेलवे में टिटवाल और खरौली के बीच 15 किलोमीटर का अंतर होने की वजह से 25 से 30 गांवों के लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्रालय से विनती करता हूं कि इन दोनों स्थानों के बीच गुरौली स्थान बनाने की कोशिश की जाए।

श्री छोटेलाल (राबर्ट्सगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सोनभद्र जिले में दो-तीन जगहों पर टॉल प्लॉजा लगाकर पैसा वूसल रहा है। सोनभद्र के किसानों को ट्रैक्टर से धान इधर से उधर ले जाने में बहुत दिक्कत आती है। मैं आपके माध्यम से उत्तर सरकार से चाहता हूं कि उस जिले में किसानों के ऊपर टॉल प्लॉजा न लगाया जाए। उनका टॉल प्लॉजा माफ किया जाए।

डॉ. बंशीलाल महतो (कोरबा) : उपाध्यक्ष जी, जिस तरह से अनेक राज्यों में एम्स है उसी तरह से प्रत्येक राज्य में एक आयुष का हॉस्पीटल होना चाहिए जिससे सभी प्रकार के चिकित्सा उपलब्ध हो सकें। पंचकर्म, एक बहुत बड़ी चिकित्सा पद्धति है जिससे मनुष्य का कायाकल्प होता है, प्रत्येक प्रदेश में एक 30 बेड का हॉस्पीटल हरेक जिला में होना चाहिए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel and Dr. Ramesh Pokhriyal are permitted to associate with the issue raised by Dr. Banshilal Mahato.

SHRI K. ASHOK KUMAR (KRISHNAGIRI): Mr. Deputy Speaker, Sir, Adhiyamankottai to Hosur Road is an important State Highway No. 17 in Tamil Nadu. The stretch from 0/0-4/450 and 16/0-103/4 is maintained by the Government of Tamil Nadu. The remaining part from 4/450-16/0 on NH 207 stretch is being maintained by the National Highways Authority of India. This road is an important inter-State connectivity road. This road starts in Karnataka State border at Malur adjacent to Hosur union, which runs through Hosur, Rayakottai and Palakkod towns and ends at Adhiyamankottai near Dharmapuri. This road lies both in Krishnagiri and Dharmapuri Districts of Tamil Nadu. This road is the shortest route to connect Hosur with Dharmapuri. The distance between Hosur to Dharmapuri via Krishnagiri through NH 44 is 96 kms. and through Hosur-Dharmapuri road (SH 17) is 79 kms and hence there is a saving of 17 kms. of vehicle running cost.

So, I urge upon the Union Minister of Road Transport and Highways to convert the stretch from 0/0-4/450 and 16/0-103/4 as National Highways.

श्री भीमराव बी. पाटील (ज़हीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र जहीराबाद में एक रेलवे स्टेशन पर फुटवर्क ब्रीज नहीं होने से काफी एक्सीडेंट होते रहते हैं, वहां फुटवर्क ब्रीज और आरओबी बनाया जाए इसके साथ बीदर का रेलवे लाइन भी बहुत दिनों से पेंडिंग है, इस पर भी कार्रवाई की जाए।

श्री ओम प्रकाश यादव (सीवान) : उपाध्यक्ष महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शिक्षक प्रेरकों के लिए मानदेए के रूप में 2000/- रुपये दिए जाते हैं। बिहार में दो-सालों से मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। केन्द्र सरकार कम से कम उनका मानदेय 10000 रुपये बढ़ाए और बकाये राशि का शीघ्र भुगतान किया जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Dr. Sanjay Jaiswal is permitted to associate with the issue raised by Shri Om Prakash Yadav.

SHRI P. KUMAR (TIRUCHIRAPPALLI): Mr. Deputy Speaker, Sir, under Article 159 of the Indian Constitution, the Governor assumes office by taking oath to preserve, protect and defend the Constitution. The Governor more than any functionary in the State is duty bound to preserve the Constitution. Under Article 163 of the Constitution, the Governor is required to act on the aid and advice of the Council of Ministers headed by the Chief Minister in the exercise of his functions. Under Article 174 of the Constitution, the Governor is empowered to summon the State Legislature. However, this power is to be exercised in accordance with Article 163 of the Constitution which implies that the Legislature can be summoned only on the advice of the Council of Ministers. The Governor appears to have * the provisions of Article 175 (2) of the Constitution. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: No, that cannot go on record.

… (*Interruptions*)… *

SHRI P. KUMAR: Sir, I mentioned it only in a general way. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Anything about the Governor's action cannot go on record.

… (*Interruptions*)… *

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, he has not mentioned any State. … (*Interruptions*)

SHRI P. KUMAR: Sir, this provision is intended for sending special messages. … (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Sir, this cannot go on record. … (*Interruptions*)

---

* Not recorded.

HON. DEPUTY SPEAKER: I told that anything about the Governor cannot go on record.

… (*Interruptions*)

SHRI P. KUMAR: It is not intended for the House to run unilaterally, not it is intended to tamper with the agenda for the discussion of the House.… (*Interruptions*)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Sir, this is the matter of the Constitution and if anyone wants to raise an issue about the Governor, under the rules and the Constitution, it should be under a substantive motion. No substantive motion has been received by the House. Nonetheless, even the Congress Members have been protesting about it on the floor of the House shouting and screaming. They have not raised this issue on the floor of the House from their chairs. The Government is always prepared to take up any motion for discussion concerning anything under the Constitution, but the process should be right. Even my friends from the Congress Party, who walked out, wanted to raise the issue; there was no quorum; there was no decorum in the House. As such, such things can only be – which are serious matters – under a substantive motion. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Anything said about the Governor cannot go on record.

… (*Interruptions*)

SHRI P. KUMAR: Sir, it is too important to confine it to just Arunachal Pradesh.… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Regarding the Governor whatever is said, it cannot go on record, I told.

… (*Interruptions*)

SHRI P. KUMAR: Sir, the act of the Arunachal Pradesh … (*Interruptions*)... * The President of India should … (*Interruptions*)... *

---

* Not recorded.

HON. DEPUTY SPEAKER: Regarding the Governor thing, it cannot go on record, I told.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Prof. Saugata Roy, Dr. K. Gopal, Shri T.G. Venkatesh Babu, Dr. Sidhant Mohapatra, Shri Prasanna Kumar Patasani, Shri P.R. Senthilnathan, Shri Kaushalendra Kumar, Shrimati R. Vanaroja, Shri K. Ashok Kumar, Shri P. Nagarajan, Shri R.K. Bharathi Mohan, Dr.K. Kamaraj, Shri V. Elumalai, Shri Dushyant Chautala and Shri Bhartruhari Mahtab are permitted to associate with the issue raised by Shri P. Kumar.

The House stands adjourned to meet again at 3.30 p.m.

14.42 hours

The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past Fifteen of the Clock.

15.32 hours

The Lok Sabha re-assembled at
Thirty-Two Minutes past Fifteen of the Clock.

(Hon. Deputy-Speaker *in the Chair*)

MOTION RE: 17TH REPORT OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, the House will take up Private Members' Business – Item No. 17, 'Motion for adoption of 17th Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions. Shri Rattan Lal Kataria.

SHRI RATTAN LAL KATARIA (AMBALA): Sir, beg to move:

> "That this House do agree with the Seventeenth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 16th December, 2015."

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That this House do agree with the Seventeenth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 16th December, 2015."

The motion was adopted.

15.33 hours

PRIVATE MEMBERS' BILLS-Introduced

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, we have 102 Bills for introduction. I would therefore request the Members not to read the complete title of the Bill; instead, Members should stand and say, 'I seek leave of the House to introduce the Bill and mention the serial number'. That is enough.

Now, Item No. 18, Shri Kalikesh Narayan Singh Deo –No, he is not available.

Item No. 19, Shri Kalikesh Narayan Singh Deo – No, he is not available.

Item No. 20, Shri Kalikesh Narayan Singh Deo – No, he is not available.

Item No. 21, Shri Chandrakant Khaire –Not present.

Item No. 22, Shri Prem Das Rai – Not present.

Item No. 23, Shri Yogi Adityanath –Not present.

Item No. 24, Shri Yogi Adityanath – Not present.

15.33 ½ hours

(i)MENTALLY RETARDED CHILDREN (WELFARE) BILL, 2015*

HON. DEPUTY SPEAKER: Item No. 25, Shri Om Prakash Yadav.

श्री ओम प्रकाश यादव (सीवान): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा मानसिक विमन्दित बालकों के कल्याण हेतु किए जाने वाले कतिपय उपायों तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for certain measures to be undertaken by the Union and the State Governments for the welfare of mentally retarded children and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

HON. DEPUTY SPEAKER: The leave is granted. Now, the Member may introduce the Bill.

श्री ओम प्रकाश यादव: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित भी करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 18.12.2015.

15.34 hours

(ii)THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2015 *
(Insertion of new articles 16A and 16AA)

HON. DEPUTY SPEAKER: Item No. 26 – Shri Om Prakash Yadav.

श्री ओम प्रकाश यादव (सीवान): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

HON. DEPUTY SPEAKER: The leave is granted. The Member may introduce the Bill.

श्री ओम प्रकाश यादव महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित भी करता हूं।

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, item No. 27 – Shri A.T. Nana Patil. He is not present.

(iii) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2015*
(Substitution of new Article for Article 331)

SHRIMATI POONAM MAHAJAN (NORTH CENTRAL MUMBAI): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India. "

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 18.12.2015.

The motion was adopted.

SHRIMATI POONAM MAHAJAN : I introduce the Bill.

15.35 hours

(iv) ANDHRA PRADESH REORGANISATION (AMENDMENT) BILL, 2015*
(Amendment of Section 26)

SHRI B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014."

The motion was adopted.

SHRI B. VINOD KUMAR: I introduce the Bill.

15.35 ¼ hours

(v)ANDHRA PRADESH REORGANISATION (AMENDMENT) BILL, 2015
(Amendment of Section 31)

SHRI B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014."

The motion was adopted.

SHRI B. VINOD KUMAR: I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 18.12.2015.

15.35 ½ hours

(vi)CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2015*

(Substitution of new Article for Article 130)

SHRI B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> " That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India. "

The motion was adopted.

SHRI B. VINOD KUMAR : I introduce the Bill.

15.36 hours

(vii) INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL, 2015*

(Substitution of new Section for Section 124A)

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860."

The motion was adopted.

DR. SHASHI THAROOR : I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 18.12.2015.

15.36 ½ hours

(viii)ASYLUM BILL, 2015*

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of an effective system to protect refugees and asylum-seekers by means of an appropriate legal framework to determine claims for asylum and to provide for the rights and obligations flowing from such status and for matters connected therewith.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of an effective system to protect refugees and asylum-seekers by means of an appropriate legal framework to determine claims for asylum and to provide for the rights and obligations flowing from such status and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

DR. SHASHI THAROOR: I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 18.12.2015.

15.37 hours

PRIVATE MEMBERS' BILL-Negatived

INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL. 2015*
(Substitution of new Section for Section 377)

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860.

HON. DEPUTY SPEAKER: Motion moved:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860."

Shri Nishikant Dubey. Please do not make a long speech. Just say to the point what you want to say.

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं किसी धर्म, वेद और पुराण के आधार पर खड़ा नहीं हुआ हूं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के ही जजमेंट के आधार पर इसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सर, सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट में लिखा है -

> "The family law in England has undergone a drastic change, recognized new social relationship between man and woman. In our country, however, even today a marriage is an arranged affair. We do not say that there are no exceptions to this practice or that there is no tendency, however, imperceptible, for young persons to choose their own spouses, but even in such cases the consent of their parents is one of the desiderata which is sought for. Whether it is obtained in any given set of circumstances is another matter. In such arranged marriages in this country the question of two persons being engaged for any appreciable time to enable each other to meet and be in a position to exercise undue influence on one another very rarely arises."

इसमें उन्होंने और लिखा है -

> "No doubt an objective and rational deduction of a principle if it emerges from a decision of a foreign country rendered on a *pari*

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 18.12.2015.

> *materia* legislative provision and which can be applicable to the conditions prevailing in this country will assist the court in arriving at a proper conclusion. While we should seek light from whatever source we can get we should, however, guard against being blinded by it. In view of the above, we hold that Section 377 IPC does not suffer from the vice of unconstitutional and the declaration made by the Division Bench of the High Court is legally unsustainable. "

DR. SHASHI THAROOR: Mr. Chairman, I am afraid that the hon. Member is actually quoting in a very partial manner from the Supreme Court Judgement. In fact, I have the relevant portion. The Supreme Court rather than upholding the Section actually said that the onus is on the competent legislature of Parliament and I quote:

> "To consider the desirability and propriety of deleting Section 377 IPC from the statute book or amend the same. "

What I am doing is, following the direction of the Supreme Court, I am proposing an amendment of the same. I am not deleting it. Therefore, Sir, I beg leave to introduce the Bill.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860."

SEVERAL HON. MEMBERS: We want Division.

HON. DEPUTY SPEAKER: Let the Lobbies be cleared -

Now, the Lobbies have been cleared.

Now, the Secretary-General to inform the House about the procedure regarding operating the automatic vote recording machine.

SECRETARY-GENERAL: Kind attention of the hon. Members is invited to the following points in the operation of the Automatic Vote Recording System:-

1. Before a division starts, every hon. Member should occupy his or her own seat and operate the system from that seat only;

2. When the hon. Deputy-Speaker says: “now division”, the Secretary-General will activate the voting button where upon "red bulbs above Display Boards" on both sides of the hon. Speaker's Chair will glow and a gong sound will be heard. This means the Voting System has been activated simultaneously.

3. For voting, hon. Members may kindly press the following two buttons simultaneously only after the sound of the gong and I repeat only after the sound of the gong. One "red" button in front of the hon. Member on the head of the phone plate and any one of the following buttons fixed on the top of desk of seats:

For Ayes - Green colour

For Noes - Red colour

For Abstain - Yellow colour

4. It is essential to keep both the buttons pressed till another gong is heard and the red bulbs above the plasma display switch off.

5. The hon. Members may please note that their votes will not be registered if the buttons are kept pressed before the first gong and if both buttons are not kept simultaneously pressed till the second gong.

6. Hon. Members can actually “see” their vote on Display Boards installed on either side of the hon. Speaker’s Chair.

7. In case, vote is not registered, hon. Members may call for the voting through slips.

HON. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put the motion to the vote of the House.

The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860."

The Lok Sabha divided.

DIVISION **AYES** **15.44 Hrs.**

Babu, Dr. Ravindra

Bais, Shri Ramesh

Chautala, Shri Dushyant

Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh

Dev, Kumari Sushmita

Ering, Shri Ninong

Ghosh, Shrimati Arpita

Hansdak, Shri Vijay Kumar

Jena, Shri Rabindra Kumar

Khan, Shri Md. Badaruddoza

Khan, Shri Saumitra

Kumar, Shri Kaushalendra

Kumar, Shri Santosh

Kumar, Shri Shailesh

Mahtab, Shri Bhartruhari

Mohapatra, Dr. Sidhant

Pandey, Dr. Mahendra Nath

Patasani, Shri Prasanna Kumar

*Ranjan, Shri Rajesh

Ranjan, Shrimati Ranjeet

*Reddy, Shri A.P. Jithender

Satav, Shri Rajeev

Satpathy, Shri Tathagata

Shetty, Shri Raju

*Sinha, Shrimati Renuka

Tharoor, Dr. Shashi

Tirkey, Shri Dasrath

---

* Voted through slip.

NOES

Ahlawat, Shrimati Santosh

Bala, Shrimati Anju

Barne, Shri Shrirang Appa

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai

Bhagat, Shri Sudarshan

Birla, Shri Om

Bohra, Shri Ramcharan

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh

Chaudhary, Shri C. R.

Chaudhary, Shri P.P.

Choudhary, Col. Sonaram

Deka, Shri Ramen

Dohre, Shri Ashok Kumar

Dubey, Shri Nishikant

Dwivedi, Shri Harishchandra alias Harish

Gaikwad, Dr. Sunil Baliram

Girri, Shri Maheish

Gowda, Shri D.V. Sadananda

Gurjar, Shri Krishanpal

*Jaiswal, Dr. Sanjay

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram

Jyoti, Sadhvi Niranjan

Kaswan, Shri Rahul

Kaushik, Shri Ramesh Chander

Kishore, Shri Jugal

Koli, Shri Bahadur Singh

Kumar, Shri Dharmendra

---

* Voted through slip.

Kushawaha, Shri Ravinder

*Lakhanpal, Shri Raghav

Mahato, Dr. Banshilal

Meena, Shri Harish

Meghwal, Shri Arjun Ram

Mishra, Shri Daddan

Munde, Dr. Pritam Gopinath

Nagar, Shri Rodmal

Narasimham, Shri Thota

Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal

Pal, Shri Jagdambika

Pandey, Shri Hari Om

Patel, Shri Devji M.

Patel, Shri Prahlad Singh

Pathak, Shrimati Riti

*Patil, Shri A.T. Nana

Patil, Shri C. R.

Rajoria, Dr. Manoj

Rajput, Shri Mukesh

Rathod, Shri D.S.

Rathore, Col. Rajyavardhan

Rathore, Shri Hariom Singh

Raut, Shri Vinayak Bhaurao

Saini, Shri Rajkumar

Sampla, Shri Vijay

Sarswati, Shri Sumedhanand

Sharma, Shri Ram Swaroop

Shetty, Shri Gopal

---

* Voted through slip.

Shewale, Shri Rahul

Shinde, Dr. Shrikant Eknath

Sigriwal, Shri Janardan Singh

Singh, Shri Bhola

Singh, Shri Dushyant

Singh, Shri Kirti Vardhan

Singh, Shri Nagendra

Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer

Singh, Shri Sunil Kumar

Singh, Shri Uday Pratap

Singh, Shri Virendra

Sinha, Shri Manoj

Solanki, Dr. Kirit P.

Sonkar, Shri Vinod Kumar

Tasa, Shri Kamakhya Prasad

Tripathi, Shri Sharad

Usendi, Shri Vikram

Yadav, Shri Hukmdeo Narayan

*Yadav, Shri Laxmi Narayan

Yadav, Shri Om Prakash

ABSTAIN

Raj, Dr. Udit

* Voted through slip.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Subject to correction*, the result of the Division is:

Ayes --24

Noes -- 071

Abstain -- 001

The motion was negatived.

---

* The following Members also recorded their votes through slips.
Ayes : 024 + S/Shri Rajesh Ranjan, A.P. Jithender Reddy, Shrimati Renuka Sinha = 027
Noes : 071 + Dr. Sanjay Jaiswal, S/Shri Raghav Lakhanpal, A.T. Nana Patil, Laxmi Narayan Yadav = 075
Abstain : 001

15.45 hours

PRIVATE MEMBERS' BILLS-Introduced...Contd.

(ix) CLINICAL ESTABLISHMENTS (REGISTRATION AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2015*

(Amendment of section 2, etc.)

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Clinical Establishments (Registration and Regulation), Act, 2010.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010."

The motion was adopted.

SHRI A.P. JITHENDER REDDY: Sir, I introduce the Bill.

15.45 ½ hours

(x) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2015*

(Insertion of new articles 77A, etc.).

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI A.P. JITHENDER REDDY: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 18.12.2015.

15.46 hours

(xi)TRANSGENDER PERSONS (WELFARE) BILL, 2015*

DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR (BARASAT): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for welfare of transgender persons and for matters connected therewith.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for welfare of transgender persons and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR: Sir, I introduce the Bill.

15.46 ¼ hours

(xii) THE SCHEDULED TRIBES AND OTHER TRADITIONAL FOREST DWELLERS (RECOGNITION OF FOREST RIGHTS) AMENDMENT BILL, 2015

(Amendment of Section 2)

श्री राजू शेट्टी (हातकणंगले) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारियों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to amend the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forests Rights) Act, 2006."

The motion was adopted.

SHRI RAJU SHETTY : Sir, I introduce the Bill.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Sushil Kumar Singh --- Absent.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 18.12.2015.

15.46 ½ hours

(xiii) DESTITUTE AND NEGLECTED WOMEN (WELFARE) BILL, 2015*

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि निराश्रित, उपेक्षित, वृद्ध, अशक्त अथवा शारीरिक रूप से निःशक्त विधवा, तलाकशुदा अथवा अविवाहित महिलाओं के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना करके उसके माध्यम से राज्य द्वारा ऐसी महिलाओं के लिए भरण-पोषण तथा कल्याणकारी उपाए किए जाने और तत्संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for maintenance and welfare measures to be undertaken by the State for the destitute, neglected, old, infirm or physically challenged widow, divorcee or unmarried women through establishment of an Authority and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI GOPAL SHETTY: Sir, I introduce the Bill.

15.47 hours

(xiv) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2015*
(Insertion of new article 300B)

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

श्री गोपाल शेट्टी : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 18.12.2015.

15.47 ¼ hours

(xv)BUREAU OF ACCOUNTABILITY BILL, 2015*

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भ्रष्टाचार उन्मूलन और प्रशासन को कुशल बनाने के उपाय सुझाने के लिए जवाबदेही ब्यूरो की स्थापना करने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of a Bureau of Accountability to suggest measures for rooting out corruption; making the administration efficient and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

श्री गोपाल शेट्टी : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

15.47 ½ hours

(xvi)CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2015*

(Substitution of new article for article 21A)

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI JAYADEV GALLA: I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 18.12.2015.

15.48 hours

(xvii) SAVITA AMBEDKAR NATIONAL UNIVERSITY FOR WOMEN BILL, 2015*

DR. UDIT RAJ (NORTH WEST DELHI): I beg to move for leave to introduce a Bill to establish and incorporate a University in the National Capital Territory of Delhi to provide for avenues of higher education and research facilities to the women in India and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to establish and incorporate a University in the National Capital Territory of Delhi to provide for avenues of higher education and research facilities to the women in India and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

DR. UDIT RAJ : I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 18.12.2015.

15.48 ½ hours

(xviii) FREE EDUATIONAL AND HOSTEL FACILITIES TO STUDENTS BELONGING TO SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND ECONOMICALLY WEAKER CLASS BILL, 2015*

DR. UDIT RAJ (NORTH WEST DELHI): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for free educational and hostel facilities upto post graduation level for the students belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Economically Weaker Class and for matters connected therewith.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for free educational and hostel facilities upto post graduation level for the students belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Economically Weaker Class and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

DR. UDIT RAJ : I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 18.12.2015.

15.49 hours

(xix)CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2015*
(Amendment of articles 124 and 216)

DR. UDIT RAJ (NORTH WEST DELHI): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

DR. UDIT RAJ : I introduce the Bill.

15.49 ¼ hours

(xx)SUPREME COURT OF INDIA (ESTABLISHMENT OF A PERMANENT BENCH AT AURANGABAD) BILL, 2015*

SHRI CHANDRAKANT KHAIRE (AURANGABAD): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of a permanent Bench of the Supreme Court of India at Aurangabad.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of a permanent Bench of the Supreme Court of India at Aurangabad."

The motion was adopted.

SHRI CHANDRAKANT KHAIRE: I introduce** the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 18.12.2015.
** Introduced with the recommendation of the President.

15.49 ½ hours

(xxi) ANGANWADI WORKERS (REGULARIZATION OF SERVICE AND OTHER BENEFITS) BILL, 2015*

श्री ए.टी.नाना पाटील (जलगाँव) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवाओं का नियमितीकरण और उन्हें सरकार के स्थायी कर्मचारियों की हैसियत प्रदान करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for regularization of services of anganwadi workers, conferring the status of permanent employee of the Government on them and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

श्री ए.टी.नाना पाटील: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

15.50 hours

(xxii) REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL, 2015
(Amendment of Section 30)

श्री राहुल शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विघधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Representation of the People (Amendment) Act, 1951."

The motion was adopted.

श्री राहुल शेवाले : महोदय, मै विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 18.12.2015.

15.50 ½ hours

(xxiii) RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION (AMENDMENT) BILL, 2015*

(Amendment of section 2, etc.)

श्री राहुल शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009."

The motion was adopted.

श्री राहुल शेवाले : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

15.51 hours

(xxiv)PERSONS BELONGING TO ECONOMICALLY WEAKER SECTION (RESERVATION OF VACANCIES IN POSTS AND SERVICES) BILL, 2015

श्री राहुल शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए केन्द्रीय सरकार के अधीन स्थापनों में पदों और सेवा में रिक्तियों के आरक्षण और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for reservation of vacancies in posts and services in establishments under the Central Government in favour of persons belonging to the economically weaker section and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

श्री राहुल शेवाले : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 18.12.2015.

15.51 ¼ hours

(xxv) CONSTITUTUION (AMDNEMENT) BILL, 2015*

(Amendment of articles 338 and 340)

SHRI P.P. CHAUDHARY (PALI): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI P.P. CHAUDHARY: I introduce the Bill.

15.51 ½ hours

(xxvi) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2015*

(Amendment of article 16)

SHRI P.P. CHAUDHARY (PALI) I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI P.P. CHAUDHARY: I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 18.12.2015.

15.52 hours

(xxvii) NATIONAL COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES (AMENDMENT) BILL, 2015*

(Amendment of section 1, etc.)

SHRI P.P. CHAUDHARY (PALI): I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the National Commission for Backward Classes Act, 1993.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to amend the National Commission for Backward Classes Act, 1993."

The motion was adopted.

SHRI P.P. CHAUDHARY: I introduce the Bill.

15.52 ¼ hours

(xxviii) CONSTITUTUION (AMENDMENT) BILL, 2015*

(Insertion of new article 123A).

SHRI P.P. CHAUDHARY (PALI) I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI P.P. CHAUDHARY: I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 18.12.2015.

15.52 ½ hours

(xxix)ARTISANS (WELFARE AND PROMOTION) BILL, 2015*

श्री महेश गिरी (पूर्वी दिल्ली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में सांस्कृतिक और परम्परागत हस्तशिल्प कला के कल्याण और संवर्धन के लिए बोर्ड की स्थापना करने और इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे कारीगरों को संस्थागत और वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of a Board for the Welfare and promotion of cultural and traditional handicraft in the country and further to provide institutional and financial assistance to the artisans living in rural areas and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

श्री महेश गिरी: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

15.53 hours

(xxx) NATIONAL CADET CORPS (AMENDMENT) BILL, 2015
(Amendment of Section 6)

श्री महेश गिरी (पूर्वी दिल्ली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the National Cadet Corps Act, 1948."

The motion was adopted.

श्री महेश गिरी : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 18.12.2015.

15.53 ¼ hours

(xxxi) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2015*
(Amendment of articles 341 and 342)

SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI NISHIKANT DUBEY: I introduce the Bill.

15.53 ½ hours

(xxxii)CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2015 *
(Substitution of new article for article 130)

SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI NISHIKANT DUBEY: I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 18.12.2015.

15.54 hours

(xxxiii) SPECIAL FINANCIAL ASSISTANCE TO SANTHAL PARGANA REGION OF THE STATE OF JHARKHAND BILL, 2015*

SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for special financial assistance to the Santhal Pargana region of the State of Jharkhand for the purpose of promoting the welfare of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes of the persons and for the development, exploitation and proper utilization of its resources.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for special financial assistance to the Santhal Pargana region of the State of Jharkhand for the purpose of promoting the welfare of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes of the persons and for the development, exploitation and proper utilization of its resources."

The motion was adopted.

SHRI NISHIKANT DUBEY: I introduce** the Bill.

15.54 ½ hours

(xxxiv)CONSUMER GOODS (RIGHT TO FREE RETURN) BILL, 2015*

SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for consumers the right to free return of consumer goods within a stipulate time and for all matters connected therewith and incidental thereto.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 18.12.2015.
** Introduced with the recommendation of the President.

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for consumers the right to free return of consumer goods within a stipulate time and for all matters connected therewith and incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI NISHIKANT DUBEY: I introduce the Bill.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Rajesh Pandey – not present.

15.55 hours

(xxxv) PROTECTION OF REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS BILL, 2015*

SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for, in the interest of upholding the values of international human rights, an appropriate legal framework to process matters relating to forced migration in respect of determination of refugee status, protection from refoulement and treatment during stay.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for, in the interest of upholding the values of international human rights, an appropriate legal framework to process matters relating to forced migration in respect of determination of refugee status, protection from refoulement and treatment during stay."

The motion was adopted.

SHRI RABINDRA KUMAR JENA: I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 18.12.2015.

15.55 ½ hours

(xxxvi)CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) ORDER (AMENDMENT) BILL, 2015*

(Amendment of the Schedule)

SHRI NINONG ERING (ARUNACHAL EAST): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted introduce a Bill further to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950."

The motion was adopted.

SHRI NINONG ERING : I introduce the Bill.

15.56 hours

(xxxvii) REGULATION OF COMPUTER TRAINING CENTRES BILL, 2015*

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों के विनियमन और सरकार से रजिस्ट्रीकरण के बिना कार्य कर रहे सभी कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रतिबंध का उपबंध कराने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for regulation of computer training centres, banning of all the computer training centres functioning without registration from the Government. "

The motion was adopted.

श्री राजेश रंजन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 18.12.2015.

15.56 ½ hours

(xxxviii) CONTROL OF RISING PRICES BILL, 2015*

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आवश्यक वस्तुओं विशेाकर खाद्यान्नों, दालों, खाद्य तेलों, फलों और सब्जियों तथा दैनिक उपयोग की वस्तुओं के सतत् रूप से बढ़ रहे मूल्यों, जिसने आम आदमी को बुरी तरह से प्रभावित किया है, के नियंत्रण और जमाखोरी, मुनाफाखोरी के निवारण के लिए निवारक उपाय करने तथा आम आदमी को वांछित राहत प्रदान करने के लिए समुचित सरकार द्वारा सभी उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों के अभिनिर्धारण और उससे संसक्त या उसके आनुांगिक वियों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the deterrent measures for the control of consistently rising prices of essential commodities particularly of food grains, pulses, edible oils, fruits and vegetables and items of daily use which have adversely affected the common man and for prevention of hoarding, profiteering and determination of prices of all consumer goods by the appropriate Government to give the desired relief to the common man and for matters connected therewith and incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री राजेश रंजन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 18.12.2015.

15.57 hours

(xxxix)NEGLECTED AND SUFFERING WIDOWS (PROTECTION AND WELFARE) BILL, 2015*

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा समाज की जरूरतमंद, पीड़ाग्रस्त, परित्यक्त, निराश्रित वृद्ध या अशक्त विधवाओं के लिए कल्याणकारी उपाय प्रारंभ करके ऐसी विधवाओं की सुरक्षा किए जाने और इस प्रयोजन के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना तथा तत्संगत और उसके आनुांगिक वियों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the protection of the needy, suffering, abandoned, destitute, old or infirm widows of the society by initiating welfare measures for such widows by the Central and State Government and for the establishment of an Authority for that purpose and for matters connected therewith and incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री राजेश रंजन: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

15.57 ½ hours

(xl)DISTRESSED AND NEGLECTED WIDOWS AND DIVORCED WOMEN (MAINTENANCE, SUPPORT AND WELFARE) BILL, 2015*

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि व्यथित, उपेक्षित, दरिद्र, गरीबी अथवा निःशक्तता से ग्रस्त विधवाओं तथा तलाकशुदा महिलाओं की जाति, पंथ या धर्म को ध्यान में लिए बिना उन्हें भिक्षावृत्ति से मुक्त करने, पेशे के तौर पर भजन गाने और देह व्यापार, शोाण से मुक्त कराने के लिए भरणपोाण, वित्तीय और अन्य उपेक्षित समर्थन के माध्यम से उन्हें सुरक्षा आवरण प्रदान करने तथा उनके लिए राज्य द्वारा कल्याणकारी उपाय लागू किए जाने तथा तत्संसक्त और उसक आनुांगिक वियों का उपबंध करने वाले विधेयकों को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 18.12.2015.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the protective umbrella through maintenance, financial and other requisite support withdrawal from begging, chanting of bhajan as profession and flesh trade, freedom from exploitation and for the welfare measures to be undertaken by the State for the distressed, neglected, indigent, poverty or infirmity stricken widows and divorced women irrespective of their caste, creed or religion and for matters connected therewith and incidental thereto. "

The motion was adopted.

श्री राजेश रंजन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

15.58 hours

(xli)PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS (AMENDMENT) BILL, 2015*

(Substitution of new section for section 28)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960."

The motion was adopted.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 18.12.2015.

15.58 ½ hours

(xlii)RELIGIOUS CONVERSION (PROHIBITION) BILL, 2015*

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for prohibition on religious conversions by inducement, coercion or undue influence and for matters therewith.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for prohibition on religious conversions by inducement, coercion or undue influence and for matters therewith."

The motion was adopted.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I introduce the Bill.

15.59 hours

(xliii)SPECIAL DRINKING WATER AND IRRIGATION DEVELOPMENT FUND (FOR DARK ZONE AREAS) BILL, 2015*

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि डार्क जोन क्षेत्रों में पेयजल एवं सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए विशेा पेयजल एवं सिंचाई विकास निधि का गठन करना और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the constitution of a Special Drinking Water and Irrigation Development Fund for supply of drinking water and developing irrigation facilities in the dark zone areas and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

श्री देवजी एम. पटेल : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 18.12.2015.

15.59 ½ hours

(xliv) HIGH COURT OF BOMBAY (ESTABLISHMENT OF A PERMANENT BENCH AT PUNE) BILL, 2015*

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पुणे में बम्बई उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of a Permanent Bench of the High Court of Bombay at Pune."

The motion was adopted.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 18.12.2015.

16.00 hours

(xlv) FOREST (CONSERVATION) AMENDMENT BILL, 2015*
(Amendment of Section 2)

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Forest (Conservation) Act, 1980."

The motion was adopted.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे: उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

16.0 ¼ hours

(xlvi)CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) ORDER (AMENDMENT) BILL, 2015*
(Amendment of the Schedule)

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950."

The motion was adopted.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 18.12.2015.

16.0 ½ hours

(xlvii) **REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL, 2015***

(*Insertion of new section* 61B)

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Representation of People Act, 1951."

The motion was adopted.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे: उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

16.0 ¾ hours

(xlviii) SEX WORKERS (REHABILITATION AND SOCIAL SECURITY) BILL, 2015*

SHRIMATI POONAM MAHAJAN (NORTH CENTRAL MUMBAI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the rehabilitation and social security of sex workers and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the rehabilitation and social security of sex workers and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRIMATI POONAM MAHAJAN : I introduce** the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 18.12.2015.

** Introduced with the recommendation of the President.

16.01 hours

(xlix) TRADITIONAL FISHERMEN (SOCIO-ECONOMIC PROTECTION AND WELFARE) BILL, 2015*

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि परंपरागत मछुआरों के लाभ के लिए एक कल्याण निधि स्थापित करके देश में परंपरागत मछुआरों के सामाजिक-आर्थिक संरक्षण और कल्याण तथा दुर्घटनाओं, चिकित्सा देखरेख के लिए पर्याप्त जीवन बीमा कवर, मछली पकड़ने के जाल, नौकाओं और अन्य आवश्यकताओं के लिए वित्तीय सहायता, अल्प व्यवसाय की अवधि के दौरान बेरोजगारी भत्ता, उनके बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण सहित निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the socio-economic protection and welfare of the traditional fishermen in the country by establishing a Welfare Fund for their benefit and for providing adequate life insurance cover against accidents, medical care, financial assistance for fishing nets, boats and other necessities, unemployment allowance during lean periods, free education including vocational education and training to their children and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री विनायक भाऊराव राऊत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

HON. DEPUTY-SPEAKER:

Item No. 73 - Shri Harish Chandra Meena – not present.
Item No. 74 - Shri C.P. Joshi – not present.
Item No. 75 – Shri Sunil Kumar Singh.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 18.12.2015.

16.0 1 ¼ hours

(l) WIDOWS' WELFARE BILL, 2015*

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधवाओं के संरक्षण और कल्याण के लिए तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the protection and welfare of widows and for matters connected therewith. "

The motion was adopted.

श्री सुनील कुमार सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

16.01 ½ hours

(li) MEGA PROJECTS (TIMELY COMPLETION) BILL, 2015*

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभी बृहत परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने तथा उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for timely completion of all mega projects and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री सुनील कुमार सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 18.12.2015.

16.01 ¾ hours

(lii) JHARKHAND ATOMIC AUTHORITY BILL, 2015*

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड राज्य में विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना के प्रयोजनार्थ एक परमाणु प्राधिकरण की स्थापना करने और तत्संसक्त मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of an Atomic Authority for the purposes of setting up an atomic power plant for generating electricity in the State of Jharkhand and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

श्री सुनील कुमार सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

16.02 hours

(liii)CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2015*
(Amendment of the Eighth Schedule)

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

श्री सुनील कुमार सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 18.12.2015.

16.02 ¼ hours

(liv) DISTRESSED VETERAN SPORTS PERSONS (WELFARE) BILL, 2015*

SHRIMATI RANJEET RANJAN (SUPAUL): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the welfare measures for the distressed veteran sportspersons such as old age pension for subsistence, disability assistance, healthcare facilities and housing facilities to be undertaken by the State and for the Constitution of Distressed Veteran Sportspersons Welfare Fund and for matters connected therewith and incidental thereto.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the welfare measures for the distressed veteran sportspersons such as old age pension for subsistence, disability assistance, healthcare facilities and housing facilities to be undertaken by the State and for the Constitution of Distressed Veteran Sportspersons Welfare Fund and for matters connected therewith and incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRIMATI RANJEET RANJAN: I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 18.12.2015.

<u>16.02 ½ hours</u>

(lv)COMPULSORY PHYSICAL FITNESS OF CHILDREN THROUGH SPORTS IN SCHOOLS AND DEVELOPMENT OF SPORTS INFRASTRUCTURE BILL, 2015*

SHRIMATI RANJEET RANJAN (SUPAUL): I beg to move for leave to introduce a Bill to promote sports education and physical fitness for an all-round development of children in the country and to develop international standard sports infrastructure in the country, by making sports a compulsory regular subject in schools and providing equal opportunity and incentives to sportspersons across the country and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to promote sports education and physical fitness for an all-round development of children in the country and to develop international standard sports infrastructure in the country, by making sports a compulsory regular subject in schools and providing equal opportunity and incentives to sportspersons across the country and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRIMATI RANJEET RANJAN : I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 18.12.2015.

16.02 ¾ hours

(lvi) DISTRESSED FARMERS (SPECIAL FACILITIES PROTECTION AND WELFARE) BILL, 2015*

SHRIMATI RANJEET RANJAN (SUPAUL): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the special facilities and protection of distressed farmers who are affected by various natural calamities, and victims of indebtedness, physical infirmities, diseases, old age, exploitation, etc. by giving adequate compensation, extending relief measures, removal of indebtedness, prevention of exploitation by moneylenders and other unscrupulous elements, extending easy and hassle free bank loans, giving remunerative prices for their produce, improving farming practices through scientific means, extending compulsory market intervention in cases of bumper crop, compulsory insurance of crops and livestock, old age allowance, medicare and other welfare measures to ensure that they do not commit suicide and for matters connected therewith and incidental thereto.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the special facilities and protection of distressed farmers who are affected by various natural calamities, and victims of indebtedness, physical infirmities, diseases, old age, exploitation, etc. by giving adequate compensation, extending relief measures, removal of indebtedness, prevention of exploitation by moneylenders and other unscrupulous elements, extending easy and hassle free bank loans, giving remunerative prices for their produce, improving farming practices through scientific means, extending compulsory market intervention in cases of bumper crop, compulsory insurance of crops and livestock, old age allowance, medicare and other welfare measures to ensure that they do not commit suicide and for matters connected therewith and incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRIMATI RANJEET RANJAN : I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 18.12.2015.

16.03 hours

(lvii) ELECTRONIC WASTE BILL, 2015*

DR. KIRIT P. SOLANKI (AHMEDABAD): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for proper handling and disposal of electronic waste by prescribing norms and fixing duties on manufacturers, recyclers and consumers with regard to disposal of electronic waste and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for proper handling and disposal of electronic waste by prescribing norms and fixing duties on manufacturers, recyclers and consumers with regard to disposal of electronic waste and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

DR. KIRIT P. SOLANKI: I introduce** the Bill.

16.03 ¼ hours

(lviii)COMMISSION OF INQUIRY (AMENDMENT) BILL, 2015*
(Amendment of section 3)

DR. KIRIT P. SOLANKI (AHMEDABAD): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Commission of Inquiry Act

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Commission of Inquiry Act"

The motion was adopted.

DR. KIRIT P. SOLANKI: I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 18.12.2015.
** Introduced with the recommendation of the President.

16.03 ½ hours

(lix)SOLAR ENERGY (DEVELOPMENT AND COMPULSORY USE) BILL, 2015*

DR. KIRIT P. SOLANKI (AHMEDABAD): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for development of solar power generation and mandatory use of solar power by every household, business establishment and Government building, in order to promote use of non-conventional energy and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for development of solar power generation and mandatory use of solar power by every household, business establishment and Government building, in order to promote use of non-conventional energy and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

DR. KIRIT P. SOLANKI: I introduce the Bill.

16.03 ¾ hours

(lx) INSECTICIDES (AMENDMENT) BILL, 2015*
(Amendment of sections 4 and 9)

SHRI KESINENI SRINIVAS (VIJAYAWADA): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Insecticides Act, 1968.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Insecticides Act, 1968."

The motion was adopted.

SHRI KESINENI SRINIVAS: I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 18.12.2015.

16.04 hours

(lxi) PATENTS (AMENDMENT) BILL, 2015*
(Amendment of section 73, etc.)

SHRI KESINENI SRINIVAS (VIJAYAWADA): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Patents Act, 1970.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Patents Act, 1968."

The motion was adopted.

SHRI KESINENI SRINIVAS: I introduce the Bill.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Item No. 90 –Shri Jagdambika Pal – not present
Item No. 91 – Shri Jagdambika Pal – not present.
Item No. 92 – Shri Om Birla

16.04 ¼ hours

(lxii) WITNESS PROTECTION BILL, 2015*

श्री ओम बिरला (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर विधि न्यायालय में साक्षियों के रूप में सूचना प्रदान करने के सभी इच्छुक व्यक्तियों को अनिवार्य संरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide compulsory protection to all persons coming forth to provide information as witnesses in a court of law within the territory of India."

The motion was adopted.

श्री ओम बिरला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 18.12.2015.

16.04 ½ hours

(lxiii) CONSTITUIONAL (AMENDMENT) BILL, 2015*
(Amendment of article 84)

SHRI DUSHYANT CHAUTALA (HISAR): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI DUSHYANT CHAUTALA: I introduce the Bill.

16.04 ¾ hours

(lxiv) MOTOR VEHICLES (AMENDMENT) BILL, 2015*
(Amendment of section 2 etc.)

SHRI DUSHYANT CHAUTALA (HISAR): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Motor Vehicles Act, 1988.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Motor Vehicles Act, 1988."

The motion was adopted.

SHRI DUSHYANT CHAUTALA : I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 18.12.2015.

16.05 hours

(lxv) HINDU SUCCESSION (AMENDMENT) BILL, 2015*
(Substitution of new section for section 15)

SHRI DUSHYANT CHAUTALA (HISAR): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Hindu Succession Act, 1956.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Hindu Succession Act, 1956."

The motion was adopted.

SHRI DUSHYANT CHAUTALA: I introduce the Bill.

16.05 ¼ hours

(lxvi) CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL, 2015*
(Amendment of section 358)

SHRI DUSHYANT CHAUTALA (HISAR): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973."

The motion was adopted.

SHRI DUSHYANT CHAUTALA: I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 18.12.2015.

16.05 ½ hours

(lxvii)NATIONAL ASYLUM BILL, 2015*

SHRI FEROZE VARUN GANDHI (SULTANPUR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for citizenship rules of refugees and asylum seekers.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for citizenship rules of refugees and asylum seekers."

The motion was adopted.

SHRI FEROZE VARUN GANDHI : I introduce the Bill.

16.05 ¾ hours

(lxviii) SPECIAL FINANCIAL ASSISTANCE TO THE BACKWARD REGION OF BUNDELKHAND BILL, 2015*

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि किसानों, कृषि श्रमिकों, भूमिहीन श्रमिकों, गरीब महिलाओं, वृद्ध व्यक्तियों और बेरोजगार युवाओं का कल्याण सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ इसके संसाधनों के विकास, विदोहन और समुचित उपयोग के लिए बुन्देलखंड पिछड़ा क्षेत्र विशेष वित्तीय सहायता का उपबंध करने वाले विधेयक का पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for special financial assistance to the backward region of Bundelkhand for the purpose of ensuring the welfare of farmers, agricultural labourers, landless labourers, poor women, old aged persons and the unemployed youth and for the development, exploitation and proper utilization of its resources."

The motion was adopted.

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 18.12.2015.

16.06 hours

(lxix)DROUGHT CONTROL AND PROTECTION OF FARMERS OF DROUGHT PRONE AREAS BILL, 2015*

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि सूखा प्रभावित राज्यों को सिंचाई के लिए जल संसाधनों के निर्माण और अनुरक्षण के लिए निधि, सूखा-प्रवण क्षेत्र के किसानों के संरक्षण के लिए ब्याजमुक्त कृषि ऋण और जैव-कृषि के प्रोत्साहन और कृषि उत्पाद के लिए बाजार के सृजन की कार्य योजना और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide funds to the States affected with drought for construction and maintenance of water resources for irrigation; interest-free agricultural loans for protection of farmers of the drought prone area; and encouragement to bio-farming and action plan for the creation of market for agricultural produce and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

16.06 ¼ hours

(lxx) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2015*

(Amendment of articles 84 and 173)

SHRI RAJEEV SATAV (HINGOLI): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI RAJEEV SATAV: I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 18.12.2015.

16.06 ½ hours

(lxxi) MEDICAL CONSULTANCY AND OTHER SERVICES (RATIONALISATION OF FEES) BILL, 2015*

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में आम आदमी के लिए चिकित्सीय परामर्श एवं अन्य सेवाओं को किफायती बनाने के लिए इन सेवाओं के शुल्क का यौक्तिकीकरण करने तथा तत्संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to rationalize the consultancy and other medical services fees for making them affordable for the common man in the country and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

डॉ. मनोज राजोरिया : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 18.12.2015.

16.06 ¾ hours

(lxxii) AIRLINES (FARE STRUCTURE) BILL, 2015*

SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for determining of fare structure of all airlines operating in the country and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for determining of fare structure of all airlines operating in the country and for matters connected therewith or incidental thereto.."

The motion was adopted.

SHRI M.K. RAGHAVAN: I introduce the Bill.

16.07 hours

(lxxiii) RAILWAY SECURITY FORCE BILL, 2015*

SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for constitution of a Railway Security Force to protect property of railways and passengers travelling in trains and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for constitution of a Railway Security Force to protect property of railways and passengers travelling in trains and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI M.K. RAGHAVAN: I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 18.12.2015.

16.02 ¼ hours

(lxxiv)PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE (FOR UPGRADING OF HOSPITALS) BILL, 2015*

SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for financial assistance for upgrading of hospitals in all Talukas in the country and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for financial for upgrading o hospitals in all Talukas in the country and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI M.K. RAGHAVAN : I introduce the Bill.

16.07 ½ hours

(lxxv) CLEANING OF RIVERS (PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE) BILL, 2015*

SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for financial assistance to the States for cleaning and dredging of rivers in the country and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for financial assistance to the States for cleaning and dredging of rivers in the country and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI M.K. RAGHAVAN: I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 18.12.2015.

16.07 ¾ hours

(lxxvi) FOOD SAFETY AND STANDARDS (AMENDMENT) BILL, 2015*
(Amendment of sections 3 and 65)

SHRI CHANDRAKANT KHAIRE (AURANGABAD): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Food Safety and Standards Act, 2006.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Food Safety and Standards Act, 2006."

The motion was adopted.

SHRI CHANDRAKANT KHAIRE: I introduce the Bill.

16.08 hours

(lxxvii) PAYMENT OF MINIMUM WAGES (FOR WORKERS AND OTHERS) BILL, 2015*

SHRI CHANDRAKANT KHAIRE (AURANGABAD): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide payment of minimum wages to workers and others and for matters connected therewith.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide payment of minimum wages to workers and others and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRI CHANDRAKANT KHAIRE: I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 18.12.2015.

16.08 ¼ hours

(lxxviii) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2015*

(Amendment of article 371)

SHRI CHANDRAKANT KHAIRE (AURANGABAD): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI CHANDRAKANT KHAIRE: I introduce the Bill.

16.08 ½ hours

(lxxix)PROHIBITION BILL, 2015*

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for prohibition and for matters connected therewith.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for prohibition and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRI KODIKUNNIL SURESH: I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 18.12.2015.

16.08 ¾ hours

(lxxx) RESIDENTIAL SCHOOLS (FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES) BILL, 2015*

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for setting up of residential schools for children belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and for matters connected therewith.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for setting up of residential schools for children belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRI KODIKUNNIL SURESH: I introduce the Bill.

16.09 hours

(lxxxi) RESERVATION FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES IN PRIVATE SECTOR BILL, 2015*

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for reservation for the person belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in private sector and for matters connected therewith.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for reservation for the person belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in private sector and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRI KODIKUNNIL SURESH : I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 18.12.2015.

HON. DEPUTY-SPEAKER:

Item No. 113 - Shri Pralhad Venkatesh Joshi – not present.
Item No. 114 - Shri Pralhad Venkatesh Joshi – not present.
Item No. 115 - Shri Pralhad Venkatesh Joshi – not present.

16.09 ¼ hours

(lxxxii) MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE (AMENDMENT) BILL, 2015*

(Amendment of Schedule I)

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL (BIKANER): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide further to amend the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005."

The motion was adopted.

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: I introduce the Bill.

16.09 ½ hours

(lxxxiii) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2015*

(Amendment of article 312)

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL (BIKANER): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 18.12.2015.

16.09 ¾ hours

(lxxxiv) PROHIBITION OF EMPLOYMENT AS MANUAL SCAVENGERS AND THEIR REHABILITATION (AMENDMENT) BILL, 2015*

(Amendment of section 31)

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL (BIKANER): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013."

The motion was adopted.

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL : I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 18.12.2015.

16.10 hours

(lxxxv) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2015*
(Amendment of article 338)

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL (BIKANER): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL : Sir, I introduce the Bill.

16.10 ¼ hours

(lxxxvi) INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL, 2015*
(Omission of section 309)

SHRI JAGDAMBIKA PAL (DOMARIYAGANJ): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860."

The motion was adopted.

SHRI JAGDAMBIKA PAL: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 18.12.2015.

16.10 ½ hours

(lxxxvii) RAINWATER (MANDATORY HARVESTING AND COLLECTION) BILL, 2015*

SHRI JAGDAMBIKA PAL (DOMARIYAGANJ): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for compulsory harvesting of rainwater in every residential, commercial establishment and government building in order to make contribution to the conservation of water and recharge of groundwater and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for compulsory harvesting of rainwater in every residential, commercial establishment and government building in order to make contribution to the conservation of water and recharge of groundwater and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI JAGDAMBIKA PAL : Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 18.12.2015.

16.11 hours

COMPULSORY VOTING BILL, 2014 – Contd.

HON. DEPUTY SPEAKER: Now we take up Item No. 120 - Further consideration of the following motion moved by Shri Janardan Singh 'Sigriwal' on the 13th March, 2015, namely:-

> "That the Bill to provide for compulsory voting by the electorate in the country and for matters connected therewith, be taken into consideration."

Shri Ninong Ering - Not present

श्री दद्दन मिश्रा (श्रावस्ती) : महोदय, मैं माननीय सदस्य जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा लाए गए प्राइवेट मेम्बर बिल "अनिवार्य मतदान" के ऊपर हो रही चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं।

16.12 hours (Shri Raman Deka *in the Chair*)

महोदय, विगत सत्र से ही इस बिल पर चर्चा हो रही है। हमारे तमाम विद्वान सदस्यों ने इस संबंध में अपना मत व्यक्त किया है। ज्यादातर सदस्य अनिवार्य मतदान के पक्ष में अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। पिछले शुक्रवार को हमारे वरिष्ठ सदस्य बड़े भाई निशिकांत दुबे जी द्वारा बहुत विस्तार से इस संबंध में चर्चा की गई और अनिवार्य मतदान के विरोध में अपना विचार प्रस्तुत किया। हालांकि उनके विचारों से लगा कि वे भी अनिवार्य मतदान के विरोध में नहीं हैं लेकिन भारतीय परिवेश में ऐसा होना संभव नहीं है, ऐसा उन्होंने बहुत ही तथ्यपरक आंकड़ों के साथ विचार प्रस्तुत किए। तमाम देशों ने जहां पर अनिवार्य मतदान लागू है वहां क्या-क्या दिक्कतें आ रही हैं, इसके ऊपर भी उन्होंने विस्तार से प्रकाश डाला। हमारा मानना है कि कोई भी चीज असंभव नहीं है। अगर सोच अच्छी हो, इरादे नेक हों, दृढ़ इच्छाशक्ति हो तो कोई भी चीज असंभव नहीं है और यही चीज हमारे भारतीय परिवेश में भी लागू होती है। हमारे देश में कुष्ठ रोग एक बड़ी समस्या थी, एक महामारी का रूप ले चुकी थी। क्या कभी किसी ने सोचा था कि हमारे देश से कुष्ठ रोग का उन्मूलन होगा, लेकिन सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति से निश्चित रूप से इस बीमारी का उन्मूलन करने में हम सफल रहे। इसी तरह से छह रोग हमारे देश में महामारी का रूप ले चुके थे। इन बीमारियों के प्रति हमारी सरकार ने जनता में जागरुकता फैलाई, जिसकी वजह से इन बीमारियों पर हम नियंत्रण पा सके।

इसी तरह से अगर हम पोलियो की बात करें तो इस बीमारी का भी हमने जन-जागरण के माध्यम से अपने देश से उन्मूलन किया। हमारा मानना है कि कोई भी चीज असंभव नहीं है। जिन देशों में अनिवार्य मतदान लागू किया गया है, उनकी जिन विसंगतियों के बारे में माननीय सदस्य निशिकांत दुबे जी ने चर्चा की थी, मेरा मानना है कि वे बहुत छोटे-छोटे लोकतंत्र हैं, बहुत छोटे-छोटे देश हैं, हमें उनकी तरफ न देख कर बल्कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हमें अपना आदर्श दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहिए।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, किसी भी लोकतंत्र में मतदान सबसे बड़ा अधिकार है, एक दायित्व है, हथियार है। अधिकार है अपने एक प्रतिनिधि को चुनने का, अहम दायित्व है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को और मजबूत करने का। यह मतदान की ही महिमा है कि व्यस्क होने के बाद हर कोई पहली बार मतदान की अधीरता से प्रतीक्षा करता है। चन्द यादगार घटनाओं में उसे जगह देता है। मीडिया क्रांति के इस युग में पिछले कुछ एक वर्षों में वोटिंग के बाद सेल्फी शेयर करना एक जुनून बन गया है। मतदान का मर्म उनसे पूछना चाहिए जहाँ ऐसी कोई व्यवस्था का प्रावधान नहीं है। कोई भी फैसला या शासक उन पर थोप दिया जाता है। उनकी राय या सोच घुट कर वहीं अन्दर ही रह जाती है।

स्वस्थ लोकतंत्र की पहली निशानी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मत के अधिकार या कर्तव्य का इस्तेमाल करें। भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को अपनी छवि और निखारने के लिए यह बेहद जरूरी है। हालांकि पिछले कई वर्षों में लोगों की सोच बदली है। लोग बढ़-चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन बढ़ती सोच-समझ और साधन के बावजूद छः दशक में मतदान प्रतिशत में अपेक्षित बढ़ोत्तरी न होना चिन्ता का भी विषय है। पहली लोक सभा के चुनाव में जितने प्रतिशत लोगों ने मतदान किया था, वर्ष 2014 में पिछले लोक सभा चुनाव में उससे कम लोग ही मतदान केन्द्र पहुंच कर ईवीएम मशीन का बटन दबा सके हैं, यह चिन्ता का विषय है। इसके साथ ही अपेक्षाकृत जागरुक और समझदार शहरी तबका, खासकर महानगरीय आबादी की उदासीनता किसी भी लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। ऐसे में अनिवार्य मतदान की मांग किया जाना समय की मांग जान पड़ती है।

दुनिया के कई समृद्ध लोकतंत्रों में लागू अनिवार्य मतदान की व्यवस्था में काफी खूबियां हैं और कुछ कमियाँ भी हैं, जैसा हर व्यवस्था के साथ होता है। मतदान के प्रति जागरुकता बढ़ाने को लेकर किये जा रहे तमाम प्रयासों के साथ मतदान को अनिवार्य बनाने के लिए भी सोचना जरूरी है। कानून बनने के बाद किसी भी नागरिक को किसी भी कारण से मतदान से रोका नहीं जा सकेगा। सभी के मत डलवाना सरकार और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होगी।

देश में अनिवार्य मतदान भारतीय लोकतंत्र में नई जान फूंक सकता है। दुनिया के 32 से अधिक देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू है। यह व्यवस्था अगर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में

लागू हो गयी तो उसकी बात ही कुछ और होगी। यदि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदान करना अनिवार्य हो गया तो अमरीका और ब्रिटेन जैसे पुराने और सशक्त लोकतंत्रों को भी भारत का अनुसरण करना पड़ सकता है। हालांकि, भारत और उनकी समस्या एक-दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। भारत में अमीर लोग वोट नहीं डालते और इन देशों में गरीब लोग वोट नहीं डालते। भारत इस तथ्य पर गर्व कर सकता है कि जितने मतदाता भारत में हैं, दुनिया के किसी भी देश में नहीं हैं और लगभग हर साल भारत में कोई न कोई ऐसा चुनाव अवश्य होता है, जिसमें करोड़ों लोग वोट डालते हैं। देश के प्रत्येक व्यस्क को बाध्य किया जाना चाहिए कि वह देशहित में मतदान करे। बाध्यता का अर्थ यह नहीं है कि वह इस या उस उम्मीदवार को ही वोट दे। अगर वह सारे उम्मीदवारों को अयोग्य समझता है तो किसी को वोट न दे। नोटा का प्रयोग करे, एब्स्टेन करे जैसा कि यहाँ हम संसद सदस्य और संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य-राष्ट्र करते हैं। दूसरे शब्दों में यह वोट देने की बाध्यता नहीं है, बल्कि मतदान केन्द्र पर जाकर अपनी हाजिरी लगाने की बाध्यता होगी। यह बताने की बाध्यता है कि इस भारत के मालिक आप हैं और आप जागे हुए हैं, आप सो नहीं रहे हैं, आप धोखा नहीं खा रहे है, आप यह नहीं कह रहे हैं कि "को नृप होई, हमें का हानि।" यदि आप वोट देने नहीं जाते हैं, तो माना जाएगा कि आप यही कह रहे हैं और ऐसा कहना लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाना नहीं तो क्या है?

यदि भारत में मतदान अनिवार्य हो जाए तो चुनावी भ्रष्टाचार बहुत घट जाएगा। वोटरों को मतदान-केन्द्र तक ठेलने में अरबों रुपया खर्च होता है, शराब की नदियां बहायी जाती हैं, जात और मजहब की ओट ली जाती है तथा अनेक अवैध हथकंडे अपनाए जाते हैं। इन सबसे मुक्ति मिलेगी। लोगों में जागरुकता बढ़ेगी। वोट-बैंक की राजनीति भी थोड़ी पतली पड़ेगी। जो लोग अपने मतदान-केन्द्र से काफी दूर होंगे, वे डाक या इंटरनेट या मोबाइल फोन से वोट कर सकते हैं। जो लोग बीमारी, दुर्घटना या किसी अन्य अपरिहार्य कारण से वोट नहीं डाल पाएंगे, उन्हें कानूनी सुविधा अवश्य मिलेगी। जिस दिन भारत के 90 प्रतिशत से अधिक नागरिक वोट डालने लगेंगे, जागरुकता इतनी बढ़ जाएगी कि लोग जनमत-संग्रह, जन-प्रतिनिधियों की वापसी और सुनिश्चित अवधि की विधायिका और कार्यपालिका की मांग भी मनवा कर रहेंगे।

हालांकि मतदान को अनिवार्य बनाने के पहले बहुत सारे ऐसे चुनावी सुधार हैं, जिनकों लागू कर हम अपने जनतंत्र को अधिक सशक्त, समर्थ और सार्थक बना सकते हैं। चुनावों में कालेधन का असर हो या बाहुबल का कुप्रभाव, इनकी रोकथाम के लिए जो कानून फिलहाल दण्ड संहिता में हैं, उनका सख्ती से पालन ही जनतंत्र की जड़ों को मजबूत बना सकता है। कई औसत निरीह मतदाता मतदान के लिए घर से नहीं निकलता क्योंकि उसके मन में चुनाव के पहले और बाद में हिंसा की संभावना या पास-पड़ोस में बैर-

भाव बढ़ने की आशंका ही जिम्मेदार होती है। यदि एक बार यह भय मन से निकल जाए तो मतदाता सहर्ष और उत्साह के साथ मतदान के लिए तत्पर होंगे, ऐसा मेरा मानना है। जब से नौजवान मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ है, तब से मतदान का प्रतिशत निरंतर बढ़ता जा रहा है। यह हमारे लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है।

दुनिया के जिन देशों में मतदान अनिवार्य है उनमें अर्जेन्टीना, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, सिंगापुर और पेरू प्रमुख हैं। इन देशों में 18 साल से लेकर 70 साल की उम्र के हर नागरिक के लिए मतदान अनिवार्य है। इनके अलावा लक्जमबर्ग, नाउरू, कांगो का जनतांत्रिक गणराज्य तथा इक्वेडोर और उरुग्वे भी इस सूची में शामिल है। इनमें सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही एक अकेला ऐसा देश है जिसे व्यस्क जनतंत्र कहा जा सकता है। बाकी सब तो अत्यंत सूक्ष्म राज्य हैं। वे औपनिवेशिक दौर से आज तक क्रांतिकारी फौजी तानाशाहों के द्वारा शासित होते रहे हैं। सिंगापुर एक अनूठा देश है, जो प्राचीन यूनानी नगर राज्यों की याद दिलाता है और जिसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। इन देशों के अलावा कुछ और दशों ने अनिवार्य मतदान को कानूनन लागू तो किया है पर इस कानून का पालन न करने वालों को सजा नहीं दी जाती। बेल्जियम, ग्रीस, थाइलैण्ड और तुर्की इस सूची में शामिल हैं। स्पेन, वेनेजुएला और चिली ने अपने यहां यह कानून बनाने के बाद उसे वापस भी ले लिया है।

मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इस विषय में उतावलेपन की जरूरत नहीं है, धैर्य की आवश्यकता है। प्रयोग के तौर पर इसको स्थानीय स्तर पर लागू किया जा सकता है। इसके असर के आधार पर ही कोई ठोस निर्णय लिया जाए, तभी सभी संवैधानिक संस्थाओं के बीच आम सहमति और व्यापक बहस के बाद इसे लेना ज्यादा बेहतर रहेगा।

इसके साथ मैं पुनः अपनी बात पर बल देते हुए कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमें इस दिशा में सोच-समझकर, राय-मशविरा करके एक बहुत ही प्रभावी तंत्र के माध्यम से अनिवार्य मतदान की तरफ हमें बढ़ना चाहिए और दुनिया के लिए मिसाल कायम हो। इसी के साथ मैं अपनी बात पर पुनः बल देते हुए कि हमारे देश में अनिवार्य मतदान के विचार पर बहस शुरू हो गई है और इस दिशा में काम शुरू हो जाना चाहिए। अनिवार्य मतदान लोकतंत्र की बहुत बड़ी पूंजी होगी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : महोदय, मुझे आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात सदन में रखने का मौका दिया है, इसके लिए आपका आभारी हूं। जहां तक अनिवार्य मतदान की बात है, भारत एक ऐसा देश है जो विभिन्नताओं से भरा हुआ है और शिक्षा का लेवल भी अलग है। जाति को ध्यान में रखा जाता है, पैसे को ध्यान में रखा जाता है। ऐसे में लोगो को बीच का रास्ता निकालना उचित होगा। मतदान को अनिवार्य तो नहीं बनाया जा सकता है लेकिन जो वोट न दें उनके सर्टीफिकेट में या एनुअल... अप्रेजल्स या कुछ दूसरे इंसेंटिव्स होते हैं, उन पर मार्क किया जा सकता है लेकिन मतदान अनिवार्य नहीं किया जा सकता है। भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। India is one of the largest democracies in the world. We cannot force upon the people this policy. Of course, we can pursue it. But first, they need to be educated. एजुकेशन की आवश्यकता है। शिक्षा प्राप्त करके लोग अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे कि हाँ वोट करना उनके लिए जरूरी है न कि उनके ऊपर प्रभाव बनाकर अनिवार्य मतदान कराया जा सकता है। अनिवार्य मतदान से यह जरूरी नहीं है कि हमारे सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आए। चूंकि जब चुनाव होता है तो मतदाता के माइंड की स्थिति कुछ और होती है। चुनाव के पहले और चुनाव के बाद मतदाता की मनोस्थिति कुछ और होती है। जब चुनाव नहीं होता है तो उसकी नज़र में बेसिक सुविधाएं चाहे बिजली हो, पानी हो, रोजगार हो या स्वास्थ्य की हो, ये सभी सुविधाएं वह सोचता है कि उसे जरूर मिलनी चाहिए। इन्हीं सुविधाओं की चिंता मतदाताओं को होती है। जब चुनाव का समय आता है तो कहीं आइडोलोजी के आधार पर, जाति के आधार पर, पैसा दे कर भी लोग वोट देते हैं और काफी हद तक वोट खरीदे भी जाते हैं और दबाव डालकर भी वोट लिए जाते हैं। लोगों में दो तरह की मानसिकता बन जाती है - वोट डालने से पहले की मानसिकता और वोट डालने के बाद की मानसिकता। अगर इस मानसिकता के दौर में अगर मतदान अनिवार्य बनाया जाएगा तो it would not be a true reflection of the will of the people in the Parliament. मैं इस बात को सपोर्ट नहीं करता हूं कि मतदान अनिवार्य होना चाहिए बल्कि कुछ न कुछ पैरामीटर्स तय किए जाने चाहिए।...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : कम्पलसरी वोटिंग इस देश में इमप्रैक्टिकल है।

DR. UDIT RAJ : Even the smaller countries are facing problems in this case and they want to revert their decisions. They are looking back. जैसे अमेरिका में भी नहीं हुआ है, ये काफी पढ़े-लिखे हैं। इंग्लैंड में है, फ्रांस में है, यूरोपियन कंट्रीज में नहीं है। भारत में इतना सम्भव नहीं हो सकता, लेकिन वेस्टेड इंटेरेस्ट वाले लोग इसका एडवांटेज उठा लेंगे। लेकिन डेमोक्रेटिक सेटअप में

इसका कोई फायदा नहीं होगा। To promote the values for good governance, मुझे नहीं लगता कि इससे गुड गवर्नेंस लाई जा सकती है। डेमोक्रेसी का पर्स्यूएशन टेनेट्स से होता है। Persuasion and consensus are the basic elements for exercising the franchise. जब फ्रेंचाइज को ही एक्सरसाइज करता है तो अपनी कंसेंस से करता है, फिर उसका कंसेंस खत्म हो जाएगा। They will be forced upon to cast vote. That is not possible. Of course, even if it is made, कुछ जगहों पर लोकल बॉडीज़ में किया भी गया है। I am getting the feedbacks. The feedbacks are not good. लोकल बॉडीज में ऑफकोर्स हो भी सकता है। At the lower level and at the village level, it may be possible. Of course, I cannot say it also, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर या बड़े पैमाने पर, लोक सभा या विधान सभा के स्तर पर यह सम्भव नहीं लगता है। इसलिए कंसेंस को छोड़ा जाना चाहिए।

यह जरूर है कि चुनाव आयोग को और हम सबको कुछ न कुछ इस बारे में करना चाहिए। जैसे मिडल क्लास है, वे सिर्फ क्रिटीसिज़म ही करते हैं, वे सबको रिजेक्ट करेंगे, सबको क्रिटीसाइज करेंगे कि यह भी गलत है, वह भी गलत है, एक्जीक्यूटिव भी गलत है, पालिटिशियन गलत है। पालिटिशियन को इतना बुरा पेश करेंगे, इंडियन सिनेमा से लेकर और मिडल क्लास जो डिसकशन या डिबेट करता है चाय के ऊपर या अपने घरों में। लेकिन उनसे पूछा जाए की चुनाव के दौरान क्या वह एक घंटा भी नहीं निकाल सकते कि जाकर वोट करें। इसलिए यह मौका तो जरूर मिलता है कि the middle-class people are just for criticism. जो कि हम लोगों के लिए एस्पर्शन पास करते रहते हैं। यह मिडल क्लास फिनोमिना ज्यादा है। मैंने देखा है कि जो गरीब हैं, जो क्लस्टर्स में रहते हैं, झुग्गी-झोंपड़ियों में रहते हैं, वे मजदूरी न करें तो शाम को उनका चूल्हा नहीं जलता है, रोटी का इंतजाम नहीं होता है, फिर भी वे वोट डालने आते हैं। परंतु जो बड़ी-बड़ी कोठियों में रहते हैं, अपर क्लास है, अपर मिडल क्लास है, क्या डेमोक्रेसी के डीमेरिट्स को ही गिनाने के लिए हैं? उनके ऊपर जरूर कुछ कुछ अंकुश लगाया जाना चाहिए। We must hammer on them that they, in fact, failed to discharge their basic citizenship duty. जहां हाइली एजुकेटेड कालोनीज हैं, पॉश कालोनीज हैं, वहां से वोटर कम निकलता है। उनका एक और भी लॉजिक होता है कि वोट देने से क्या फायदा, सभी तो चोर हैं, करप्ट हैं। इसका मतलब तो यही है कि उन्हें फिर देश छोड़कर चले जाना चाहिए। अगर इस देश का वे हिस्सा हैं, लोकतंत्र का फायदा वे ले रहे हैं, I have seen that the voter percentage is down more in South Delhi as compared to other places. उसी सरकार को क्रिटीसाइज करते हैं, जबकि they are

getting all benefits from the Government. They are using the roads of the Government, basic facilities and governance provided by the Government. To that Government they say: "I do not want to take part in the Government". जो व्यक्ति वोट नहीं देता, इन अवे वह सरकार का हिस्सा नहीं बनता। अगर यहां पर चर्चा की जाए, किसी मंत्री से पूछा जाए, डॉ. हर्षवर्धन जी बैठे हैं, उनसे पूछा जाए और अगर कोई पालिसी मैटर होगा तो डॉक्टर साहब कहेंगे कि हम सरकार से बात करेंगे, प्रधान मंत्री जी भी कहेंगे कि हम सरकार से बात करेंगे। आखिरकार खोजते-खोजते सरकार कहां मिलती है, सरकार जनता में मिलती है, वोटर में मिलती है। जब वे हिस्सा ही नहीं बनते हैं, वोट डालने नहीं जाते। What more *locus standi* they have to criticise? So, they must be told.

इस चर्चा के माध्यम से हमें मौका मिलता है कि to convey a message to those who are very passive and to those who are coming forward in front in criticising. तो क्रिटीसिज्म के लिए या इसकी जो एब्रेशंस हैं, डेमोक्रेसी के एब्रेशंस पूरे विश्व में हैं। हमारे यहां भी अबरेशन्स हैं। I am not saying that aberrations are not there. Aberrations are all over in the world. पॉलीटिक्स के प्रति नेगेटिवज्म बहुत हो गया है। उनसे यह पूछा जाए कि क्या वे फ्यूडल स्टेज में जाना चाहेंगे? क्या वे राजतंत्र को बर्दाश्त करेंगे? तभी उन्हें पता चलेगा कि कितना अत्याचार उस समय जब जमींदारों का राज हुआ करता था, राजाओं का राज हुआ करता था या सामंतवाद हुआ करता था या जो भी गनर्वेंस के सिस्टम्स पास्ट में रहे हैं, उस समय आम जनता की क्या स्थिति है।

HON. CHAIRPERSON : Hon. Members, for discussion of this Bill, eight hours was allotted. Now, those eight hours have been complete. As there are six more Members to take part in the discussion on the Bill, the House has to extend the time for further discussion on the Bill. If the House agrees, time for discussion of the Bill may be extended by one hour.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes Sir.

HON. CHAIRPERSON: The time is extended by one hour for discussion for this Bill.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I have an objection. Already eight hours have elapsed. There is another important Bill that is Transgender Bill

is pending. In the last session also, it was pending and in this session also, it is pending.

HON. CHAIRPERSON: The House has extended for discussion for only one hour. Please continue Udit Raj Ji.

DR. UDIT RAJ : Mr. Premachandran, I think you will get an opportunity to have the discussion on that thing. We will not take long time. मैं यह कहना चाहूंगा कि कुछ न कुछ मैज़र्स सरकार द्वारा अवश्य लिए जाने चाहिए। इलेक्शन कमीशन को कुछ न कुछ पैरामीटर्स और नार्म्स बनाने चाहिए। सरकार के स्तर पर भी होना चाहिए। स्कूल के पाठ्यक्रम में भी इसको इनक्लूड किया जाना चाहिए Why voting is necessary? Those who are critic of the Government or critic of the whole political system and of course, in one voice, they dismiss everyone. They must be reminded of their duty or their conscience. कुछ न कुछ जरूर किया जाना चाहिए। The voting percentage should increase.

A large number of voters must be brought up in the net of franchise or in casting the vote. That is necessary. I am not in favour of compulsory voting. But definitely, there must be some reformative measures. At the end, I say that so much of negativism about the democracy, so much of negativism about electoral politics has to be curbed. This is a very dangerous trend to the country. Even the younger generation thinks that the politics is not for the good people. इस तरह का जो सेंटीमेंट्स और भावनाएं पैदा हो रही हैं, वह देश के लिए हेल्दी साइन नहीं है। इसलिए करीकुला के माध्यम से, डिबेट के माध्यम से these things should be taken care of.

श्री रवीन्द्र कुमार राय (कोडरमा) : सभापति महोदय, आज आवश्यक मतदान पर चल रही चर्चा पर आपने भाग लेने का अवसर दिया है, मैं उसके लिए आपका आभारी हूं।

महोदय, इस देश के स्वभाव में लोकतंत्र है और लोकतंत्र का कोई विकल्प नहीं है। आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है, उसके बारे में हम यह कह सकते हैं कि यह ऐसे क्रांतिकारी कदम के बारे में चर्चा है जिसके बारे में शायद कल्पना करने में भी कठिनाई हो रही है। मैं समझता हूं कि आज से पांच सौ साल पहले इस देश के लोगों में प्रजातंत्र के बारे में चर्चा होती तो लोग कहते कि ये बेफिज़ूल की बातें कर रहे हैं, मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं। क्योंकि आज से दो सौ या पांच सौ साल पहले लोकतंत्र की कल्पना करना भी संभव नहीं था। लोकतांत्रिक भावना का आदर करना राजतंत्र में दिखाई जरूर देता था, लेकिन लोकतंत्र के आधार पर शासन तंत्र चलेगा और उसमें सभी लोगों के हितों और मतों की चिंता होगी, इस प्रकार की कल्पना शायद आज से पांच सौ साल पहले नहीं रही होगी। लेकिन आज हम यह बात कह सकते हैं कि सिर्फ हिन्दुस्तान ही नहीं, बल्कि दुनिया के किसी भी देश में लोकतंत्र का विकल्प प्रस्तुत करने का दम किसी में नहीं बचा है। लोकतंत्र का कोई विकल्प हो सकता है, इसकी चर्चा करने में भी डर लगता है। अर्थात लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि हर एक लोक के बारे में हम विचार करें। हम कहते हैं कि शिक्षा का अधिकार सबको मिलना चाहिए। जिस व्यक्ति ने भी जन्म लिया है, वह चाहे पहाड़ों के बीच में रहता हो, दूरदराज जंगलों में रहता हो या शहर की झुग्गी-झोंपड़ियों में रहता हो, जब तक सबको शिक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक शायद हम शासन का और संविधान की भावना का सम्मान नहीं कर पायेंगे। यह किसी भी शासन तंत्र का दायित्व बनता है कि हर व्यक्ति को शिक्षित करे और मुझे फख्र है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल के समय में एक सर्वशिक्षा अभियान चला था, जिसमें यह कहा गया था कि हर कस्बे में जहां 30 बच्चे मिलें, 50 बच्चे मिलें, वहां भी आप स्कूल खोलो। आखिर इसके पीछे क्या भावना है। हम यदि हर बच्चे को शिक्षित करने की बात कह सकते हैं, हम यह कह सकते हैं कि चाहे अकाल पड़े या कोई बहुत बड़ी वीभत्स प्राकृतिक आपदा आ जाए तो भी किसी व्यक्ति के भूखे मरने की नौबत नहीं आनी चाहिए, हर आदमी को रोटी मिलनी चाहिए। किसी शासन में यदि कोई व्यक्ति भूखा मर जाए तो यह माना जाता है कि वह शासन असफल हो गया। हर व्यक्ति को रोटी का अधिकार है, हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है, हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। संविधान कहता है कि जिसका कोई अता-पता नहीं, जिसकी कोई जानकारी नहीं है, यदि किसी का घर नहीं है, दरवाजा नहीं है, लावारिस है, उस व्यक्ति की भी हत्या नहीं हो सकती, उसे भी जीने का पूर्ण अधिकार है। यदि

एक-एक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, चाहे उसके पास धन हो या न हो, जमीन हो या न हो, घर हो या न हो, जिसने जन्म लिया है, उसे जीने का अधिकार है। माता-पिता जन्म देते हैं, जन्म देने का अधिकार माता-पिता को जरूर होता है, लेकिन कोई माता-पिता यह कहे कि जिसे मैंने जन्म दिया है, उसे हम जिंदा नहीं रहने देंगे तो उस पर धारा 302 लग जायेगी। जीने का अधिकार है, रोटी का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार मिल सकता है और यदि उसे मतदान का अधिकार मिला है और वह उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है तो यह जिम्मेदारी कौन पूरी करेगा। यह सवाल लोकतंत्र के इस सबसे बड़े मंदिर में और सबसे बड़ी पंचायत में स्वाभाविक रूप से चिंता का विषय बना हुआ है। इसीलिए मैं श्री जनार्दन सीग्रीवाल जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे को सदन के सामने रखा है।

सभापति जी, आज सरकारें बनती हैं, किस प्रकार की बहुमत की सरकार है। 52 प्रतिशत, 45 प्रतिशत मतदान होता है और उसमें 24 परसैन्ट 32 परसैन्ट वोट लाकर हम सरकार बनाते हैं और कहते हैं कि बहुमत की सरकार है। क्या इसे बहुमत माना जाए या जनता के मत को बहुमत माना जाए। लोकतंत्र में जो प्रतिनिधि जीतकर आते हैं, हम उसी को बहुमत मान लेते हैं। लेकिन लोकतंत्र में जिताने वाले मतदाताओं के बहुमत को हमने बहुमत नहीं माना है। क्या यह एक सवाल नहीं है कि सौ में पचास प्रतिशत, साठ प्रतिशत मतदान होता है और उसमें मात्र 30-32 परसैन्ट वोट लाकर कोई पार्टी, कोई व्यक्ति चुनाव जीत जाता है। हम यह कहते हैं कि बहुमत से जीतकर आया है। दुनिया के कई देशों में इस प्रकार के प्रावधान हैं कि जहां यह कहा जाता है कि 51 परसैन्ट से अधिक मतदान जो लायेगा, वही जीता हुआ माना जायेगा।

हम लोकतंत्र में काम चला रहे हैं। किसी तरह से हम लोकतंत्र को घसीट रहे हैं। मुझे लगता है कि जब हम यह कहते हैं कि यह व्यवहारिक नहीं है, व्यवहारिकता और क्रांतिकारिता में अंतर होता है। व्यवहारिकता में जो परंपरा चल रही है, उसमें से थोड़ा बहुत आगे बढ़ा कर, आज मेरे झारखण्ड में पंचायत का चुनाव हुआ, लोक सभा का चुनाव हुआ था, विधान सभा का चुनाव हुआ, पिछले सभी चुनावों से धीरे-धीरे चुनाव का प्रतिशत बढ़ रहा है। लेकिन जिन नक्सली क्षेत्रों में जहां लोग मतदान का बहिष्कार करते हैं, जो लोग कहते हैं कि वोट देना बेकार है, सभापति महोदय, हमारे हमारे झारखण्ड में चतरा जिले में एक ऐसा भी प्रखण्ड था, लावालोंग, जहां पर नकस्ली ये कहते थे, कुछ लोग ये कहते थे कि मतदान में भाग नहीं लेना है। कभी मतदान में भाग लेने वाले लोगों को दण्डित किया गया। उन्होंने खुद किसी विरोधी को खड़ा नहीं होने दिया और अकेले नॉमिनेशन किया और सभी पदों पर निर्विरोध जी गए। तीसरी बार, इस बार मतदान हुआ, 80 प्रतिशत वोट पड़े, जनता के अंदर वोट देने की कैसी तमन्ना है, कैसी उसकी जिज्ञासा है, इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। मैं कई बार सोचता हूँ अव्यवहारिक बातों पर चर्चा क्यों की जाए। लेकिन

जिस प्रकार से राजतंत्र के बाद लोकतंत्र आना अपने आप में एक क्रांतिकारिता थी, क्रांतिकारी परिवर्तन समाज में हुआ, संविधान का निर्माण हुआ, लिखित संविधान का निर्माण हुआ, परंपराओं से आगे बढ़ कर के लिखी हुई बातें हमारे जीवन को प्रभावित करने लगी, उसी प्रकार से यदि यह देश के लोगों को हम तैयार करें, तो अनिवार्य मतदान एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम हो सकता है। जो शायद दुनिया के अंदर, और मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान ने दुनिया को कई बार मार्गदर्शन दिया है, कई बार रास्ता दिखाया है, क्या इस प्रकार की लोक तांत्रिक भावनाओं का सम्मान करते हुए, हम इस प्रकार का एक क्रांतिकारी निर्णय नहीं ले सकते हैं। कल यदि इस प्रकार का निर्णय लिया जाए तो हमारे कुछ मित्र ये कहते हैं कि व्यवहारिक नहीं है।

आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो गरीब है, झुग्गी झोपड़ियों में रहता है, जंगलों में रहता है, साल भर उसकी कोई सुध नहीं लेता है। लेकिन जब चुनाव आता है, तो विधायक बनने वाले, एमपी बनने वाले, मंत्री बनने वाले, प्रधान मंत्री बनने वाले, मुखिया बनने वाले उसके दरवाजे पर जाते हैं और उनको कहते हैं कि आपके हाथ में मतदान है, उसके सामने आरजू और विनती करते हैं। जिस बूढ़ी का मुखड़ा देखना, जिस बुजुर्ग का चेहरा देखना भी वे जरूरी नहीं समझते हैं, उसका पैर छूते हैं। उससे आरजू विनती करते हैं कि माता तुम वोट जरूर देना पांच साल में एक बार ही सही महोदय कम से कम कोई तो जा कर झोंपड़ी में रहने वाली हमारी माता को, भाइयों को आग्रह करता है कि तुम्हारे वोट से हमारी किस्मत बनने वातली है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या चुनाव लड़ने वाले के लिए एक प्रकार से आवश्यकता नहीं हो जाएगी कि वह हर वैसे मतदाता के घर जाए, कहीं खुद जाएगा, कहीं उसका कार्यकर्ता जाएगा, कहीं उसका फॉलोवर जाएगा और हरेक मतदाता के अधिकार को जागृत कर के उसकी भावना को आगे बढ़ा कर और उससे मतदान कराने का प्रयास करेगा। शायद मतदाताओं के लिए मतदान आवश्यक करेंगे, तो वह कितना महत्वपूर्ण होगा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसका प्रभाव उसके मन पर कितना पड़ेगा, इसका मैं आज अनुमान नहीं लग सकता हूँ। लेकिन मैं यह अनुमान जरूर लगा सकता हूँ कि जब एक-एक मतदाता के यहां चुनाव लड़ने वाले लोग घर-घर पहुंचेगे, ये नहीं सोचेंगे कि विधान सभा का चुनाव जीतना है, सौ बूथ हमने मैनेज कर दिया, जीतना निश्चित हो गया। शायद शतप्रतिशत मतदान करेंगे तो बूथ कैप्चरिंग, वोट बैंक बनाने का काम, बाकी इस प्रकार के लोकतांत्रिक पद्धति को जो कलंकित कर रहा है, उन सारी व्यवस्थाओं पर एक गंभीर चोट होगी। और यह चोट करनी चाहिए। इसे कौन करेगा?

कई बार लोग कहते हैं कि पिछड़े क्षेत्रों में, जंगलों में रहने वाले लोग वोट नहीं करते हैं। मेरा तो अनुभव यह है कि वे तो वोट डालने चले जाते हैं। कभी-कभी लोग कहते हैं कि हम वोट बहिष्कार करेंगे तो हम कहते हैं कि वोट बहिष्कार करेंगे तो हम आपके पास क्यों आएंगे, आपकी समस्या का समाधान क्यों

करेंगे? जब आप वोट ही नहीं देंगे तो हम आपके पास नहीं आएंगे। राजनीतिक दलों के लोग जब इस प्रकार की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि वोट डालने जाएंगे। मुझे आश्चर्य तब होता है जब पढ़े-लिखे लोग, ज्यादा पढ़े लिखे लोग, रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड मिलिट्री मैन, हमारे अधिवक्ता, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, वकील, इंजीनियर्स आदि लोग, शायद उन अनपढ़ लोगों से ज्यादा मिन्नत इन लोगों के सामने करनी पड़ती है कि आप वोट डालने जाइए। इन लोगों की कालोनीज में वोट प्रतिशत बहुत कम रहता है। सामान्य जनता का वोट जब 70-75 प्रतिशत पड़ता है तो ऐसे समझे हुए लोग, पढ़े-लिखे लोग, समझदार लोग, जो अपने आपको विद्वान कहते हैं, उनका मतदान 18 परसेंट, 20 परसेंट या 22 परसेंट होता है। आखिर उनको जिम्मेदारी का अहसास कौन कराएगा? सारी सुख-सुविधाओं का उपभोग वे करेंगे, नौकरी से रिटायर होने के बाद भी, बड़े बिजनेस मैन भी वोट डालने नहीं जाते हैं। सारी सुविधाएं उनको समाज से मिली हुई हैं, सुरक्षा मिलती है, इज्जत मिलती है, सम्मान मिलता है, लेकिन वोट डालना उनके लिए जरूरी नहीं होता। लोग कहते हैं कि प्रजातंत्र में गलत लोग चुने जाते हैं, अच्छे लोग आएंगे कैसे, अच्छे लोगों के आने का मापदंड कैसे तय होगा, यदि कुछ ही लोग वोट को कैप्चर करके, लोकतंत्र को कैप्चर करके अपना मतदान करेंगे।

HON. CHAIRPERSON: Dr. Banshilal Mahato.

श्री रवीन्द्र कुमार राय : महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा थी, इसलिए मैंने अपनी बात आपके सामने रखने की कोशिश की है। मैं कुछ बिन्दु और आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज इस देश में चुनाव के लिए समीकरण बन रहे हैं, चुनाव के लिए समरसता नहीं हो रही है। समीकरण बनाकर हम चुनाव जीत जाते हैं। पिछले दिनों के चुनाव इस बात के गवाह हैं कि हम समाज को वर्गों में बाँटकर के चुनाव जीतने की योजना तो बना लेते हैं और यह तय कर लेते हैं कि हम इस प्रकार से जीतेंगे, लेकिन उसी जगह पर सच्चाई हार जाती है, ईमानदारी हार जाती है। मेरी आपसे प्रार्थना होगी, हम चाहेंगे कि इस बहस में कहीं न कहीं इस संसद से इस प्रकार की भावना निकलकर के सामने आए, इस देश में गरीबों का एक बहुत बड़ा वर्ग है, इस देश में अमीरों का भी बहुत बड़ा वर्ग है और लोकतांत्रिक भावना की रक्षा करने में एक की नीयत कमजोर है, दूसरे की आवश्यकता कम है, लेकिन कहीं न कहीं हम एक बहुत बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी, राष्ट्रीय जिम्मेदारी का निर्वहन हम इस पद्धति को आगे बढ़ाकर कर सकते हैं और इस देश के एक-एक व्यक्ति का, एक-एक भारतवासी के बहुत बड़े सपने को हम साकार कर सकते हैं, उसकी सेवा करने का रास्ता खोल सकते हैं। राजनीति के संस्कार और राजनीति के दायरे को बढ़ा सकते हैं। मुझे लगता है कि इस पर जरूर विचार करना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ. बंशीलाल महतो (कोरबा) : महोदय, आज जिस विषय पर मैं बोल रहा हूँ।...(व्यवधान)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Hon. Chairman, Sir, I am on a point of order.

HON. CHAIRPERSON: Under what rule?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Sir, it is under Rule 362 coupled with Rule 376. Rule 362(1) says:

> "At any time after a motion has been made, any member may move: 'That the question be now put', and unless it appears to the Speaker that the motion is an abuse of these rules or an infringement of the right of reasonable debate, the Speaker shall then put the motion 'That the question be now put'. "

Sir, my point is that eight hours have elapsed since debate on this Bill was started. … (*Interruptions*)

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, बहुत से माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं।...(व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : बहुत से लोग इस पर बोलना चाहते हैं।...(व्यवधान)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: I am on a point of order. Let me submit. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Members want to speak on this Bill.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: I am on a point of order. … (*Interruptions*) Let the Chair rule. … (*Interruptions*) Why should you interrupt? Sir, let me complete. … (*Interruptions*) Chairman, Sir, I am seeking a ruling from you. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON : We have taken the sense of the House, and Members want to speak on this Bill.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I have taken the sense of the House.

… (*Interruptions*)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : I am not making any dispute. I am only seeking a ruling. Suppose, the debate is protracted and suppose a healthy debate is

going on, but every Member has a right to seek for this motion to be put to vote. Hence, I am saying under Rule 362. … (*Interruptions*) Let me submit. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: No, I have taken the sense of the House.

… (*Interruptions*)

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: I want to say something on this issue. … (*Interruptions*)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Mr. Meghwal, let me submit. … (*Interruptions*) My reasonable apprehension is that this debate is being protracted so as to sabotage the Transgender Bill. I reasonably had that apprehension last week also. It is because two hours was allotted for the discussion on this Bill on Compulsory Voting. Today also, I had discussions with the Government and informally an assurance was given that this Bill will be taken up for consideration.

It is the democratic right of a private Member to move that Bill before this House. My democratic right to move the Bill before the House is being unduly delayed so as to sabotage this Bill. So, under Rule 362, I demand that this motion be put to vote.

श्री अर्जुन राम मेघवाल : सभापति जी, हम कोई डिले नहीं कर रहे हैं। प्रेमचन्द्रन जी ने अपनी बात रखी है। यह प्राइवेट मैम्बर्स बिज़नैस का समय है। इसमें जो मैम्बर्स बोलना चाहें, हम उनको कैसे रोक सकते हैं? जब इस बिल का समय समाप्त होगा तो इनकी भी बारी आ जाएगी। हम इनके बिल के लिए कोई मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर कंपलसरी वोटिंग पर सदस्य बोलना चाहते हैं तो हम उनको रोक नहीं सकते। उनका भी अधिकार है। आप सैन्स ऑफ द हाउस देखें। ...(व्यवधान)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Why are you fixing time for it? … (*Interruptions*) My question is this. Why are you fixing time of two hours for it? … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Yes, hon. Member, please continue.

… (*Interruptions*)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Sir, I want a ruling from the Chair. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I have taken the sense of the House. The Members wants to speak, and that is why Members will speak.

… (*Interruptions*)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Sir, this House runs according to rules and procedures. … (*Interruptions*) This is totally unfair. … (*Interruptions*)

डॉ. बंशीलाल महतो : सम्माननीय सभापति महोदय, आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रख रहा हूँ। जो बिल सीग्रीवाल जी लाए हैं, वह इस देश के हित में है और मैं इसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हमारे देश में बहुत वर्षों तक गुलामी भी थी, बहुत वर्षों तक राजा-महाराजाओं का राज था। रानी के पेट से पहले राजा का जन्म होता था, लेकिन आज प्रजातंत्र का ज़माना है और बैलट पेपर के आधार पर राजा का जन्म होता है, या प्रतिनिधि का जन्म होता है। हमारे प्रजातंत्र में जिन लोगों ने आज़ादी के लिए आंदोलन किया था और उस समय फाँसी के फंदे पर चढ़े थे, उनकी यही इच्छा थी कि इस देश में फिर से लोकतंत्र कायम हो और बढ़िया लोकतंत्र बने। सौभाग्य से 2014 का जो लोकतंत्र है, यह बहुत ही अच्छा है और लोकतंत्र के इस मंदिर में हम अपनी बात कहना चाहते हैं।

महोदय, वास्तव में कंपलसरी मतदान होना ही चाहिए। दुर्भाग्य है कि पहले मसल पावर और मनी पावर के आधार पर चुनाव हुआ करता था। आज भी कुछ हिस्सों में ऐसा हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि इस पर प्रतिबंध लगे। कंपलसरी मतदान होगा तो मनी पावर और मसल पावर का कोई स्थान नहीं रह जाएगा। ऐसे ही पूर्वोत्तर प्रदेश में 20 प्रतिशत मतदान में भी कुछ सरकारें बनी थीं। यह इस देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। हम चाहते हैं कि 50 प्रतिशत से ऊपर मतदान की बात जहाँ तक होती है एक व्यक्ति के लिए, वह अलग है। कंपलसरी मतदान होने से निश्चित रूप से अच्छे लोग चुनकर आएँगे। देखा गया है कि वही लोग मतदान नहीं करते जो लोग सरकार से सारे फायदे उठाते हैं। गरीब ज़रूर निश्चित रूप से मतदान करता है। इसलिए मैं इस बात के पक्ष में हूँ कि कंपलसरी मतदान होना चाहिए। देश इससे आगे बढ़ेगा और प्रजातंत्र मज़बूत होगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है इसलिए यहाँ क्लियर कट मतदान होना चाहिए। सब के सब मतदान करें और किसी भी प्रकार से मनी पावर और मसल पावर बंद होना चाहिए। बुलेट का प्रयोग नहीं होना चाहिए और बैलट पेपर के आधार पर या ई.वी.एम. मशीन में हमारा मतदान दर्ज होना चाहिए।

मेरा एक निवेदन और है कि चुनावों में बहुत सारे इंडीपैंडैंट कैंडीडेट्स खड़े होते हैं। उससे भले ही मतदान का प्रतिशत ज्यादा होता है, लेकिन 51 प्रतिशत मतदान किसी एक व्यक्ति के पक्ष में नहीं हो पाता और वह कम हो जाता है। इसलिए उस पर भी एक लिमिटेशन होनी चाहिए। बहुत सारे राजनीतिक दलों का प्रतिशत कम हो जाता है, इसलिए उनका भी रजिस्ट्रेशन समाप्त कर देना चाहिए। अंत में कंपलसरी मतदान का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री कामाख्या प्रसाद तासा (जोरहाट) : माननीय सभापति जी, जनार्दन सीग्रीवाल जी जो बिल लेकर आये हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं, उस क्षेत्र में वोट का परसेंटेज बहुत कम होता है। फिर भी हम लारजैस्ट डैमोक्रेसी हैं, यह बात पूरी दुनिया में बोल रहे हैं। मैंने देखा कि नोर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में वोट का परसेंटेज बहुत कम है, यह बात बहुत से लोगों ने बोली है। इसका कारण है कि वहां एक्सट्रीमिस्ट्स का दबाव भी है और इसमें दूसरे बहुत से कारक हैं। बड़े-बड़े लोग अभी बोले हैं, रविन्द्र जी भी बोले हैं, उदित जी भी बोले हैं, जो वोट डालने वाला आदमी है, उसमें जो हाई क्लास वोटर्स हैं, जो एरिस्टोक्रेट वोटर हैं, वे कभी वोट नहीं डालते। मैं जब इलैक्शन जीता तो मुझे पूछा गया कि आप कौन से वोट से जीते तो मैंने बोला कि मैं लगान टीम से जीता हूं। लगान टीम में जिस टीम ने क्रिकेट जीता था, उसी टीम में जो गरीब लोग हैं, जो काम करने वाले आदमी हैं, उन लोगों के वोट से हम जीते थे। लेकिन जब हम जीतकर आये तो उसके बाद देखा कि उनका पार्टीसिपेशन नहीं था, जिसका पार्टीसिपेशन नहीं था, वे लोग ज्यादा हम लोगों के पास आ रहे हैं। वे लोग आकर यह बात बोल रहे हैं कि उनको कोई कांट्रैक्ट चाहिए, कोई ट्रांसफर चाहिए, कुछ पोस्टिंग चाहिए, इसमें ज्यादातर रिटायर्ड आई.ए.एस. ऑफिसर्स, डी.सी., एस.पी. ऐसे आदमी ज्यादा हैं। गरीब लोग जो वोट डालने के लिए गये, उन लोगों का उसके बाद महत्व नहीं रहता है। जैसा मुझे लगा, जैसा माननीय सदस्यों ने बोला है, कम्पलसरी वोटिंग के लिए किसी-किसी ने बोला है कि यह पोसिबल नहीं है। इसमें सेम मकेनिज्म यूज़ होगा, जैसे हर बूथ पर ऑफिसर जायेगा, पोलिंग ऑफिसर जायेगा, पोलिंग एजेण्ट जायेगा, प्रीज़ाइडिंग ऑफिसर जायेगा, ऐसे ही एक सिस्टम तो बना ही हुआ है, पूरे देश में जितने बूथ हैं, सारे बूथों में अगर सिस्टम जाता है, इलैक्शन कमीशन उनको वहां पर डिस्प्यूट करता है तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ नई चीज़ जोड़ने की जरूरत नहीं है। यह जोड़ने की जरूरत है कि लोग वहां जायें, हर इलैक्शन में हम देखते हैं कि इलैक्शन के दिन तो बन्द रहता है तो मजदूरी का सवाल भी नहीं होता है और मजदूरी करने वाला जो आदमी है, वे लोग पहले ही बूथ सैण्टर में पहुंचते हैं। जिनको पैसे की जरूरत नहीं है, वे लोग तो वहां आते नहीं हैं।

कम्पलसरी वोटिंग हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर लारजैस्ट डैमोक्रेसी बोलते हैं तो उसमें लोगों का लारजैस्ट पार्टीसिपेशन भी होना चाहिए। लारजैस्ट पार्टीसिपेशन अगर नहीं होगा, 100 परसेंट पार्टीसिपेशन अगर नहीं होगा तो हम लोग इसे 100 परसेंट डैमोक्रेसी कैसे बोल सकते हैं। 30-60 परसेंट वोटिंग होती है, उसमें हम लोग जो जीतकर आते हैं, वहां पर 36-37 परसेंट हम लोगों को वोट मिलते हैं। ऐसे में देखा गया है, मुझे लगता है कि कम्पलसरी वोटिंग करने में इंडिया जैसे लारजैस्ट कंट्री को कोई

प्रोब्लम नहीं है। हम लोग मैक्सीमम टाइम भारत की बात बोलते हैं, लेकिन इस मामले में हम लोग मैक्सीमम टाइम अमेरिका, फ्रांस, जापान का उदाहरण देते हैं, लेकिन उसमें तो आता है, बाकी कुछ में नहीं आता है। खाली बोलने में फ्रांस, अमेरिका, जापान की बात यहां पर हमारे सदस्य भी बोल रहे हैं, वहां नहीं हो रहा है तो यहां कैसे हो सकता है। खेती-बाड़ी में, कृषि क्षेत्र में जापान, फ्रांस और चाइना की बात बोल रहे हैं। जब डैमोक्रेसी की बात आएगी तो भी बोल रहे हैं, लेकिन मेरा कहना है कि हम लोगों को उनको क्यों फॉलो करना चाहिए। डैमोक्रेसी इंडिया में जो लागू है, यह डैमोक्रेसी दूसरों को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है।

मैंने बिल में भी देखा, कोई-कोई बोला है, निशिकान्त जी भी उस समय में बोले थे, मेरी यह बात है कि किसी कंट्री में, विश्व के दूसरे देश में अगर सक्सेसफुल नहीं है, वह यहां पर सक्सेसफुल हो सकता है? माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने एक बार एक इण्टरव्यू में बोला था, मैंने देखा जब 24 इण्टू 7 वे पावर लगाएंगे तो लोग हंसते थे, लेकिन अभी गुजरात में तो 100 परसेंट, 24 इण्टू 7 बिजली दे रहे हैं। मुझे लगता है कि डैमोक्रेसी जब सक्सेसफुल होनी चाहिए तो पार्टीसिपेशन भी 100 परसेंट होना चाहिए। जब मैं छोटा था तो असम में 1983 में एक एजीटेशन के टाइम में एक सरकार बनी थी, वह कांग्रेस की सरकार थी, उस समय में सभापति महोदय, आप भी जानते हैं, आप भी वहां थे, वहां पर देखा कि वहां पर पुलिस ने वोट डाले थे, वहां पर ऐसा था कि 2-3 आदमियों ने वोट डालकर, 10 आदमियों ने वोट डालकर गवर्नमेंट बनाई थी। वह गवर्नमेंट तीन साल चली, उसके बाद जब एजीटेशन हुआ और एग्रीमेंट हुआ तो उसको तोड़ दिया गया। मुझे लगता है, रविन्द्र जी ने एक बात ठीक बोली है, जैसा उन्होंने अपने वक्तव्य में बोला, जब हम लोग कंडीडेट चुनते हैं, बहुत से लोग हैं, जो किसी के घर में नहीं जाते, वे भी इलैक्शन के टाइम में एटलीस्ट उन लोगों के घरों में जाते हैं, उन लोगों की समस्या की बात बोलते हैं और उनको रिप्रेजेण्ट करने के लिए जो उन लोगों को चाहिए, वह बोलकर आते हैं। मुझे लगता है कि हम लोग जितने पोस्टर छापते हैं, उतने वोट भी हम लोगों को नहीं मिलते। जितना वॉल राइटिंग होता है, उतने वोट नहीं मिलते हैं तो how it is a good democracy. डैमोक्रेसी सक्सेसफुल होनी चाहिए, इसको गवर्नमेंट को सीरियसली लेना चाहिए।

यहां बहुत सारे मंत्री बैठे हुए हैं, 3-4 मंत्री हैं, मैं देख रहा हूं, हर्षवर्धन जी हैं, जोएल जी भी हैं और थावरचन्द जी भी हैं, इनको गवर्नमेंट को बोलना चाहिए कि प्राइवेट मैम्बर्स बिल यह भले ही हो सकता है, लेकिन सरकार को इसे सीरियसली लेना चाहिए। यहां लॉ मिनिस्टर भी हैं, लेकिन लॉ मिनिस्टर हम लोगों की बात सुनते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन लॉ मिनिस्टिर को भी सुनना चाहिए।

17.00 hours

महोदय, आप कम्प्लसरी वोटिंग कीजिए। अगर आप अमीर आदमी को फैसिलिटी देना चाहते हैं, तो यह बात अलग है। लेकिन, गरीब आदमी जब लाइन में खड़े होकर वोट कर सकता है, तो अमीर आदमी को भी उस लाइन में खड़ा होना चाहिए। चाहे वह आई.ए.एस. अफसर हो या आई.एफ.एस. अफसर हो, कम से कम एक दिन तो उन्हें वोट के दिन लाइन में खड़ा होना चाहिए।

महोदय, हमारे गृह राज्य मंत्री जिस राज्य से आते हैं, वहां वोटिंग सेन्टर्स बहुत दूर-दराज में हैं। अभी यहां हमारी पार्टी के मणिपुर के इंचार्ज प्रहलाद सिंह पटेल जी बैठे हुए हैं। उन्होंने भी यह कहा है। मणिपुर में आज जैसा एक्स्ट्रीमिज्म है, यह क्यों है? आज वहां के युवक हताश क्यों हैं, क्योंकि अब तक उन्हें डेमोक्रेसी के साथ जोड़ा नहीं गया है। उन्हें केवल पोस्टर लगाने में और प्रोसेसन में यूज किया जा रहा है, लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम में उनका जो पार्टीसिपेशन होना चाहिए, वह नहीं है। इस पार्टीसिपेशन के मामले में हम लोग किसी दूसरे देश का एग्ज़ाम्पल न लें। जापान में आज जितना पॉपुलेशन है, हमारे उत्तर प्रदेश में शायद उससे ज्यादा पॉपुलेशन है। मुझे तो यह लगता है कि बहुत-सी कंट्रीज का पॉपुलेशन हमारे किसी-किसी स्टेट के पॉपुलेशन से भी कम है। अगर हमारे यहां कोई स्टेट किसी चीज़ को लागू नहीं कर पाया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोग पूरे इंडिया में नहीं कर सकते। हमारे यहां इतना बड़ा इलेक्शन कमीशन है। हम लोग इतना बड़ा सिस्टम चला रहे हैं। अगर हम लोग इलेक्शन में मात्र दो लोगों की वोटिंग के लिए 100 आदमी को पैसा दे रहे हैं, तो 100% वोटिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। जो लोग वोट डालने नहीं जाएंगे, उनके लिए भी कुछ प्रबंध होना चाहिए। सीग्रीवाल जी ने जो इस बिल में प्रबंध किया है, उतना भी नहीं, लेकिन इसे थोड़ा रिव्यू करके ऐसा करना चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए नौकरी में, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी में, बैंकिंग फैसिलिटी में कुछ-न-कुछ रोक लगे।

महोदय, हुक्मदेव नारायण यादव जी यहां बैठे हैं। वे कृषि और फार्मर्स की बात करते हैं। हम सोचते हैं कि वे बोल तो रहे हैं, पर इसे मंजूर करने वाले कौन आदमी हैं, जो इसे देख रहे हैं? हमने देखा है कि ऐसे मैक्सिमम आदमी, जो इलेक्शन सिस्टम में पार्टीसिपेट नहीं करते हैं, वे लोग डेमोक्रेटिक सिस्टम में ज्यादातर बाधा डालते हैं। यहां प्रत्येक इश्यू में कोई कंस्टीट्युशन की धाराएं निकालते हैं, कोई एग्रीमेंट निकालते हैं, लेकिन आम आदमी के पास जो सुविधा पहुंचनी चाहिए, वह नहीं पहुंच रही है, क्योंकि उनके पास इसके लिए कोई धारणा नहीं है। वे इस सिस्टम के बारे में कुछ जानते नहीं हैं। एक्चुअली, गांव के आदमी को क्या चाहिए, यह नियम बनाने वाले आदमी को पता नहीं है। इसलिए हम लोग जिस नॉर्थ-ईस्ट से आते हैं, तो मैक्सिमम एक्स्ट्रीमिस्ट ऑरगेनाइजेशंस नॉर्थ-ईस्ट में हैं। यह नॉर्थ-ईस्ट का रेस-टू-रेस

एक्स्ट्रीमिज्म इसलिए हुआ है, क्योंकि उन लोगों को डेमोक्रेटिक सिस्टम से बहुत दूर रखा गया। वे लोग बहुत दूर-दूर रहते हैं। वे वोट डालने भी नहीं जा रहे हैं। हम लोग मैक्सिमम टाइम देखते हैं कि नॉर्थ-ईस्ट और जम्मू-कश्मीर में लोग वोट बायकॉट इत्यादि करते हैं। वोट बायकॉट कर के वे लोग यह कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग हम लोगों का काम नहीं करते हैं, तो हम लोग इसका बायकॉट करेंगे। इसका मतलब यह है कि वे लोग डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टीसिपेट करने नहीं जा रहे हैं। उन्हें इस सिस्टम में लाने के लिए सीग्रीवाल जी जो बिल लाए हैं, इस पर सरकार विचार करे। इस बिल में ऐसे लोग, जो वोट नहीं डालते हैं, उनके ऊपर कुछ रोक लगानी चाहिए। इसकी मॉनिटरिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे स्टेट में अभी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजेनशिप रिव्यू हो रहा है। इसे देखते हुए हमें एक बात याद आयी कि अगर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजेनशिप घर-घर में पहुंच रहा है, तो यह सिस्टम बाकी इलेक्शन सिस्टम में होना चाहिए। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजेनशिप में हम लोग इसे देख रहे हैं कि कौन बांग्लादेशी हैं, कौन नहीं हैं। अगर इस सिस्टम को इलेक्शन सिस्टम में लागू किया जाए, तो वह भी चलेगा। माइनॉरिटी रहते हुए मेजॉरिटी पर शासन करने का हमारे पॉलिटीशियंस का जो यह इरादा है, उन्हें यह छोड़ना चाहिए। हम लोगों पर जो मार पड़ रही है, उसे आप लोग देख रहे हैं। लोग सोचते हैं कि पॉलिटीशियन लोग दलाली करते हैं, बदमाशी करते हैं। ऐसा लोगों के मन में है।

अभी मैक्सिमम कांग्रेस के लोग आदिवासी-आदिवासी कह कर हल्ला करते हैं। लेकिन, आदिवासी क्षेत्रों में हालत यह है कि ये लोग उन्हें वोट के दिन कम्बल बांटते हैं। वे उनका दूसरा कोई काम नहीं करते हैं। मेरे चाय बागान क्षेत्र में ज्यादातर कांग्रेस के लोग लोगों को प्रलोभन देते हैं। वे डेमोक्रेसी का नाम लेते हैं, पर वे इन-डेमोक्रेटिक काम करते हैं।

चेयरमैन सर, मेरा यह अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है कि सीग्रीवाल जी जिस बिल को लाए हैं, उसे सभी लोगों ने सपोर्ट किया है। गवर्नमेंट इसे प्राइवेट बिल न समझ कर बाद में इसे एडॉप्ट करे। कांस्टीट्यूशन में इसको रिव्यू करने के लिए जो व्यवस्था है, वह व्यवस्था की जाए। लोगों का जो 100% पार्टिसिपेशन है, इसकी व्यवस्था करने का रिक्वेस्ट करते हुए मैं यही कहूंगा कि आपने मुझे जो बोलने का मौका दिया है, तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि नार्थ-ईस्ट की हिंदी बहुत खराब है और हम लोग मेन स्ट्रीम से थोड़ा कट-आफ हैं। …(व्यवधान) चेयरमैन साहब तो बहुत सीनियर हैं। He is a very senior person. वह पूरे इंडिया के नेशनल सेक्रेटरी भी हैं, वे बोल सकते हैं, लेकिन हम लोगों की हिंदी के बीच में थोड़ा असमिया घुस जाती है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है।

हम अर्जुन मेघवाल जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उन्होंने हमारा नाम इस बिल पर बोलने के लिए डाला। सीग्रीवाल जी को धन्यवाद देते हैं कि वे ऐसा सीरियस बिल लाए। बाकी जितने बिल हैं, उनसे यह बिल ज्यादा महत्वपूर्ण है। Hundred percent participation is hundred percent successful democracy. यह बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

श्री जुगल किशोर (जम्मू) : महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अनिवार्य मतदान बिल पर आज यहां चर्चा हो रही है, जिसे हमारे सहयोगी सीग्रीवाल जी यहां लाए हैं, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

17.06 hours (Shri Hukmdeo Narayan Yadav *in the Chair*)

इस बिल को लेकर मैं कहना चाहता हूं कि आज इस सदन में जो चर्चा हो रही है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। यह जरूरी है और होनी भी चाहिए। मतदान अनिवार्य होना बहुत ही जरूरी है। यह देश और समाज के लिए बहुत जरूरी है। हर एक मतदान कर सके, इसकी व्यवस्था हम करें, यह भी जरूरी है। कई बार कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं, जो देश हित में होते हैं, समाज हित में होते हैं। कई बार अच्छे काम के लिए भी समाज के लोग सामने नहीं आते, आगे नहीं आते, लेकिन कुछ कानून ऐसे अगर बना दिए जाएं कि वह जरूरी हो तो आहिस्ता-आहिस्ता आदत पड़ जाती है। जब तक इस लोकतंत्र में यह आदत नहीं डलती है, तब तक हमें ऐसे कानून बनाने की जरूरत है।

मैं कहना चाहता हूं कि आम आदमी और गरीब आदमी ही ज्यादा वोट डालने जाता है, चाहे वह जमींदार हो, किसान हो, मजदूर हो, चाहे कोई भी छोटा-मोटा काम करता हो, उस दिन छुट्टी भी रखता है, प्राइवेट काम करता होगा, लेकिन वह मतदान करने जरूर जाएगा। जो बड़े-बड़े लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं और एयरकंडीशनर में रहने वाले लोग हैं, बड़ी-बड़ी कोठियों में रहने वाले लोग हैं, गर्मी को न सहन करने वाले जो लोग हैं, वे मतदान करने नहीं जाते हैं। उससे देश को बहुत बड़ा नुकसान होता है। उनकी राय क्या है, वह सामने नहीं आती है। मेरी प्रार्थना है कि यह बिल पास करके यह जरूरी कर दिया जाए कि देश का जो एक-एक व्यक्ति है, वह अपना मतदान करे, अपनी राय व्यक्त करे और उसको अपनी राय व्यक्त करने का मौका मिलना चाहिए।

मैं जम्मू-कश्मीर प्रदेश का रहने वाला हूं। मैं जम्मू-कश्मीरवासियों का आभार प्रकट करना चाहता हूं, चाहे पिछला विधान सभा का चुनाव हो या लोक सभा का चुनाव हो, उन्होंने भारी मतदान करके अपनी लोकप्रिय सरकार जम्मू-कश्मीर में चुनी और देश में भी चुनी। इसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि यह प्रतिशत और भी बढ़ सकता था। आप सब जानते ही हैं कि वहां मिलिटेंसी का दौर रहता है और आतंकवादियों की हमेशा धमकियां रहती हैं कि लोग मतदान करने न निकलें, न जाएं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि यह बिल पास करने के बाद कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि लोग घरों में भी मतदान कर सकें। अगर आतंकवादियों के डर से बाहर न निकल सकें, या तो ऐसी व्यवस्था हो कि वे बाहर जाएं, नहीं तो वे घर पर ही वोट डाल सकें, ऐसी भी व्यवस्था की जानी चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि देश का जो सबसे बड़ा मंदिर है, जहां सबको इंसाफ मिलता है, वहां हम अनिवार्य मतदान की चर्चा कर रहे हैं लेकिन मैं बहुत दुःख के साथ कहना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर में 65 वर्षों से कुछ ऐसे लोग रह रहे हैं, जिनको आज भी मतदान का अधिकार ही नहीं है। हम जहां चर्चा कर रहे हैं कि मतदान अनिवार्य करना चाहिए और दूसरी तरफ वे लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनको मतदान करने का अधिकार मिलना चाहिए। मैं वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजी की बात कर रहा हूं, वे वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजी नहीं हैं, लेकिन उनको वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजियों के तौर पर बुलाया जाता है। क्योंकि जब देश का बंटवारा हुआ तो जो हिस्सा पाकिस्तान में गया, वहां से वे आये थे। आज भी उनको विधान सभा में मतदान करने का अधिकार नहीं है। क्या लोकतंत्र में ऐसा हो सकता है? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हो सकता है लेकिन ऐसा हो रहा है। जम्मू-कश्मीर में लोग पार्लियामेंट के इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं, लेकिन उन्हें विधान सभा में वोट डालने का अधिकार नहीं है। वे पंचायत के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते हैं, वे अपना एक सरपंच भी नहीं चुन सकते हैं। जो लोग पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, जो विधान सभा का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, मुझे आप बताइए कि उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई पीढ़िया गुजर जाने के बाद भी उनके बच्चे दर-ब-दर ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। मैं सदन से इसके लिए प्रार्थना करूंगा, हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि मतदान का अधिकार जरूरी होना चाहिए। आज देश में ऐसे लोग हैं जिनको मतदान का अधिकार नहीं है, उनको भी मतदान का अधिकार मिले, उनके लिए हमें विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि जो लोग बॉर्डर पर डटे रहते हैं, जो भारत-पाक सीमा पर खड़े हैं, वहीं वे जीते हैं, वहीं वे मरते हैं। पाकिस्तान द्वारा की जा रही गोलियों और गोलों का सामना करते हैं। गोलाबारी में उनके पशु मारे जाते हैं, उनके जान का नुकसान होता है, उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है, उनकी फसल तबाह हो जाती है, लेकिन वे बॉर्डर को नहीं छोड़ते हैं, अन्यथा वे भारत-पाक सीमा को छोड़ कर भारत के किसी और भाग में बस सकते हैं। लेकिन भारत माता की जय कहते हुए, वे बॉर्डर पर ही डटे रहते हैं, इसलिए मेरी सदन से प्रार्थना है कि उनके प्रति सहानुभूति दिखाते हुए, उनको मतदान का अधिकार मिले, ऐसा हमें जतन जरूर करना चाहिए।

अगर मौका मिले तो भारत-पाक सीमा पर जो रहते हैं, उनकी बात सुनने के लिए, हमारी कई कमेटियां वहां गयी भी हैं और आगे भी वहां जायेंगी, उनसे जो अधिकार छिना गया हैं, हम उस अधिकार को उन्हें दिलायें, ताकि वे नौकरी कर सकें, अपने बच्चों को पढ़ा सकें, फसल उगा सकें और देश के नागिरक होने का गर्व भी महसूस कर सकें। हमारे सहयोगी श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल जी सदन में जो बिल लाये हैं, मैं उसके समर्थन में हूं। हरेक के लिए यह जरूरी होना चाहिए कि वह अपना वोट डाले और

अपनी राय व्यक्त करे। इस बड़े लोकतंत्र में सरकार बनाने में उनका योगदान होना चाहिए। उनको मतदान के माध्यम से अपनी राय व्यक्त करनी चाहिए। आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, इसके लिए आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री भोला सिंह (बुलंदशहर) : सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मतदान अनिवार्यता के विषय पर बोलने का मौका दिया है। हमारे देश में लोकतंत्र का बड़ा महत्व है। हमारे देशवासियों को मतदान के द्वारा सरकार चुनने का मौका मिलता है, जनप्रतिनिधि चुनने का मौका मिलता है, एक अच्छे जनप्रतिनिधि चुनने का मौका मिलता है। मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा बहुत सारे अभियान चलाये जाते हैं, मतदाताओं को जागरूक किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रसेन्टेज में मतदान नहीं हो पाता है। हमारे लोकतंत्र में प्रधानी से लेकर जिला पंचायत, विधान सभा और लोक सभा के चुनाव होते हैं। हमें देखने को यह मिलता है कि जो छोटे चुनाव होते हैं, उन चुनावों का मतदान प्रतिशत अच्छा होता है और यह प्रतिशत बड़े चुनावों में कम हो जाता है, इसकी क्या समस्या है? चुनाव आयोग का जो जागरूक अभियान है, उसमें इसे भी देखना चाहिए कि क्या कारण है कि छोटे चुनाव में मतदाता ज्यादा वोट डालते हैं और प्रतिशत अच्छा होता है, लेकिन अगर लोक सभा का चुनाव हुआ तो मतदान प्रतिशत कम हो जाता है। इसके लिए उनको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं, कुछ सुझाव रखना चाहता हूं और जो इस बिल को लेकर आये हैं, उनको धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। मतदान अनिवार्यता के माध्यम से यह निर्भर करता है कि हमें अपने देश को किस तरह की सरकार देनी है। अभी लोक सभा के चुनाव हुए। मतदान का प्रतिशत अच्छा रहा और देश को एक अच्छी, विकास करने वाली सरकार मिली। आदरणीय मोदी जी प्रधान मंत्री बने। उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ। मतदान का ज्यादा प्रतिशत होने का यह उदाहरण है। हर चुनाव में ऐसा होना चाहिए। अगर हमें अच्छे प्रतिनिधि चाहिए, अच्छी सरकारें चाहिए, देश का विकास चाहिए तो मतदान करना होगा। हम अपने देश को जिन बड़े-बड़े देशों की तरह डैवलप करना चाहते हैं, उनकी तरह विकास चाहिए तो इसे महत्व देना बहुत अनिवार्य है।

मैं आपके सामने कुछ सुझाव रखना चाहूंगा। चुनाव में देखा जाता है कि चुनाव आयोग द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए कई अभियान चलाए जाते हैं। यह भी देखा जाता है कि कुछ बाहुबली, पैसे वाले लोगों का चुनाव में ज्यादा महत्व रहता है। इससे ऐसे लोग चुनकर आ जाते हैं जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होते। बाहुबली, पैसे वाले लोगों को रोकने के लिए यह जरूरी है कि अच्छे प्रतिनिधि आएं। इसके लिए भी जागरुक अभियान चलाना चाहिए।

मैं गांव के क्षेत्र से आता हूं। मैंने देखा है कि छोटे चुनावों में मतदान ज्यादा होता है। चुनाव आयोग जो बूथ बनाता है, प्रधानी के चुनाव में छोटी-छोटी जगह बूथ बन जाते हैं और लोक सभा, विधान सभा चुनाव में बूथ की दूरी ज्यादा होती है। कभी धूप होती है, कभी ठंड का समय होता है, इसलिए गांव के

काफी लोग मतदान नहीं कर पाते। हमारी माताएं, बहनें इसलिए घर से नहीं निकल पातीं क्योंकि बूथ दूर होता है। चुनाव आयोग को यह भी देखना चाहिए कि मतदान केन्द्र लोगों की सुविधानुसार उनके घर के नजदीक हो। ऐसे नहीं हो कि कोई व्यक्ति एक किलोमीटर तक चलकर जाएगा। साथ ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घरों से निकलना नहीं चाहते। जैसे हमारे बार्डर में फौजी भाई, जिनकी इच्छा वोट करने की होती है, वे टैंडर वोट करते हैं, वहीं से अपना वोट भेज देते हैं। इसी तरह जो लोग बूथ तक नहीं जाना चाहते, लाइन में नहीं लगना चाहते, उनके लिए ऐसा रूल बना देना चाहिए जिससे या तो वे अपना टैंडर वोट कर दें या आनलाइन वोट सिस्टम हो जाए ताकि वे घर बैठे अपना वोट डाल सकें।

हर छोटे-बड़े व्यक्ति को मतदान का महत्व समझना चाहिए। वोट का जितना अधिकार छोटे व्यक्ति का है उतना ही बड़े का होना चाहिए। लोग अपना पासपोर्ट लेते हैं, ड्राइविंग लाइसैंस बनवाते हैं, राशन कार्ड बनवाते हैं। यह कराते समय उनसे यह भी जानकारी लें कि आपने मतदान किया है या नहीं। ऐसी व्यवस्था बनाई जाए ताकि लोगों को लगे कि वोट कम्पलसरी है। जो लोग वोट नहीं डालते, उनके लिए कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे उन्हें लगे कि हमें वोट नहीं डालने की वजह से यह नुकसान हुआ है।

आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : सभापति महोदय, आपने मुझे अनिवार्य मतदान विधेयक, 2014 पर बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले इस बिल का विरोध करता हूं। यह एक विवादास्पद विषय है क्योंकि यह हमारी संसदीय परिपाटी और परम्पराओं को बदलने वाला विधेयक है। संसदीय लोकतंत्र में प्रत्येक मतदाता के लिए कानून के जरिए मतदान में हिस्सा लेने की स्वतंत्रता है। उसे बाध्यता में बदला जा रहा है। किसी को हैरानी होगी कि मेरा मानना है कि इस तरह का विधेयक लाकर, श्री जनार्दन सीग्रीवाल जी हमारे बिहार से आते हैं, मैं समझता हूं कि इस विधेयक को लाने से पूरे देश में एक चर्चा हो गई है। इस विधेयक को आरएसएस की तरफ से लाया गया है। इतिहास में जाकर देखा जा सकता है कि कभी भी इनको इस संसदीय परंपरा में विश्वास नहीं रहा, वह हमेशा से उसे अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करते रहे हैं। संविधान में मतदान हर व्यस्क नागरिक का स्वतः अधिकार माना जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि अधिकार शब्द को नकारात्मक पक्ष दे दें। अपने अधिकार का प्रयोग करना या न करना हर व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है, उसे किसी कानून से बांधना संभव नहीं है।

दरअसल इस विवादास्पद विधेयक का जन्म गुजरात से हुआ है। गुजरात सरकार द्वारा अनिवार्य मतदान का कानून बनाया गया है जिसे निकाय चुनाव में लागू करने की व्यवस्था है। इसकी परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे तब वर्ष 2009 इसकी तैयारी की गई थी लेकिन उस समय वे इसे कानूनी रूप देने में सफल् नहीं हुए। आज सरकार इसे कानूनी रूप देना चाहती है। चुनाव आयोग भी इस कानून के विरुद्ध है। आयोग ने चिंता जताई है कि अगर इस कानून के खिलाफ कोई कोर्ट चला गया तो चुनाव रद्द भी हो सकता है। चुनाव विशेषज्ञों का मानना है कि लोकतंत्र में इस तरह के कानून बहुत ही शर्मनाक हो सकते हैं। संविधान में नागरिकों को मतदान के लिए अनिवार्यतया लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। ये लोग दूसरे देशों की बात करते हैं, क्या उन देशों का संविधान भारत के संविधान जैसा है? भारत लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश है। मैं दो-तीन बातों पर कुछ कहना चाहूंगा, जिस तरह आज भी पंचायती चुनाव में मतदान ज्यादा होता है उसका क्या कारण है, क्योंकि वहां पर लोकल लोग चुनाव लड़ते हैं, उसका प्रचार-प्रसार होता है। जो लोग गांव से बाहर रहते हैं वे उन्हें भी लाने का प्रयास करते हैं। जब लोक सभा या विधान सभा का चुनाव होता है तब वोट प्रतिशत घट जाता है। निर्वाचन आयोग की यह जिम्मेवारी है कि किस तरह से जन अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करके वोट दिलवाने का काम करें। कुछ साथियों ने बूथ के बारे में कहा। निश्चित रूप से जो गरीब है, निःसहाय है, दलित हैं उनके पास में स्कूल नहीं है, जहां सरकारी भवन नहीं है, उनको वोटिंग करने के

लिए दूर जाना पड़ता है और पंचातयी चुनाव में हर राज्य सरकार ने व्यवस्था की है कि जहां पर 500 की आबादी हो वहां भी वोटिंग होती है लेकिन लोक सभा और विधान चुनाव में इसका पालन नहीं होता है। मेरा अनुरोध है कि इसके लिए जनजागरण अभियान चलाया जाए कि कैसे ज्यादा से ज्यादा वोट प्रतिशत हो, इसके लिए प्रयास होना चाहिए नही तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या होगा? अनिवार्य क्या होता है? हमने लोकतंत्र में जन्म लिया है। यदि वोट नहीं देते हैं तो हम अपराधी हो जाएंगे। इस तरह का बिल लाना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

SHRI RAMEN DEKA (MANGALDAI): Sir, I thank you for giving me a chance to participate in this important discussion. This is a very important Bill. We are the citizens of the largest democracy and all the citizens should participate in the elections so that it reflects the mindset of the electorate.

One of our hon. friends said that it is impractical. But it is not impractical. The electorates of India are very intelligent. They had taken a right position after Emergency. They took right position after the Bofors scandal. They took right position after the successive failures of the two UPA led Governments at the Centre. The electorate is intelligent. But they do not like to come to vote. So, it needs awareness and it needs a law that they should come and vote. We always talk of rights that we must get free education, we must have facilities of health, but when it comes to voting, they are not exercising their voting rights. The electorate should exercise this right of voting because it reflects their mind, their thinking and also ensures their participation in the democratic process.

Sir, we have inherited the concept of democracy from times immemorial. Basoya in Andhra Pradesh, centuries ago, practised democracy. In our State, a philosopher started democracy. He was not only a philosopher but also an artist and he was an institution by himself. He started the process of democracy in our State. So, people should be educated in order that they cast their vote so that their thinking is reflected and also it offers them an opportunity to judge the performance of a Government. If a Government does not perform well, they have the right to reject that Government after five years. Our electorate have demonstrated this after Independence.

Sir, as we come from a North-Eastern State, namely, Assam, people are not coming to vote. There are so many difficulties. One of such difficulties is that many of our booths are located in the booths and people have to walk miles after miles to come and cast their votes. So, they are not coming to vote. Proper facilities should be provided for voting and people should also be properly educated so that they can come and vote. It requires political will to pass this Bill.

I would like to request our hon. Law Minister to pass this Bill with some modifications that people should come forward for voting and they should participate in the democratic process. Democracy survives only when people cast their votes.

Thank you.

श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर): अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे अनिवार्य मतदान के पक्ष में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जब यह देश परतंत्र था, तब राजाओं का राज हुआ करता था। 15 अगस्त, 1947 को जब हम आजाद हुए, तो लोकतांत्रिक पद्धति का गठन हुआ। लोकतांत्रिक पद्धति के द्वारा जब हमारी प्रजातांत्रिक प्रणाली तय हुई, तो हमें मत देने का अधिकार मिला। सबसे पहले जब गांवों में पंचायत के चुनाव करवाने का फैसला हुआ, तो गांव में लोगों ने हाथ उठाकर उसका समर्थन किया। हम धीरे-धीरे मतदान में सुधार करने की प्रक्रिया में आगे बढ़े। आज एक ऐसा अवसर आया है, जब हम गुप्त मतदान के तरीके से गांव पंचायत, जिला पंचायत, विधान सभा से लेकर लोक सभा तक इस भारत के संविधान को, जहां लोक सभा बनाती है, प्रदेश के संविधान की रक्षा जहां विधान सभा करती है, बनाने का काम जनता-जनार्दन ने किया। लेकिन आज भी मतदान करने के लिए हमें जनता को जागरूक करने की आवश्यकता है। आज भी कुछ मुट्ठी भर लोग इस देश पर राज करना चाहते हैं, जिन्होंने लगातार इस देश पर 60 सालों तक राज किया, उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने के लिए सबसे पहले 25 जून, 1975 को इस देश में इमर्जैंसी लगाने का काम किया और उन लोगों को जो चुनकर आये थे, उनके और जनता के अधिकारों का हनन करने का काम किया। लेकिन भारत एक ऐसा देश है, जिसका संविधान बहुत बड़ा है। इस देश के संविधान को बनाने वाले लोग आज हमारे बीच में नहीं हैं, उन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी कुर्बानी दी है, लेकिन देश की खातिर उन्होंने सदा लोकतंत्र को बचाने का काम किया। तब एक ऐसा अवसर आया था, तब मैं छोटा सा बालक था, मैंने जनता की जागरुकता को देखा था। तब जनता सड़क पर उतरकर लोकतंत्र को बचाना चाहती थी और जिस सरकार ने लोकतंत्र का खात्मा किया था, जनता ने उसे हटाने का काम किया था। इस देश के नौजवानों और आम नागरिकों ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरकर माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2014 के मतदान में भाग लिया। लेकिन आज भी मतदान में तमाम खामियां हैं, कठिनाइयां हैं। यही कारण है कि चुनाव आयोग द्वारा समय-समय पर तमाम परिवर्तन किए गए। आज भी मतदान में भ्रष्टाचार, जातिवाद, भाई भतीजावाद, धर्म को रोकने की आवश्यकता है। हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए ताकि निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान हो, अनिवार्य मतदान हो। कमजोर तबके के लोग मतदान दें....

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, इस विधेयक पर विचार करने के लिए आबंटित समय समाप्त हो रहा है और बोलने वाले काफी सदस्य हैं। एक घंटे का समय पूरा हो चुका है, इसलिए एक घंटे का समय बढ़ाया जाता है।

कुछ माननीय सदस्य: जी हां, समय बढ़ाया जाए।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Sir, I have a strong objection to this. I would like to raise the objection under Rule 362. This discussion is slated for two hours. Now while discussing the Compulsory Voting Bill, nine hours have lapsed. What is the message going to the country? It is just to sabotage the Rights of Transgender Persons Bill, this discussion is being prolonged. This is the black day in the history of Indian Parliament. Regarding the Private Members' Resolutions and Bills, this is totally unfair. For the transgender community in the country, a Bill has been unanimously passed by the Rajya Sabha but this House is not able to take up the Bill for discussion. It means it is quite unfair and my right is being curtailed. … (*Interruptions*)

Sir, I am seeking protection from the Chair because for a Bill for which two hours are allotted, nine hours of discussion have been completed and again it is being protracted. Rule 362 is specific. I have the right to ask that the motion may be put to the vote of the House. I want a ruling on this matter because the message going to the country is not good. If we are not ready to take up the Bill regarding the rights of transgender, a bad message will be going to the country. I have strong objection.… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : सभा की सहमति से समय बढ़ाया गया है।

…(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने 362 कोट किया है, 363 कहता है - Rule 363 says:

> "Whenever the debate on any motion in connection with a Bill or any motion becomes unduly protracted, the Speaker may, after taking the sense of the House, fix a time limit for the conclusion of discussion on any stage or all stages of the Bill."

सेंस आफ द हाउस लिया गया है, सभी माननीय सदस्य इसका समय बढ़ाना चाहते हैं तो 363 एप्लाई होता है। इस कारण कोई टाइम लिमिटेशन नहीं हो सकता है। अल्टीमेटली यह सेंस आफ द हाउस है।…(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): माननीय सभापति जी, पहले भी सेंस आफ द हाउस लिखा हुआ था। सदस्य बोलना चाहते हैं। यह प्राइवेट मैम्बर बिजनेस का समय है। हम कैसे किसी को मजबूर कर सकते हैं

कि मत बोलिए। जब माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं तो आप इनका राइट कैसे संरक्षित नहीं करेंगे? आपको इनका राइट भी संरक्षित करना पड़ेगा।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : देवेन्द्र जी, आप अपनी बात जारी रखें।

...(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर): माननीय सभापति जी, हमारे सामने बैठे जो लोग हैं, ये राजतंत्र में जीना चाहते हैं। उन्हें नहीं मालूम है कि 15 अगस्त 1947 के बाद जब लोकतांत्रिक प्रणाली का गठन हुआ तो कोई रानी के पेट से राजा पैदा नहीं हुआ।...(व्यवधान) अब अगर कोई राजा पैदा हुआ है तो मत पेटी से पैदा हुआ है। जनता जनार्दन है। जनता जो फैसला करती है, उसे स्वीकार करना चाहिए। ...(व्यवधान) लगातार पूरे सत्र में व्यवधान डाला है।...(व्यवधान)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Sir, there is no quorum in the House. This is totally unfair. As a mark of protest, I demand quorum in the House. Sir, I am on a point of order. There is no quorum in the House.

माननीय सभापति : अब कोरम बैल बज रही है। इस समय कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

… (*Interruptions*)*

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, सदन में गणपूर्ति नहीं है। अतः सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 को 11 बजे तक स्थगित की जाती है।

<u>17.42 hours</u>

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, 21st December, 2015/Agrahayana 30, 1937 (Saka)

---

* Not recorded.